

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था

डॉ. ओ. पी. शर्मा



राज पब्लिशिंग हाऊस
जयपुर

प्रकाशक

श्रमता किरन परनामा

राज पब्लिशिंग हाऊस

44 परनामा मन्दर गाविन्द भाग

जयपुर 302 004

राजस्थान की आद्योगिक अर्थव्यवस्था

© लेखक

प्रथम संस्करण 1997

लनर टाइपसेटिंग

एप्पल प्रिन्टर्स-N-ग्राफिक

509 गणगोरी बानार जयपुर

फोन 315652

मुद्रक

विषय सूची

स्मरण	vi
भूमिका	vii
1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय	1
2 औद्योगिक पृष्ठ भूमि	9
3 राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग	14
4 लघु उद्योगों की प्रगति	23
5 पर्यटन उद्योग के विकास की संभावनाएँ	30
6 राजस्थान के औद्योगिक विकास की झलक तथा भारत में इसकी स्थिति	42
7 औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएँ	46
8. राजस्थान में आधारभूत संरचना ऊर्जा विकास	53
9 औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ तथा विकास हेतु सुझाव	66
10 नई औद्योगिक नीति	69
11 औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ	88
12 सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास	103
13 राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण	159
14 आर्थिक सुधारों के फलितार्थ	169

स्मरण

यह पुस्तक पूज्य गुरुवर स्व. डॉ. सी. आर. कोठारी की स्मृति में समर्पित ।

पुस्तक प्रकाशन के समय में पूज्य पिताजी स्व. श्री भैरू लाल जी शर्मा एवं पूजनीया माताजी स्व. श्रीमती शांति शर्मा का स्मरण किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी प्रेरणा से ही यह महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ हो सका ।

लेखक

भूमिका

राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हाल ही के वर्षों में प्रारम्भ किये गए आर्थिक उदारीकरण के दौर में औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होकर उभरा है। औद्योगिक विकास की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए ही न केवल विश्व के अनेक राष्ट्र अपितु भारत सरीखे देश के राज्य भी आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में औद्योगिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं। विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने का मुख्य ध्येय औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करना है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग की एक अनिवार्यता है। इसके बिना आज कोई देश न तो जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध करा सकता है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उचित भूमिका निभा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं विकसित कहे जाने वाले देश औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होकर ही आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुँचे हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। विकसित राष्ट्रों से सीख लेकर अनेक विकासशील राष्ट्र आज तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत हैं, किन्तु विकास लक्ष्य प्राप्ति में अनेक बाधाएँ इनके समक्ष विद्यमान हैं। आधुनिक औद्योगिकी का अभाव सबसे प्रमुख बाधा है। जिससे ये राष्ट्र औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ के प्राकृतिक ससाधनों का समुचित विदोहन नहीं होने से अन्य देशों की तुलना में भारत पिछड़ा हुआ है। अतः तीव्र औद्योगिक विकास की महती आवश्यकता है।

उद्योगों के समुचित विकास से देशवासियों की आय में अर्थपूर्ण एवं नियमित रूप से वृद्धि सम्भव है। औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार एवं श्रेष्ठतर व्यावसायिक ढांचा निर्मित होता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। बचत एवं निवेश में वृद्धि की सुखद परिणति उत्पादिता में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज का बहुमुखी विकास होता है। राष्ट्र आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर उभरता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। आर्थिक योजनाओं की व्यूह रचना में आधारभूत एवं भावी औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। फलस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक औद्योगिक विकास सबधी व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका था। आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव हुए हैं। औद्योगिक नीति में किये गए परिवर्तन से देश में औद्योगिक विकास का अच्छा मातावरण बना है।

राजस्थान सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। परन्तु औद्योगिक विकास की दृष्टि से अभी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद भारत के राज्यों में राजस्थान का स्थान है। जिसका अधिकांश भाग रेत के धोरों से ढका हुआ है। यह धीरे-धीरे सागर अपने में अथाह खनिज संपदा समेटे हुए है, किन्तु राज्य में ससाधनों का बाहुल्यता के बावजूद औद्योगिक इकाइयों का अभाव बना हुआ है।

औद्योगिक विकास की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में उद्योगों के विकास पर विशेष बल देने के फलस्वरूप राजस्थान का आलोचनात्मक

अध्ययन करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। वर्ष 1994 में "राजस्थान का औद्योगिक विकास एव भावी सम्भावनाएँ, विशेषतः सर्वाईमाधोपुर जिले के संदर्भ में" विषय पर शोध प्रबंध सम्पन्न कर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वविद्यालय ने मार्च 1996 में पीएच डी की उपाधि प्रदान की। राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पुस्तक शोध प्रबंध का ही पुस्तकीय रूप है। विषय वस्तु में क्रमवार अवश्य बदलाव किया गया है। इसके अलावा पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आर्थिक उदारिकरण और पर्यटन उद्योग को अलग से सम्मिलित किया है। पुस्तक में कुल चौदह अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- औद्योगिक पृष्ठभूमि, राजस्थान में प्रमुख वृहद उद्योग, लघु उद्योगों की प्रगति, पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ, राजस्थान के औद्योगिक विकास की झलक तथा भारत में इसकी स्थिति, औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ, औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ तथा विकास हेतु सुझाव, नई औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ, सर्वाई माधोपुर का औद्योगिक विकास तथा राजस्थान में आर्थिक उदारिकरण।

पुस्तकीय सामग्री को तैयार करने में इकोनॉमिक सर्वे, इण्डिया, स्टेटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, द पापुलेशन ऑफ राजस्थान, एन्यूवले सर्वे ऑफ इण्डस्ट्रीज, आय व्यय अध्ययन राजस्थान, खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तियाँ और प्रगति, नई औद्योगिक नीति, डी एच पी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, उद्योग व्यापार पत्रिका आदि महत्वपूर्ण राजकीय प्रकाशनों का भरपूर उपयोग किया गया है।

मैं श्रीहृदय डॉ जे के टण्डन साहब का विशेष रूप से हृदयक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी पूज्य डॉ सी आर कोठारी साहब का अभाव महसूस नहीं होने दिया। आज डॉ टण्डन के सानिध्य में ही मेरी लेखनी को गति मिल रही है। आप मेरी प्रेरणा के झरने।

पुस्तक लेखन के लिए गुरुजन, विद्वान व्याख्याता, मित्रो तथा निकट सम्बन्धियों से प्रेरणा मिली। इन सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं पुस्तक की श्रीमती किरन परनामो के प्रति भी आभारी हूँ। जिन्होंने अल्प समय में पुस्तक को प्रकाशित कर आपके हाथों में सौंप दिया है।

आखिर में श्रीमती मजू शर्मा, सर्वाई माधोपुर तथा सुश्री नीलम जोशी अजमेर के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने शोध एव लेखन के क्षेत्र में सदैव मेरा उत्साहवर्धन किया।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक राजस्थान के औद्योगिक विकास में रूचि रखने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को उतरोत्तर प्रभावी बनाने के लिए आपके सुझावों और विचारों का सदैव स्वागत है।

शांति दीप

जटवडा मानटाउन

सर्वाई माधोपुर 322001

राजस्थान

डॉ ओ पी. शर्मा



राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

सक्षिप्त अध्ययन

आजादी से पूर्व राजस्थान विभिन्न देशी रियासतों में बंटा हुआ था। विभिन्न आर्थिक सूचकों की दृष्टि से रियासतों की स्थिति अलग अलग थी। राजस्थान में देशी रियासतों को मिलान की प्रक्रिया मार्च 1948 में प्रारम्भ हुई। 19 देशी रियासतों और तीन सामन्ती राज्यों के एकीकरण का प्रक्रिया नवम्बर 1956 में पूरी हुई। गौरतलब है भारत में प्रथम पंच वर्षीय योजना मार्च 1956 में सम्पन्न हो चुकी थी। इस योजनावधि में राजस्थान निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था।

वर्तमान में राजस्थान योजनाबद्ध विकास के छियालीस वर्ष पूरे कर चुका है। इस अवधि में आठ पंच वर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। राज्य में अप्रैल 1997 से नवी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी। नियोजन काल में राजस्थान में आर्थिक विकास ने गति पकड़ी है। राजस्थान में चालू मूल्यों पर आधिक वृद्धि दर 1994-95 में 21.66 प्रतिशत रही। राजस्थान में औसत कृषि जोत 4.11 हेक्टेयर है। जो भारत की औसत कृषि जोत 1.68 हेक्टेयर की तुलना में अधिक है। राज्य के प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का त्रिवाषिक आसत उत्पादन 194 किलोग्राम है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश भर में पाचवा स्थान है। योजना उद्ध्यय की दृष्टि से भी राजस्थान का पाचवा स्थान है। राजस्थान में अष्टम योजना (1992-97) का उद्ध्यय 11500 करोड़ रुपये है। 1995-96 के बजट अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति विकास दर वष्य 1017.70 रुपये है। प्रति व्यक्ति विकास दर वष्य की दृष्टि से राजस्थान का आठवा स्थान है।

96 में बढ़कर 33705 करोड़ रुपए हो गया । यह वृद्धि 10 प्रतिशत आकी गई है । वर्ष 1996-97 के अनुमान के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 39460 करोड़ रुपए आका गया है । इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि 17 प्रतिशत से अधिक है ।

स्थिर कीमतों (1980-81) पर 1994-95 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9937 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1995-96 में बढ़कर 9936 करोड़ रुपए हो गया । अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1996-97 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11021 करोड़ रुपए हो जाएगा । यह वृद्धि 11 प्रतिशत के लगभग आकी गई है ।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में उत्तयेत्तर वृद्धि हुई है । प्रचलित मूल्य (1980 81) पर 1996 97 में प्रति व्यक्ति आय 7992 रुपए आकी गई है जो 1995-96 में 6958 रुपए की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है । स्थिर कीमतों पर वर्ष 1996 97 में प्रति व्यक्ति आय 2232 रुपए आकी गई है जो कि 1995 96 से 8 83 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 1995 96 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2051 रुपए थी ।¹

योजना परिव्यय—राजस्थान में योजनावद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक व्यय में भारी वृद्धि हुयी । सार्वजनिक क्षेत्र में योजनावार वास्तविक व्यय इस प्रकार है—प्रथम योजना 5 41 करोड़ रुपए, द्वितीय योजना 102 7 करोड़ रुपए, तृतीय योजना 212 7 करोड़ रुपए, तौन वार्षिक योजना (1966 69) में 136 8 करोड़ रुपए, चतुर्थ योजना 308 8 करोड़ रुपए, पाचवी योजना 857 6 करोड़ रुपए, वाषिक योजना 290 2 करोड़ रुपए, छठी योजना 2120 5 करोड़ रुपए, सातवीं योजना 3106 2 करोड़ रुपए, वार्षिक योजना 1990-91 में 973 2 करोड़ रुपए, वार्षिक योजना 1991-92 (सभावित) 1170 करोड़ रुपए ।

आठवीं पचवर्षीय योजना (1991-92)— राजस्थान की आठवीं योजना 11500 करोड़ रुपए की निर्धारित की गई है । आठवीं योजना की निर्धारित राशि सातवीं योजना के वास्तविक परिव्यय से 270 22 प्रतिशत अधिक है । आठवीं पच वर्षीय योजना का प्रस्तावित व्यय मार्च 1990 तक विभिन्न पच वर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के वास्तविक व्यय (7140 91 करोड़ रुपए) से 4359 09 करोड़ रुपए अधिक है । आठवीं योजना में वास्तविक व्यय 12000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

आठवीं योजना में सर्वाधिक ध्यान ऊर्जा विकास पर केन्द्रित किया गया है । ऊर्जा के लिए प्रस्तावित व्यय का 28 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया । ऊर्जा विकास के बाद सबसे अधिक ध्यान सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ और सिंचाई एव बढ नियंत्रण पर दिया गया है । आठवीं योजना में क्षेत्रवार परिव्यय आवटन इस प्रकार

1 राजस्थान पत्रिका 11 जनवरी, 1997

2. Draft Light Lane Plans, Part I Rajasthan

है — कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ 1286 92 करोड रुपए, सिचाई एव बाढ नियंत्रण 1919 49 करोड रुपए, ऊर्जा 3255 49 करोड रुपए, उद्योग व खनिज 536 02 करोड रुपए, यातायात 783 97 करोड रुपए, वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसंधान 19 96 करोड रुपए, सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ 2461 62 करोड रुपए, आर्थिक सेवाएँ 71 72 करोड रुपए तथा सामान्य सेवाएँ 58 56 करोड रुपए ।

वार्षिक योजना — राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत निवेश 1992 93 में 320 प्रति व्यक्ति से बढ़कर 1996 97 में 727 रुपए हो गया है । देश मे योजना के आकार में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में ही हुई है । राज्य की वार्षिक योजनाओं के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । वार्षिक योजना का आकार 1992 93 में 1400 करोड रुपए था जो बढ़कर 1993 94 में 1700 करोड रुपए, 1994-95 मे 2450 करोड रुपए तथा 1995-96 में और बढ़कर 3200 करोड रुपए हो गया । आठवीं योजना के आकार को देखते हुए 1996-97 का वार्षिक योजना 2750 करोड रुपए की होनी चाहिए थी किन्तु विकासगत जरूरत को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3200 करोड रुपए की निर्धारित की गई ।

राजस्थान की 1994-95 की वार्षिक योजना में गत वर्ष की तुलना मे 44 11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 1994 95 की वार्षिक योजना का विकास शीर्ष अनुसार वास्तविक व्यय इस प्रकार है -

योजना उद्व्यय 1994 95

विकास शीर्ष	वास्तविक उद्व्यय (करोड रुपए)	कुल का प्रतिशत
1 कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ	240 21	9 94
2 ग्रामीण विकास	180 54	7 47
3 विशिष्ट क्षेत्रीय योजना	3 45	0 14
4 सिचाई एव बाढ नियंत्रण	381 13	15 78
5 ऊर्जा	651 39	26 96
6 उद्योग व खनिज	127 64	5 28
7 यातायात	178 62	7 39
8 वैज्ञानिक सेवाएँ एव अनुसंधान	3 91	0 16
9 सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ	606 51	25 11
10 आर्थिक सेवाएँ	17 72	0 73
11 सामान्य सेवाएँ	24 63	1 02
कुल	2415 75	100 00

स्रोत - आर्थिक समीक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार ।

वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक ध्यान ऊर्जा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर केन्द्रित किया गया है। इस विकास शीर्षों पर वास्तविक व्यय कुल योजना परिव्यय का क्रमशः 26.96 प्रतिशत 25.11 प्रतिशत 15.78 प्रतिशत रहा।

राजस्थान की जनसंख्या

राजस्थान की जनसंख्या की विकरालता विकट समस्या है। बढ़ती जनसंख्या अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास में अवरोध साबित हो रही है। जनसंख्या के सखात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्त्वपूर्ण है। तीव्र आर्थिक विकास के वास्ते तेज गति से बढ़ रही आबादी को धामना परिहार्य है। इसके अभाव में विकासगत प्रयासों की कोई प्रासंगिकता शेष नहीं रह सकेगी।

मानवीय साधनों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का नितान्त अभाव है। सरकार प्रान्त में साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए सचेष्ट है। हाल ही के वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। लोगों की आमदनी के बढ़ने से जनसंख्या की गुणात्मकता में वृद्धि दृष्टिगोचर हुयी है।

द पापुलेशन ऑफ राजस्थान, 1991 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4,40,05,990 थी। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 3,39,38,877 तथा शहरी जनसंख्या 1,00,67,113 थी। वर्ष 1981 में राज्य की जनसंख्या 3.43 करोड़ थी। 1981 से 1991 के बीच राज्य की जनसंख्या में 97 करोड़ व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुयी है। 1981-91 के दशक में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 28.44 प्रतिशत बैठती है जो भारत की दशकीय वृद्धि (23.85 प्रतिशत) की तुलना में 4.59 प्रतिशत अधिक है। जाहिर है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि डरावने काले बादलों की तरह भडरा रही है।

राजस्थान में 1951 से 1991 तक की अवधि में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि अप्राकृत है।

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1951	1.60	15.2
1961	2.02	26.2
1971	2.58	27.8
1981	3.43	33.0
1991	4.40	28.4

स्वतंत्रता—उपरात राजस्थान की जनसंख्या 1951 में 1 60 करोड़ से बढ़कर 1991 में 4 40 करोड़ हो गयी । चालीस वर्षों में 2 80 करोड़ की वृद्धि हो गयी । 1951 से 1981 तक जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी । 1991 की दशकीय वृद्धि का 1981 की तुलना में कम होना प्रान्त के लिए शुभ संकेत है लेकिन अखिल भारत की वृद्धि दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है । अतः राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर को भविष्य में और कम करने की आवश्यकता है । 1991 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5 20 प्रतिशत रही है ।

जनसंख्या घनत्व—प्रति वर्ष 2 84 प्रतिशत की गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण राज्य में जनसंख्या के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1991 की जनगणना के अनुसार यह प्रति वर्ग कि मी 128 रहा जबकि 1981 में यह 100 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी था । राज्य के सभी जिलों में तीव्र आर्थिक विकास नहीं होने के कारण घनत्व में काफी अंतर है । जयपुर जिले में जनसंख्या घनत्व 335 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी है जो कि सर्वाधिक है । जैसलमेर जिले में यह 9 है जो कि राज्य में सबसे कम है । 1981 में तो केवल 6 ही था ।

लिंग अनुपात —प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या में हो रही कमी महिलाओं के प्रति उपक्षित व्यवहार का परिचायक है । राज्य में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1991 में 910 है जो कि अखिल भारत स्तर के लिंग अनुपात (927) से 17 कम है । 1981 में यह अनुपात 919 था 1980-81 के दशक में राज्य में लिंग अनुपात में 6 अंकों की गिरावट आयी है । 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के सभी जिलों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम पायी गई ।

साक्षरता—साक्षरता की दृष्टि से राज्य की स्थिति बंदी सोचनीय है । महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत नीची है । ग्रामीण स्त्रियों का तो हाल ही बेहाल है । 1991 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता 38 55 प्रतिशत रही, 1981 की साक्षरता का प्रतिशत 30 1 था पिछले दस वर्षों में साक्षरता में 8 45 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन राज्य आज भी इस दृष्टि से काफी पिछड़ी हुयी दशा में है । अखिल भारत स्तर पर साक्षरता 52 11 प्रतिशत है । 1981 में राजस्थान साक्षरता में सबसे नीचले क्रम पर था, 1991 में भी बिहार को छोड़कर सबसे नीचे है । महिला साक्षरता की दृष्टि से तो राज्य आज भी नीचले क्रम पर है । साक्षरता में वृद्धि अत्यावश्यक है । इसमें अनेक समस्याओं का समाधान समाहित है ।

इससे शादी की उम्र बडेगी लग परिवार नियोजन के लाभ को बखुबी समोगे ।

जनसख्या की अन्य महत्वपूण प्रवृत्ति राज्य मे श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढाचे मे बदलाव की है । वष 1971 म कुछ श्रम शक्ति जनसख्या का 34.1 प्रतिशत थी जो 1981 मे बढकर 36.6 प्रतिशत हो गई । वर्ष 1991 मे कुल श्रम शक्ति जनसख्या का 38.87 प्रतिशत रही ।

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा

कुल श्रमिको का विभिन्न औद्योगिक श्रेणियो के अनुसार वितरण निम्नलिखित तालिका मे दशाया गया है —

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा —

(प्रतिशत मे)

औद्योगिक श्रेणी	1981	1991
1 कृषक	64.5	58.80
2 खेतिहर श्रमिक	8.5	10.00
3 पशुधन मछली वन आदि	2.8	1.80
4 खनन पत्थर निकालना	0.7	1.03
5 (अ) घरेलू उद्योग	3.0	2.0
(आ) घरेलू उद्योग क अलावा उद्योग	5.0	5.45
6 निर्माण	1.7	2.42
7 व्यापार व वाणिज्य	4.4	6.41
8 परिवहन सग्रह व संचार	2.1	2.39
9 अन्य सवाएँ	7.3	9.69
कुल (लगभग)	100.00	100.00

कृषि एव सहायक क्रियाआ म (श्रमा एक स तीन तरफ) श्रम शक्ति का रूप 1981 की तुलना म वष 1991 म 5.2 प्रतिशत कम हुआ है खनन व उद्योग म (श्रमा चार व पाच) यह मामूला 0.22 प्रतिशत कम हुआ है । निर्माण व सजाओ म (श्रमा छ से नौ तक) 5.41 प्रतिशत बढा है ।

वष 1991 म राज्य म श्रम शक्ति क आद्यागिक वितरण म 1981 का तुलना म जो परिवर्तन आया है वह एक सही दिशा म हान वाला परिवर्तन है । इस ढांगन कृषि का महत्व कम हुआ है । निर्माण व सजाओ क क्षेत्र म प्रगति अनन्तता है ।

राजस्थान में तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या एक चिंताजनक स्थिति है। कुल आबादी में 61 प्रतिशत गैर श्रमिक है। प्रति हजार पुरुषों के पीछे घटती महिलाओं की संख्या, साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि चिंताजनक पहलू हैं। कृषि क्षेत्र पर आश्रितों की संख्या अभी अधिक बनी हुई है। अधिक आबादी के सामने राज्य के अथाह प्राकृतिक साधन सीमित नजर आने लगे हैं। अतः बढ़ रही आबादी की दर को तेजी से कम करने की सख्त आवश्यकता है।

तीव्रता से बढ़ रही आबादी के अनेक कारणों में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण, निर्धनता आदि मुख्य हैं। आज भी अधिकांश भाग में जन्म लेने वाले बच्चे को दायित्व के रूप में नहीं लिया जाकर परिवार की आर्थिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। ग्रामीणों में इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है, शहरी निर्धनों में भी कमोबेश यही हालत है।

बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय साधनों में वृद्धि की पुरजोर कोशिश की जाए। इसमें सरकारी प्रयत्न के साथ जन सहयोग भी लाजिमी है। यदि समस्त राष्ट्र में साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियंत्रण में कारगर सिद्ध हो सकता है।

सरकार सावचेत है लोगों में भी जागृति है। लोग खुद-ब-खुद परिवार नियोजन को आत्मसात करने लगे हैं। कई स्वैच्छिक समूह भी इस ओर अग्रसर हैं। सर्वाधिक आवश्यकता पारिस्थिकी सतुलन तथा आबादी को नियंत्रित करने की है। ऐसा करने से मानव पूंजी में अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढ़ी के हित सुरक्षित रहेंगे। यदि इसमें सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान आर्थिक विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में होगा। राजस्थान में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनों को गति देने की आवश्यकता है। यहाँ विकास की विपुल संभावनाएँ हैं।



औद्योगिक पृष्ठभूमि

परिचयात्मक :-

भारत के इतिहास में राजस्थान का एक गौरवमय स्थान रहा है। राजस्थान अनेक साहसी और पराक्रमी योद्धाओं की जन्म स्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाईयों की तपोभूमि राजस्थान ने बिड़ला, डालमिया, सिधानिया, बागड, पोद्दार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत में काफी ख्याति अर्जित की है।

राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से नवा स्थान है। राजस्थान का निर्माण 19 छोटे छोटे राज्यों व तीन चीफशिपों के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य जनसंख्या आकार, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 में सम्पन्न हुई थी। राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप 1 नवम्बर 1956 को लागू हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य था। आज जबकि राजस्थान नियोजित विकास के चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी देश के अन्य राज्यों यथा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा आदि की तुलना में पिछड़ा हुआ है। 1949 के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान में बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं था। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत सृजन परिवहन, पानी, शिक्षा व चिकित्सा आदि पर काफी बल दिया है। 1986-87 में राजस्थान का समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र में दसवा स्थान रहा है।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगों का लगभग 2 प्रतिशत अंश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प है। प्रान्त में कृषि पर आधारित

केन्द्रीय विनियोगों का लगभग 2 प्रतिशत अंश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प है । जबकि राज्य में विभिन्न उद्योगों के विकास की प्रबल सभावनाएँ हैं ।

राजस्थान नियोजित विकास के साठे चार दशक पूरे कर चुका है । योजनाकाल में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये गए । जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है । समग्र राज्य में उद्योगों विशेष रूप से लघु उद्योगों का विकास हुआ है ।

आज राज्य में आधारभूत सारचना की स्थिति में सुधार आने के कारण उद्योगपति विनियोग करने में उतना नहीं कतराते जितना कि पूर्व के दशकों में राज्य के उद्योगपति भी मातृभूमि से अपने किशते को देखते हुए थोड़ी तिलाजलि देने को तत्पर हैं । वर्तमान में राजस्थान में सूती व सिंथेटिक रेशों की इकाइया, ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविजन, टायर ट्यूब फ़ैक्ट्री, वनस्पति तेल की मीले, इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइया खनिज आधारित बड़ी व मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि हैं ।

राजस्थान से वर्ष 1994-95 में मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिक वस्तुएँ, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएँ, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित वस्तुओं का निर्यात किया गया । वर्ष 1994-95 में राज्य से लगभग 2800 करोड़ का निर्यात किया गया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना है । श्रेष्ठ निर्यातकों को राज्य में पुरस्कृत किया जाता है ।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था । केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों यथा अ, व तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे—

- (अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चुरू व बाड़मेर जिलों के लिये रखी गई थी । ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे । सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रुपए रखी गई ।
- (ब) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पाँच जिला अलवर, भोलवाडा, जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपए रखी गई ।
- (स) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलों बासवाडा, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनू, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए रखी गई ।

शेष 11 जिलों अजमेर, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा, सर्वाइनाधोपुर, गगानगर, पाली व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी ।

औद्योगिक विकास की व्यूहरचना

राजस्थान प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से बेहद सम्पन्न प्रांत है। खनिजों की बहुलता के कारण यह देश में 'खनिजों का अजायबघर' के नाम से जाना जाता है। यहां की मरुधरा न केवल खनिजों की जननी है अपितु इसने बड़े औद्योगिक घरानों को भी जन्म दिया है। जिन्होंने देश के औद्योगीकरण में सारगर्भित भूमिका निभाई है। मानवीय ससाधनों की भी यहां कोई कमी नहीं है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहां का श्रमिक कुदरती मेहनती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान औद्योगिक विकास की राह के लिए तरस रहा है।

राजस्थान सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा। औद्योगिक विकास की गति वास्ते कारगर नीति निर्धारण नहीं की गई। औद्योगिक घरानों ने भी यहां के विकास में विशेष रुचि नहीं ली नतीजतन औद्योगिक विकास गति नहीं पकड़ सका और विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से पिछड़ गया। यहां चंद औद्योगिक परियोजनाएँ हैं जो तीव्र विकास के लिए गति निर्धारक भूमिका निभाने में असाहय हैं।

आर्थिक योजनाओं के प्रारंभ किये जाने से लेकर आज तक यहां कुछ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है जिन्हें अगुलिया पर गिना जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में यहां सूती वस्त्र चीनी मिले सीमेन्ट उद्योग नमक वनस्पति तथा काच उद्योग से संबंधित इकाइयाँ हैं इनमें से भी कई इकाइयाँ भयंकर रुग्णता की समस्या से ग्रसित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सुप्रसिद्ध सीमेन्ट उद्योग 'जयपुर उद्योग लि' उल्लेखनीय है। ध्यातव्य है कि यह वर्ष 1987 से बंद पड़ा है। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। प्रांत में जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ है, वह क्षेत्रीय विषमता की समस्या से ग्रसित है। कोटा जहाँ औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरा वही सर्वाईमाधोपुर, बारा आदि जिले उद्योगों की स्थापना के लिए लालायित हैं। जबकि इन जिलों में ससाधनों की कोई कमी नहीं है।

राज्य में मध्यम एवं लघु पैमाने के उद्योगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। सख्तात्मक दृष्टि से यद्यपि ये अत्यधिक हो सकते हैं, किन्तु औद्योगिक विकास में इनका विशेष योगदान नहीं है। अधिकांश लघु उद्योगी येन-केन प्रकारेण सरकारी सुविधाएँ एवं रियायतें आदि प्राप्त करने तक ही प्रयत्नशील रहते हैं।

राजस्थान का औद्योगिक विकास अपेक्षित गति से नहीं होने के कारण भारत के औद्योगिक विकास में इसका योगदान अत्यल्प रहा है। वर्तमान स्थिति में औद्योगिक विकास की दृष्टि से सुदृढ़ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की हो। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने

के लिए समय समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब तक राज्य सरकार 1978, 1990 तथा 1994 में औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुकी है। वर्ष 1994 में घोषित की गई राज्य औद्योगिक नीति उल्लेखनीय है। यह केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गई जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति के अनुरूप तथा वर्तमान में बदले आर्थिक परिवेश के अनुसार अर्थव्यवस्था को समायोजित करने वाले राजस्थान सरकार की पुरजोर कोशिश है। किंतु 1994 से पूर्व घोषित की गई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास की गति को तेजी से बढ़ाने में सफल नहीं हो सकी।

वर्ष 1994 की ताजी औद्योगिक नीति में तीव्र औद्योगीकरण ससाधनों का अधिकतम उपयोग रोजगार सृजन क्षेत्रीय सतुलन निर्यात संवर्द्धन हस्तशिल्प खादी ग्रामोद्योग लघु उद्योगों को बढ़ावा आदि उद्देश्यों को समाहित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों को समाहित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों को अजित करने में सरकार ने जो औद्योगिक व्यूह रचना निर्धारित की है उनमें विनियोजन वातावरण में सुधार अद्य सरचना का विकास नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण उद्योगों को शीघ्र अनुमति देना निजी क्षेत्र को बढ़ावा श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार रोजगारोन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि मुख्य हैं।

आर्थिक सुधारों के सक्रमण काल में भारत में विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वास्तविक निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति के मुकाबले कम हुआ है फिर भी यह उल्लेखनीय रहा है। गौरतलब है कि देश में जो विदेशी पूंजी निवेश हुआ है वह अधिकांशतः महाराष्ट्र तथा गुजरात तक सीमित रहा है। राजस्थान में पूंजी निवेश नगण्य सा ही है। अतः इस ओर राजस्थान को गंभीरता से चिंतन है। कहीं न कहीं खामी अवश्य रही है। अन्यथा कम निवेश का कारण क्या है? कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका क्रियान्वयन है। कांशिश ऐसी हो कि विदेशी स्वतः आकर्षित हो। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे औद्योगिक वातावरण एवं औद्योगिक संस्कृति की आवश्यकता होती है। आधारभूत अद्य सरचना का भी बेहद आवश्यक है। इनके अभाव में तीव्र औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधारभूत सरचना के साथ प्रतिस्पर्धी औद्योगिक सुविधाएँ एवं रियायतें चाहिए। सभी औद्योगिक सुविधाएँ एक ही छत के नीचे हो तथा निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

सारत राजस्थान की जो समस्याएँ हैं अन्य राज्यों से पृथक हैं। यहाँ की विषय भौगोलिक स्थिति विकास में प्रमुख बाधा है। ऊर्जा की कमी है। सर्वप्रथम इन समस्याओं का स्थायी हल खोजना है। तब कहीं जाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में गति पक पाएगा।



राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग

प्रमुख वृहद् उद्योग

वर्तमान में राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योगों में सीमेन्ट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग चीनी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य हैं। जिनका विवरण अग्रकृत है।

1. सीमेन्ट उद्योग

भवन निर्माण सामग्री में सीमेन्ट उद्योग का वर्चस्व काफी समय से चला आ रहा है। जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि से कोई प्रतिस्थापन नहीं है। राजस्थान सीमेन्ट उद्योग में भारत का अगुआ राज्य माना जाता है। प्रान्त में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी (बूंदी) में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गई इसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लि. स्थापित किया गया।

राजस्थान में साधारण पोर्टलैण्ड सीमेन्ट बनाने वाले प्रमुख रोटररी किनून संयंत्र निम्नानुसार हैं—

क्र.सं.	इकाई	प्रक्रम	प्रारम्भिक उत्पादन
1	लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स (एसीसी) लाखेरी	आर्द्र	1917
2	जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर	आर्द्र	1953 से 1959
3	बिडला सीमेन्ट वर्क्स चित्तोडगढ़	शुष्क	1967 से 1969
4	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स उदयपुर	शुष्क	1970
5	जेके सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा	शुष्क	1974 से 1982
6	लाखेरी सीमेन्ट सिरोही	शुष्क	1982
7	मगलम सीमेन्ट मोडक (कोटा)	शुष्क	1982
8	जे के व्हाईट सीमेन्ट गोटन	शुष्क	1984
9	श्री सागेन्ट लिमिटेड ब्यावर	शुष्क	1985

राज्य में पिछले कुछेक वर्षों से सीमेन्ट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है

वर्ष	सीमेन्ट का उत्पादन (हजार में टन)
1984	3017
1985	3939
1986	3654
1987	3898
1988	3947
1989	4175
1990	4263
1991	4774
1992	4828
1993	4749
1994	6567 41
1995	6447 14

स्रोत आय व्ययक अध्ययन 1991-92 एवं 1994 95 आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार

सीमेन्ट उद्योग पूजा गहन व ऊँचा गहन उद्योग है । राजस्थान में सीमेन्ट सयंत्र ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न है, वैगन आपूर्ति आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती है । जनशक्ति में उच्च स्तर की दक्षता और आधुनिक सयंत्रों को चलाने की योग्यता की आवश्यकता है । इसके संचालन व रख रखाव के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है । सीमेन्ट के मूल्य व वितरण सबधो नीति भी दोषपूर्ण है, इसके बार बार बदलने से इस उद्योग में अनिश्चितता बनी रहती है । पुरानी सीमेन्ट फैक्ट्रियाँ पुरानी तकनीक को अपनाए हुए हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है । अधिकांश सीमेन्ट सयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करते हैं । आधुनिकीकरण व विवेकीकरण का नितात अभाव है । मिनो सीमेन्ट प्लांट प्रतिस्पर्धा में बड़े सीमेन्ट प्लांट के सामने नहीं टिक पाते हैं ।

राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है । राज्य में इस उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है । सीमेन्ट ग्रेड चूने की बाहुल्यता है, जिप्सम भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में है । कायला बाहर से मगाना पड़ता है । सीमेन्ट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1990-91 के राज्य बजट में सीमेन्ट पर केन्द्रीय विद्वी कर 16 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया । आशा है

भविष्य में सोमट उद्योग का काफी विकास होगा ।

2 सूती वस्त्र उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है । यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । राज्य में पहली सूती वस्त्र मील ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र में स्थापित की गई । इसके पश्चात ब्यावर शहर में ही 1906 में एडवड मिल्स-लि व 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुई । वृहद राजस्थान के निर्माण के समय 1949 में राज्य में 7 सूती मीले थी । वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई । इनमें से 17 मीले निजी क्षेत्र में 3 मीले सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 सहकारी क्षेत्र में हैं ।

राजस्थान में सूत व सूती वस्त्र के उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है

वर्ष	सूत (हजार टन)	सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)
1978	33 6	3 32
1983	42 7	5 58
1989	47 5	4 05
1990	48 6	4 66
1992		3 78
1993		3 80
1994		3 73
1995		4 11 (प्रावधानिक)

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1994 95 आर्थिक समीक्षा 1995 96

राजस्थान सरकार राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास वास्ते सूती वस्त्र मीला के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है । कच्चे माल के रूप में लम्बे रेशे के कपास की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए । कुप्रबंध को नियंत्रित एवं पर्याप्त मात्रा में पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए । बंद इकाइयों के बारे में अविलम्ब निर्णय लिया जाए तथा रण्यता के कारणों की बारीकी से जांच की जाए । श्रम संबंधी समस्याएँ मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती हैं । प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए ।

3 चीनी उद्योग

राजस्थान में चीनी की तीन मीले हैं । केशोराय पाटन (बूदी) मेवाड (चित्तोडगढ़) तथा श्रीगानगर । सर्वप्रथम 1932 में मेवाड चीनी मिल्स की स्थापना भोपाल सागर में

की गई । 1938 में गगानगर चीनी मिल्स की स्थापना की गई इसमें उत्पादन 1946 से प्रारंभ हुआ । एक जुलाई 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है । 1965 में श्री केशोराय पाटन सहकारी सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई । राजस्थान में कार्यरत चीनी की तीना माले निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में होने के कारण ये तीन प्रकार के सगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है । राज्य में चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति निम्न तालिका से स्पष्ट है ।

वर्ष	उत्पादन (हजार में टन)
1984	22
1985	20
1986	16
1987	23
1988	09
1989	12
1990	13
1991	25
1992	39
1993	26
1994	12
1995 (प्रावधानिक)	25

स्रोत आय व्यवक अध्ययन 1991-92 एवं 1994-95 आर्थिक समीक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार

राज्य की चीनी मीले घाटे की समस्या से पीड़ित है । घाटे का मुख्य कारण गबन घोटाले गन्ने की चोरी बिना काम के वेतन लेने की प्रवृत्ति कुप्रबंध आदि है । चीनी मीलों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार तथा मीले में क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराई कर घाटे को कम किया जा सकता है । मीलों के लिए वित्त नई मशीने व पाँवर का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । मीला को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गौण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए । चीनी मोला में मोलासिस की अतिरिक्त मात्रा को देखते हुए डिस्टिलरी इकाइयों की मरम्मत बढाई जा सकती है ।

4. नमक उद्योग

नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सम्पूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थान है । नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएँ प्रान्त में उपलब्ध हैं । यहाँ खारे पानी

का बाल बहुत अधिक है । वर्तमान में राज्य में सावनानक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है । राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम निम्नांकित हैं—

- 1 राजस्थान स्टेट कामकल्स बक्स डाडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)
- 2 राजस्थान स्टेट केमिकल्स बक्स डीडवाना (सोडियम सल्फेट बक्स)
- 3 राजस्थान सरकार का साल्ट बक्स डाडवाना
- 4 राजस्थान सरकार का साल्ट बक्स पंचभद्रा

साभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का सहायक कम्पनी साभर साल्ट्स लिमिटेड की देखरेख में होता है । साभर बाल नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है । राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने के उद्योग पावनरन फलोदी कुचामन व नाबानगर (नागार) में पाये जाते हैं ।

राजस्थान में नमक उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	उत्पादन (हजार म टन)
1984	821
1985	993
1986	906
1987	833
1988	1038
1989	934
1990	1055
1991	1441
1992	1181
1993	1296
1994	1171
1995 (प्रावधानिक)	1169

स्रोत आय चयक अध्ययन 1991-92 एच 1994-95 राजस्थान आर्थिक समाक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार ।

राजस्थान का खार पाना की झाला में (डीडवाना) सोडियम सल्फेट अधिक हान के कारण अखाद्य नमक का उत्पादन अधिक होता है जिसे बचाने में कठिनाई आती है । राज्य सरकार के नमक उपक्रम या तो बंद हो या घाटे में चल रहे हैं । राजस्थान स्टेट केमिकल्स बक्स 1988 से बंद कर दिया गया है । राज्य में नमक आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है । राज्य सरकार के नमक उपक्रमों की प्रवृत्ति व्यवस्था बेहतर बनकर स्थिति को सुधारा जा सकता है ।

5 काँच उद्योग

काँच बनाने में बालू मिट्टी सिलिका मिट्टी साडा सल्फेट शारा चूने का पत्थर आदि प्रयुक्त होते हैं । ये सभी राज्य में बहुतायत में उपलब्ध है । काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में है ।

राज्य में काँच बनाने के आठ कारखाने हैं जिसमें से पांच कारखाने बंद पड़े हैं उदयपुर कारखाने में उत्पादन हाल ही प्रारम्भ हुआ है । वर्तमान में धौलपुर में निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं—

1 धौलपुर ग्लास वर्क्स—इसमें लगभग एक हजार टन वार्षिक काँच का उत्पादन होता है । यह कारखाना निजी क्षेत्र में कार्यरत है ।

2 हाई टेक प्रसाशन ग्लास वर्क्स धौलपुर यह कारखाना दा गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अन्तर्गत है एवं मदिरा विभाग के लिए बॉटल का उत्पादन करता है ।

राज्य में सिलिका मिट्टी के भण्डार को देखते हुए काँच उद्योग के विकास का काफी संभावनाएँ हैं । जयपुर मवाड़माधापुर बाकानेर, चूड़ो तथा उदयपुर में काँच के कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं । काँच के बंद पड़े कारखानों का शात्र चालू कर यहाँ काँच उद्योग से संबंधित संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है । सरकार का उदारनीति इसको और विकसित कर सकती है ।

6 वनस्पति घी उद्योग

मूंगफली व धिनील का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है । राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भालवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया । इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व गगानगर आदि शहरों में स्थापित हुए ।

राज्य में वनस्पति घी की मांग में हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है । 1970-71 से 1980-81 के मध्य वनस्पति घी का उत्पादन तिगुना हो गया है ।

राज्य में वनस्पति घी उत्पादन की स्थिति निम्नांकित है—

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1970-71	19.8
1980-81	58.0
1985-86	65.7
1989-90	54.6
1990-91	51.5
1992	34.2
1993	33.8
1994	39.7
1995	41.2

स्रोत: अर्थ वित्त अथवा राजस्थान 1990-91 एवं 1992-93 अर्थिक समीक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार।

राज्य में मूंगफली व बिनौले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों का नितान्त अभाव है। उत्पादित घी की किस्म भी घटिया है। कारखानों के पास सहायक उद्योगों का अभाव होने के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। पूँजी व कुशल श्रमिकों का अभाव भी राज्य में है।

राज्य में वनस्पति घी की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए इसके विकास की काफी संभावनाएँ हैं। मूंगफली व बिनौले का उत्पादन भी राज्य में बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान नहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। राज्य में इस उद्योग का भविष्य उज्वल है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान में सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति घी, काच व नमक आदि उद्योगों की प्रभावी भूमिका है। भविष्य में इन उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं।

राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

राजस्थान में केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का भाग बहुत कम है, यह 1970 में केवल 0.9 प्रतिशत ही था, 1985 में केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का 1.4 प्रतिशत अंश लगा हुआ था। राज्य में केन्द्र का निवेश वर्ष 1990-91 में 1.70 प्रतिशत था।

राज्य में कुछ प्रमुख केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्रांकित हैं।

- 1 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी, उदयपुर
- 2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी, झुन्झुनू
- 3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर
- 4 इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा
- 5 साभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर
- 6 मॉडर्न बकरीज, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
- 7 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड, कनकपुरा (जयपुर)
- 8 गैस आधारित पॉवर सयंत्र अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा स्थापित)

राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमा की सक्षिप्त जानकारी इस

प्रकार है—

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड—यह जस्ता व सीसा के उत्पादन के साथ भारत के आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है । 1966 में स्थापित हिन्दुस्तान जिंक लि. बहु इकाई व बहुत उत्पादन वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है जो सीसा जस्ता की आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है । वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देश के विभिन्न भागों में आठ इकाइयाँ संचालित कर रहा है जिसमें निम्न इकाइयाँ राजस्थान में हैं ।

- 1 जवार माइन्स राजस्थान
- 2 राजपुरा दरीबा माइन, राजस्थान
- 3 मट्टून रॉक फास्फेट माइन, राजस्थान
- 4 देबारी जिंक स्मेल्टर, राजस्थान

2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड—राजस्थान के झुन्झुनू जिले में अरावली पर्वत शृंखला में स्थित एक छोटी सी इकाई खेतड़ी आज देश में ताप्र उत्पादन के क्षेत्र में अति आधुनिक और प्रौद्योगिकी इकाई के रूप में उभर कर सामने आई है । इसके (खेतड़ी कॉपर कांफ्लेक्स) के विकास का फैसला सन् 1962 में लिया गया । सन् 1967 में शाफ्ट खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया । सन् 1970 में सबसे पहले अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ । ताप्र उत्पादन 5 फरवरी, 1975 को प्रारम्भ हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने खेतड़ी कॉपर काम्प्लेक्स में एशिया के सबसे बड़े प्रणालिक सयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया ।

3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर—भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाई एच एम टी इकाई वॉच व तीन डेयरी मशीनरी की इकाइयाँ हैं । एच एम टी अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है । भारत में एच एम टी को 1987-88 में 31 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

4 इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा—कोटा सयंत्र 1965 में स्थापित किया गया था । इसमें 1968-69 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ । इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) में स्थित है । इसे 1987-88 में 2.63 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

5 सांभर साल्ट्स लिमिटेड—यह हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी है । राजस्थान की सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है । यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है ।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड 30 सितम्बर 1964 में स्थापित हुई । इसे पिछले वर्षों में शुद्ध घाटा रहा है । 1987-88 में घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी ।

6 मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड—यह 1965 से स्थापित हुई इसकी 13 ब्रेड इकाइयाँ हैं इनमें से एक मॉडर्न बेकरीज, जयपुर है । इसे 1987-88 में 90 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ । 1990 में 50 लाख रुपए व 1991 में 257 लाख रुपए की हानि हुई ।

7 राजस्थान इलैक्ट्रानिक व इन्स्ट्रुमेन्टल लिमिटेड कनकपुर नयपुर यह कोटा इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड का सहायक कम्पना है । इसमें भारत सरकार को 51 प्रतिशत तथा राका का 49 प्रतिशत पूजा लगी हुई । इन्हे 1987-88 में 42 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ ।

राजस्थान में केन्द्र सरकार के लगभग सभी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं फिर भी उपक्रमों की सख्या एक अक तक सीमित है । ना कि राज्य के लिए दुखद स्थिति है । केन्द्रिय औद्योगिक विनियोगा का सामित भाग केन्द्र का राज्य के प्रति सोतले व्यवहार का द्योतक है ।

राजस्थान सरकार के सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम

राजस्थान में राज्य सरकार के कुल 41 सावजनिक उपक्रम हैं । इनमें से 7 वैधानिक निगम 16 कम्पना कानून के अन्तगत पनाकृत कम्पनिया 14 पनाकृत सहकारा सस्थान एवं 4 विभागाय उपक्रम हैं । सहकारा सस्थान के अन्तगत तिलम सधम 1990-91 में बना था । राज्य सरकार के अनुसार उक्त उपक्रमा में से 9 को नववध ऋणात्मक 6 उपक्रमा का 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्रमा का 50 से 100 प्रतिशत के बीच 19 उपक्रमों को 100 प्रतिशत से ऊपर है ।

विानयानन माच 1990 तक राज्य के 40 उपक्रमा में 5130.29 कराड रुपए का विनियोजन हा चुका था । इस विानयोजन में राज्य सरकार का योगदान 1445 कराड रुपए था । शेष धनराशि केन्द्र राज्यापकृत बैंक एवं अन्य सात द्वारा विानयानन का गई है ।

वित्तीय कायासद्धि राज्य सरकार के उपक्रमा में वित्तिय कायासाद्ध के क्षेत्र में निराश हा लक्या है । आधकाश उपक्रम घाट का समस्या में गमित है । छटा पच वर्षीय यानना के पाच वर्षों में कर से पूर्व शुद्ध घाटा 102 कराड रुपए का हुआ ना सवााधक था । कुल घाटा 1989-90 के अंत में 708 कराड रुपए तक पहुंच गया । राज्य के क सवजनिक प्रतिष्ठाना का स्वास्थ्य नाजुक दर में पहुंच चुका है । इनमें से अनेक प्रतिष्ठान असाध्य राग से ग्रासत हैं और कुछ नम ताड चुके हैं ।

सावजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमा में घाटा मुख्यतया गलत पारयानना का चयन कच्चे माल का अभाव औद्योगिक विवण माग का कमा कुप्रग्रध श्रम बाहुल्य गलत मूल्य नात अनवश्यक राजनाटक हस्तशप परियाननाआ का पलायन क्षमता का पूरा उपयोग नहा होना आदि कारणों से होता है । निन्ह प्रयास क द्वारा कम क्रिया ना सकता है । प्रान्त में सीमित ससाधना के बावजूत उपक्रमा में भारा विनियोजन का देखने हुए यह उपयुक्त होगा कि इन उपक्रमा के बारे में कुछ ठास निणय लिए जाए, अन्यथा धार धारे राज्य के सभा उपक्रमों का भविष्य अधकारमय होता चला जावगा ।



लघु उद्योगों की प्रगति

लघु उद्योग

सरकार द्वारा समय-समय पर लघु उद्योगों की परिभाषा परिवर्तित की जाती रही है। नई लघु औद्योगिक क्रान्ति नाति अगस्त 1991 में लघु उद्योगों का दू गइ परिभाषा निम्न प्रकार है

1 अति लघु क्षेत्र के उद्योगों में प्लाट व मशीनरी में निवेश सामा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इस मामले में इस बात का ध्यान नहीं रखा जायगा कि वह उद्योग किस तरह लगाया गया है।

2 लघु क्षेत्र में प्लाट व मशीनरी में निवेश सीमा 60 लाख रुपए कर दी है।

3 सहानुक उद्योगों तथा निर्यात-मुखी इकाईयों की प्लाट व मशीनरी में पूजा निवेश सामा क्रमशः 75-75 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है।

एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा का व्यापक बनाया जायगा और इसमें उद्योग से सम्बद्ध सभी सेवाएँ तथा व्यापारिक उद्यमियों को शामिल किया जायगा चाहे वह कहा भी स्थापित किए हुए हों उन्हें अब लघु उद्योगों के रूप में मान्यता दी जायगी और उनका निवेश सामा अत्यन्त लघु उद्योगों के अनुसार होगी।

लघु उद्योगों का दृष्टि में रानस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ फुल्टा व गैर फुल्टी क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफी है किन्तु मध्यम पमाने के उद्योगों का अभाव है। कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योगों में वनस्पति तेल/घा उद्योग गूड व खादसारी की इकाइया हाथ करघा उद्योग दाल फैक्टिया बकरा व कन्फेशनरी का इकाइया कपास की जिनिस व प्रसिग इकाइया दूरा व निवार बनाने का इकाइया आदि आती है। पशु आधारित लघु उद्योगों में दुग्ध पदार्थ चमड खाल हड्डिया ऊनी वस्त्र आदि

हाल ही में सरकार के प्रयत्नों से लघु उद्योगों के विकास हेतु अच्छा वातावरण बनने लगा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपने प्रयास द्वारा ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए कटिबद्ध है।

राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग

हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन उद्योग के विकास का विकल्प माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पर्यटक शिल्पकला की ओर आकृष्ट होने हैं, और अपने घर के किसी कोने में सजावट के लिए शिल्पों द्वारा निर्मित उत्पादन को खरीदने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कारीगर हाथ के औजारों से ऐसी अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें मशीनों द्वारा निर्मित किए जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। विदेशी माल की चकाचौंध में देशों प्राचीन कलात्मक वस्तुओं के प्रति, देशी विदेशी पर्यटकों के बढ़ते आकर्षण से हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है, यहाँ की निर्मित कलात्मक कृतियाँ देश विदेश में विख्यात हैं। यहाँ हस्तशिल्प उद्योग को अधिकांशतः पुरस्तनी धड़े के रूप में अपनाया जाता है। बढ़ती सरकारी सहायता और विदेशी मुद्रा के आकर्षण से हाल के वर्षों में नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे हैं। आज यह उद्योग राजस्थान के लाखों लोगों के जीवन बसर का साधन तथा राज्य सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है।

हस्तशिल्प के अद्भुत नमूने

राजस्थान के शिल्पकार अपने हस्तकौशल और चातुर्य से निर्जीव में हर रोज प्राण फूंकते हैं। यहाँ की अद्भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथा का कमाल और जादुई है। यहाँ के कुम्हारों का मूर्ति कला पर विशेष अधिकार है। जयपुर न केवल राजस्थान का बरन् भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बड़ा केन्द्र है, यहाँ की बँधज की चुनरियाँ ओढनियाँ लहरियाँ, बगरू व व साँगानरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध हैं। जयपुर की पाव रजाई को देशी विदेशी पर्यटक बड़े चाव से खरीदते हैं। इनके अलावा जयपुर में मूल्यवान रत्नों व सोने चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं के आभूषण पीतल पर खुदाई मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ, सगमरमर की मूर्तियाँ कारीगरों युक्त मोजडिया व नागरे ब्ल्यू पोटीरी मृण कला, लकड़ी के खिलौने व हाथीदात की वस्तुएँ आदि राजस्थानी शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। जयपुर निर्मित राजस्थान के आभूषण व जवाहरत विश्व प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर की मृण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा प्रतापगढ़ को काँच पर सोने की नक्काशी (धेवा कला) अलवर का पतली परतदार बतन कागजी,

18 ग्रामोद्योग लिए गए हैं। जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के 18 ग्रामोद्योग के नाम निम्न प्रकार हैं—

- 1 अनाज दाल प्रशोधन
- 2 घाणी तेल
- 3 गुड, खाडसारी
- 4 ताड गुड
- 5 कुटीर दियासलाई एवं अगरबत्ती
- 6 अखाद्य तेल व साबुन
- 7 बास बत
- 8 हाथ कामज
- 9 मधुमक्खी पालन
- 10 कुम्हारी
- 11 चर्म उद्योग
- 12 लुहारी सुथारी
- 13 रेशा
- 14 कली चूना
- 15 फल प्रशोधन
- 16 वन औषधि
- 17 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन
- 18 पोली वस्त्र

बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ में लेने के बाद राज्य में ग्रामोद्योग की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाईयाँ

वर्ष	संस्था	समिति	व्यक्तिगत	योग
1979-80	175	1500	10947	12622
1985 86	238	1556	70418	72212
1986-87	240	1556	81863	83659
1987-88	244	1557	91658	93459
1988 89	246	1557	102077	103830
1989-90	260	1561	111238	113059
1990-91	260	1561	117268	119089

स्रोत राजस्थान ग्रामोद्योग प्रवृत्तिया और प्रगति 1991-92

राज्य में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उत्पादन एवं रोजगार से सम्बन्धित प्रगति निम्न प्रकार है—

वर्ष	उत्पादन (लाख रु)	रोजगार (संख्या)
1979-80	1360 27	41804
1985-86	8991 63	195911
1986-87	10442 11	222551
1987-88	11649 02	238433
1988-89	13675 91	267675
1989 90	16158 30	284645
1990-91	18338 33	297654

स्रोत खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तियाँ और प्रगति 1991 92 पृ स 11

कुल विक्रय 1979 80 में ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1517 76 लाख रुपए थी जो बढ़कर 1988 89 में 17539 09 लाख रुपए हो गई । वर्ष 1979-80 में कुल हस्तकारी आय 294 68 लाख रुपए से बढ़कर 1988 89 में 6174 58 लाख रुपए हो गई ।

ग्रामोद्योगों के संगठन, वित्त व्यवस्था उत्पादन विधि व तकनीक विक्रय और औजारों के वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास किया जा सकता है ।



पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ

राजस्थान का पर्यटन उद्योग

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का देश में विशिष्ट स्थान है। जयपुर उदयपुर, जोधपुर व जैमलमर देश के पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से उभरे हैं। यहाँ की वास्तु शिल्प कला, सजात रंग बरंग त्यौहार एवं लोक कलाएँ पूरे विश्व में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र हैं। राजस्थान एक ओर जहाँ यौद्धाओं की शौर्य गाथाओं से परिचय कराता है वहीं दूसरी ओर शिल्पिया दस्तकारों कविया तथा इतिहासकारों पर भी गव करता है। यहां का प्रत्येक पत्थर, भवन स्तम्भ व रजकण इसके गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है।

पर्यटन स्थल—

राजस्थान अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक महत्ता और स्थापत्य कला के कारण देशी विदेशी पर्यटकों को अनायास ही आकर्षित करता है। राज्य मन्दिर, मस्जिद, दुर्ग अभयारण्य झीले व मरुस्थल आदि के कारण सुरम्य और मनमाहक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित हो सका है।

गुलाबी नगर के नाम से विख्यात जयपुर अपनी भव्यता और सुन्दरता के लिए 'भारत का परिसर' के नाम से विख्यात है। जयपुर में काँच कारीगरों प्राचीन व भित्ती चित्र के युक्त सिटी पैलेस सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वैद्यशाला जन्तर मन्त्र बिडला द्वारा स्थापित अन्तरिक्ष ज्ञान का खजाना बिडला प्लेनेटेरियम पाँच मजिला गोल व आगे निकले हुए झरोखे एवं खिडकियों से युक्त आधुनिक स्थापत्य कला का नमूना हवामहल रामनिवास बाग प्राण में अल्बट म्युजियम चिडियाघर व जन्तु शाला जयपुर राजघराने

के वैभव की याद दिलाती स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण गैटोर को छतरियाँ और इतिहास के गवाह जयगढ़, नाहरगढ़ व आमेर फोर्ट आदि दर्शनीय स्थल हैं। गलता लक्ष्मोनारायण मन्दिर, मोती झूरी के गणेश जी के बिना जयपुर का पर्यटन अधूरा है। ये हिन्दुओं के तीर्थ व सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हैं। गलता के प्रमुख कुण्ड गऊ मुख से निकली जलधारा आज भी रहस्यमयी बनी हुई है।

अपूर्व प्राकृतिक छटा और सौन्दर्य की गढ़ में सिमटा उदयपुर जो कि 'सिटा ऑफ लेक्स' के नाम से जाना जाता है अत्यन्त रमणीय स्थल है। पिछौला झील क मध्य स्थित जग मन्दिर व जग निवास अपनी सौन्दर्यता और फव्वारों की अद्भूत छटा के लिए प्रसिद्ध है। वृक्षों और पुष्पों से लदे पौधे की अनुपम छटा से युक्त सहलियों की चाड़ी राजस्थान के प्रसिद्ध उद्यानों में एक है। पिछौला झील के लिए ता यह कहा जाता है जो एक बार इसे देख लता है दुबारा आकर अवश्य देखना चाहना है। पास ही देश की वीरभूमि हल्दी घाटी है जहाँ कि गाथा सुन देशी विदेशी पर्यटक श्रद्धा स नतमस्तक होत हैं। फतहसागर व स्वरूप सागर नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। राजसमन्द बाँध कला का उत्कृष्ट नमूना तथा जयसमन्द एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नाथ द्वारा और काकरोली बल्लभ सम्प्रदाय के महान तीर्थ हैं।

ओधपुर का नाम लेते ही पन्नाधाय के त्याग की याद ताजा हो उठती है जिसने औरगजेब की कहरता से अजीत निह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। पुरातन ऐतिहासिकता वाला मेहरान गढ़ का किला है जो आज की पुस्तकालय, चित्र शाला व शस्त्रागार से सुसज्जित है। रणकपुर क प्रसिद्ध जैन मन्दिर की कला शिल्प तो अद्वितीय है, कारीगरी खम्भों युक्त बड़े-बड़े हाल हैं जिन्हें देख शैलानी प्रफुल्लित हो जाते हैं। पश्चिम और पूर्व की वास्तुकला का समागम उम्पेद भवन आधुनिक भवन निर्माण कला की अनुपम मशाल है।

प्रदेश का थार मरुस्थल प्रकृति द्वारा प्रदत्त हिमालय के अप्रिथम सौन्दर्य से कम नहीं है, जो कि रेत के धोरे से पटा हुआ है। भर मेला पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है जहाँ कभी गिनिज बुक में नाम दर्ज करवा चुके प्रसिद्ध नटवादन करणा भील को देखने के लिए लोग लालायित रहते थ। पर्यटकों की हवेली का अपना अलग ही आकर्षण है जिसे देखे बिना पर्यटक भर को नहीं छोड़ते।

राजस्थान का कश्मीर आबू, अरावली पर्वत का सर्वोच्च गुरु शिखर, विख्यात नक्की झील आदि सिरोंही जिले के पर्यटक स्थल हैं जहाँ प्रदेश को तपती धूप से निजात पाने को लोग आते हैं। यहाँ अत्यन्त कलात्मक मन्दिर देलवाडा है जहाँ का हर पत्थर वास्तुकला के विभिन्न नमूनों से भरा पड़ा है।

साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक अजमेर न केवल भारत का वरन् दुनियाँ के महत्वपूर्ण तीर्थों में एक है। भारत का मक्का खाना मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहाँ

देश विदेश के मुस्लिम दर्शनार्थ आते हैं। अजमेर से थोड़ी दूरी पर रमणोक वाटी के बीच बसा तीर्थराज पुष्कर है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को झील में स्नान करने लाखों नर-नारी एकत्रित होते हैं। पुष्कर श्रद्धा उमग और रगो का एक मनमोहक मेला है जहाँ राजस्थान की सस्कृति की एक सजीव झलक देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अजमेर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह और पुष्कर राज के कारण पर्यटकों के लिए कभी न भूलने वाला अद्भूत अनुभव है। ढाई दिन का झोपड़ा अन्य आकषण का केन्द्र है। जिसके दरवाजे पर कुरान की आयते खुदी हुई हैं। यहाँ की कारीगरी की कष्ट साध्य यथार्थता का श्रेय हिन्दू शिल्पकारों को जाता है।

राजस्थान अपने वन्य जीव पशु अभयारण्य तथा पक्षी विहार के कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में जाना जाता है। रणथम्भौर नेशनल पार्क व सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट गरजदे वनराजों के कारण प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में दडा जयसमद ताल छापरा राम सागर, आवू व गजनेर आदि अन्य वन्य जीव अभयारण्य हैं जहाँ हिरन साँभर जगली सूअर, चोटा, भालू, बारहसिंहा आदि देखने को मिलते हैं। भरतपुर का घना पक्षी विहार पक्षियों का अजायबघर है जहाँ साइबेरिया तक के पक्षी शिशिर ऋतु में अपना प्रवास करते हैं।

पर्यटन विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयास—

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई जो पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटन से सम्बन्धित आवास आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित कर रहा है। राजस्थान के परम्परागत गणगौर व तीज के मेले भवाड समारोह मरु मेला आदि सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य का पर्यटन विभाग प्रातिवर्ष आयोजित करता है इन्हे देखने के लिए न केवल रग बिरगी पोशाकों से सजी सवरी राजस्थान की ग्रामीण जनता वरन् पश्चात्य सस्कृति से जुड़े देशी विदेशी युवक युवतियाँ उमड पडते हैं। राज्य में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने व पर्यटकों को आवास आदि अन्य सुविधाएँ मुहैया करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम सचेत है।

वर्तमान में आर टी डी सी द्वारा राज्य में बीकानेर सीलीसेड, सरिस्का, भरतपुर, जयपुर, फतेहपुर, धौलपुर, पुष्कर, अजमेर, सवाईमाधोपुर कोटा, झालावाड, रिपभदेव, जयसमन्द, चित्तोडगढ, नाथद्वारा, उदयपुर, जैसलमेर में होटल तथा रतनगढ, बहरोड, महुवा, रतनपुर, देवगढ बर, पाँकरन में मिडर्वे का सचालन किया जा रहा है।¹

राजस्थान पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की आवास समस्या के समाधान के लिए पेइंग गेस्ट व हेरिटेज होटल नामक महत्त्वपूर्ण योजना शुरु की है। हेरिटेज होटल में पुणे

गढी, किलो व हवेलियों की वास्तुशिल्प में परिवर्तन किए बिना उनमें हाटल प्रारम्भ किए जाएँगे ।

हाल ही राज्य सरकार ने पर्यटन विकास की अनेक योजनाएँ बनाई हैं । जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के मरु त्रिकोण का पर्यटन का दृष्टि से विकसित किया जाएगा । इसके लिए ख्याति प्राप्त विशेष मसम पर्यटन एण्ड कम्पनी नर दिल्ली से 274.58 करोड़ रूपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है । इसके साथ ही 0.68 करोड़ रूपए की मेवाड कम्प्लेक्स के नाम से एक योजना भारत सरकार को भेजी गई है । हाडोती व शेखावटी क्षेत्र का समग्र विकास के लिए देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय लेने के प्रयास किए जा रहे हैं । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में पर्यटक स्वागत कन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है । इन केन्द्रों पर पर्यटकों की सूचना के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जैसे आरक्षण, बैंकिंग, आपातकालीन आवास आदि सुविधाएँ दी जाएँगी । कोटा माउंटआबू, उदयपुर में भी ऐसा ही कन्द्र बनाने का विचार है । राजस्थान में तीन रोपवे बनाने का प्रस्ताव है । फिलहाल राज्य में एक भी रोपवे नहीं है । जयपुर में प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है । वर्ष 1989 में सरकार द्वारा गठित एक समिति ने राज्य में रोपवे लगाने के लिए तीन स्थानों का चुनाव किया था । यह स्थान थे—जयपुर, से नाहरगढ़ जिला, माऊण्ट आबू से गुरू शिखर, उदयपुर में मोती नगरी अथवा सुजानगढ़ । कुछ समय पहले पुराने गोविन्द देव जी के मन्दिर तथा नाहरगढ़ जिले को जोड़ने वाले 15 किलोमीटर लम्बे रोपवे बनाने के लिए एक निजी फर्म उच्च ब्रेको को प्रस्ताव पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन इस रोपवे पर काम में वन विभाग द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण कोई प्रगति नहीं हुई । अन्य प्रस्तावित रोपवे माउंट आबू व उदयपुर में कोई प्रगति नहीं हुई ।

प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या—

राजस्थान सरकार के सतत प्रयत्नों की सुखद परिणति है कि आज राज्य में दशा व विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तमोत्तम वृद्धि हो रही है । भारत आने वाले पर्यटक राजस्थान की ओर खिंचे चले आ रहे हैं । एक अनुमान के अनुसार भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है ।

राजस्थान में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1971	8,80,694	42,500
1980	24,50,282	2,08,216
1985	31,12,000	3,20,000
1987	34,24,324	3,48,260
1988	34,95,198	3,66,435
1989	38,33,008	4,19,651
1990	37,35,174	4,70,641
1992	52,63,121	5,47,802
1993	54,54,321	5,40,738

स्रोत याज्ञना 30 नव 1991 पृस 24 स्टेटिस्टिकल एक्सट्रेक्ट राजस्थान 1993

पिछले दो दशकों में राजस्थान में देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस दौरान देशी पर्यटकों की संख्या में चार गुना तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। देशी पर्यटकों की संख्या 1971 में 8,80,694 से बढ़कर 1990 में 37,35,174 हो गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या 1971 में 42,500 थी जो बढ़कर 1990 में 4,70,641 तक जा पहुँची।

पर्यटन विकास में बाधाएँ—

राजस्थान में पर्यटकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है। प्रान्त में न केवल होटलों का अभाव है वरन् इनमें प्रदान की जाने वाली सेवाएँ भी राष्ट्र और विश्वस्तरीय नहीं हैं। अपेक्षाकृत अधिक महंगी भी हैं। कई होटलों में पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएँ सन्तोषजनक या निर्धारित मानदण्डों से निम्न होने के कारण प्रदेश को छवि को आघात पहुँचता है। प्रदेश में कुशल व प्रशिक्षित गाइडों का अभाव है। अधिकांश विदेशी पर्यटक ट्रेवल एजेंसी से भ्रमण करते हैं। ये ट्रेवल एजेंसियाँ विदेशी पर्यटकों का शोषण करने से नहीं चूकती। इन सबके अलावा राज्य में सड़कों का जगह जगह से टूटा होना, संचार, अस्वच्छ पानी, टेलीकॉम व्यवस्था का व्यापक नहीं होना आदि कारणों से पर्यटक राजस्थान आने से कतराते हैं।

पर्यटकों के अलावा राजस्थान के पर्यटक स्थल भी समस्याओं से अछूते नहीं हैं। अधिकांश पर्यटक स्थल जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में हैं, उचित देख रेख के अभाव में नष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जयपुर के अलबर्ट हाल में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण चोरी की वारदात हो चुकी है। वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन 18 सप्रहालय 2 कला दीर्घाएँ तथा 222 स्मारक एवं 44 पुरास्थल हैं। मात्र तीन सप्रहालयों में सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी हैं। सरकार के सीमित वित्तीय साधनों के कारण अभी तक 80 स्मारकों एवं स्थलों पर ही चौकीदारों की व्यवस्था हो पाई है।

सुझाव—

राजस्थान में पुरातात्विक संग्रहालयों में बेशकीमती सामान है इनकी सुरक्षा के लिए सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है । राज्य में जितने भी पर्यटक स्थल हैं जीर्ण शोध अवस्था में पहुँच चुके हैं, सरकार को उनकी वास्तुकला को परिवर्तित किए बिना मरम्मत का काम अखिलम्ब हाथ में लेना चाहिए । जब पर्यटन स्थल ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पर्यटक कैसे आ सकेंगे । विश्व में राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से जितना आकर्षक है भारत में उसके मुकाबले अन्य राज्य नहीं । हमें इस स्थिति को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम राज्य में पर्यटन विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा तथा दूसरी ओर पर्यटकों के लिए सुविधाएँ एवं ससाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा । राजस्थान के गढ़ कोट किल महल एवं हवेलियाँ तथा मंदिर जिस प्रकार पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं उसका पूरा अध्ययन और सर्वेक्षण कराने की जरूरत है । राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए बाह्य एवं आन्तरिक स्तर पर कारगर विपणन शैली तैयार करने की जरूरत है ताकि पर्यटकों को उनकी रुचि के अनुरूप आकर्षित किया जा सके । राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप हाटल निमाण में 51 प्रतिशत विदेशी सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

राजस्थान के सभी जिलों के पर्यटक स्थलों को सूचीबद्ध कर, सम्बन्धित साहित्य का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन कर राज्य में पर्यटकों की संख्या में अपरिमित वृद्धि की जा सकती है । राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित 'अतिथि' इस हेतु एक सहायक प्रयास है, किन्तु तिमाही इस पत्रिका के मात्र चार पन्ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाएँगे । अतिथि में प्रकाशित सामग्री में वृद्धि करके इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाया जा सकता है ।

संभावनाएँ—

वित्तीय ससाधनों से वरुत राजस्थान के लिए पर्यटन उद्योग वरदान सिद्ध हो सकता है । राजस्थान विविधताओं, जिज्ञासाओं और विचित्रताओं से भरपूर प्रदेश है । आज विश्व में प्रदेश की अद्भुत कठपुतली कला, लोक संगीतज्ञ, भोजा, लगा, म्गणियार मशहूर हैं । जयपुर के रहीमूद्दीन खॉं डानगर और जियामोहीनुद्दीन डानगर उदयपुर से ध्रुपद गायन को भारत और पूरे विश्व में ले गए ।

आज पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है । यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत कम पूँजी विनियोग से अधिक आय अर्जित की जा सकती है । पर्यटन उद्योग से न केवल सरकार को आय प्राप्त होती है वरन् आस-पास के क्षेत्रों

का विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

राजस्थान में कला और सस्कृति तथा पर्यटन को उद्योग के रूप में बहुत कम फलोभूत कर पाए हैं, जबकि खनिज कृषि व पशुपालन के साथ ससाधनों की प्राप्ति का यह एक बड़ा स्रोत हो सकता है। प्रान्त खूबसूरत मन्दिरों वाले गाँव, शिल्प समृद्ध मन्दिर, अद्भुत, अनुपम, बेजोड़ स्थापत्य कलाओं से लथपथ है जिन्हें देखने के लिए दुनियाँ के लोग लालायित रहते हैं। बस आवश्यकता है तो इस बात की, कि लोगों को यह कैसे मालूम चले, कि यह प्रान्त इस दृष्टि से कितना धनी है। बोरग्या (जोधपुर) की रूपान्तरण सस्थान इस ओर प्रयासरत है। हाल ही पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से 25 लाख रुपये से भी अधिक लागत से उदयपुर शहर के करीब आठ किलोमीटर पश्चिम में पहाड़ियों के बीच 'शिल्प ग्राम' का निर्माण एक प्रशंसनीय प्रयास है। वह दिन दूर नहीं, जब राजस्थान की कला-वैभव सस्कृति सुखियों में आने लगेगी।

पर्यटन को उद्योग के रूप में स्वीकार कर लिए जाने से पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के विकास के लिए न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलों का विकास करना होगा बल्कि नए पर्यटन स्थल भी विकसित करने होंगे। भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देकर राजस्थान में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

सवाईमाधोपुर में पर्यटन : विकास और सभावनाएँ

राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली और विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का सगम स्थल सवाई माधोपुर प्राकृतिक और नैसर्गिक दृष्टि से राजस्थान में ही नहीं अपितु समूचे भारत वर्ष में विशिष्ट स्थान रखता है। राजस्थान राज्य की बड़ी नदियाँ चम्बल बनास मोरेल सवाई माधोपुर जिले में होकर बहती हैं। इनमें चम्बल तो सतत प्रवाही है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक चौथाई से अधिक भाग वनों से आच्छादित होने के कारण जिला सदियों से वन्य जीवों की विचरण स्थली रहा है। अतीत में जयपुर के राजा का अखेट वन इतिहास की धरोहर रणथम्भौर आज 'रणथम्भौर नेशनल पार्क' के नाम से विश्वविख्यात है। यद्यपि हाल ही के वर्षों में पार्क में बाघों की संख्या अवश्य कम हुई है फिर भी ये वन के सूनेपन को तोड़ जीवतता का आभास देते हैं। रणथम्भौर के गरजते 'वनराज' अनायास ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

सवाईमाधोपुर में राज्य सरकार का पर्यटन विभाग है जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिले में ऐतिहासिक स्थलों और पुरातात्विक स्मारकों को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। कला और सस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। जिसके फलस्वरूप सवाईमाधोपुर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1984-

85 से 1993 94 के बीच पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है ।

सवाईमाधोपुर में पर्यटक

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी	योग
1984 85	27702	284	27986
1985 86	26455	515	26970
1986 87	31282	783	32065
1987 88	17248	814	18062
1988 89	23230	2711	25941
1992 93	65039	14284	79323
1993 94	65721	10623	76344

- स्रोत 1 जिला योजना सवाई माधोपुर 1990
2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स राजस्थान 1994

सवाई माधोपुर में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 1984 85 में 27702 थी जो बढ़कर 1993 94 में 65721 हो गई । वर्ष 1987 88 में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या अवश्य कम रही । इस वर्ष केवल 17248 स्वदेशी पर्यटक आ पाये ।

जिले में विदेशी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । वर्ष 1984 85 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 284 भी जो बढ़कर 1988 89 में 2711 तथा 1992 93 में और बढ़कर 14284 हो गई । यद्यपि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है फिर भी कुल पर्यटकों में विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक नहीं है । वर्ष 1993 94 में 10623 विदेशी पर्यटक सवाईमाधोपुर आये जो जिले में आने वाले कुल पर्यटकों का केवल 14 प्रतिशत ही था ।

राजस्थान में वर्ष 1989 में 419651 विदेशी पर्यटक आये । सवाई माधोपुर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या मात्र 3607 थी । जबकि उदयपुर में 67529 जैसलमेर में 33391 रणपुर में 44087 जयपुर में 155361 पर्यटक आये ।

राजस्थान में वर्ष 1993 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 540738 थी । सवाई माधोपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या 10623 ही रहा जो कि राज्य के विदेशी पर्यटकों का केवल 1.06 प्रतिशत ही था । सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर आये । जयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या 146555 थी जो कि राज्य के विदेशी पर्यटकों का 27 प्रतिशत था । जयपुर के बाद राज्य में सर्वाधिक पर्यटक उदयपुर जोधपुर भरतपुर जैसलमेर में आये । ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सवाई माधोपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है । यद्यपि यहाँ विकास की विपुल सभावनाएँ हैं ।

जिले के पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ने का प्रमुख कारण पर्यटन विकास संबंधी

आधारभूत सरचना का अभाव है। झूमर बावरी टुरिस्ट बगले के अलावा जिले में स्तरीय होटल नहीं है। वर्ष 1987 में सावजनिक क्षेत्र के तीन तथा निजी क्षेत्र के 6 होटल थे। इसके अलावा जिले में पर्यटक साहित्य का नितात अभाव है। रणथम्भौर नेशनल पार्क में आधुनिक तकनाक से सुसज्जित वाहन उपलब्ध नहीं है। कुछ निजी वाहन चालकों को पर्यटन विभाग ने अनुमति दे रखी है। ये पर्यटकों का शोषण करने से नहीं चुकते हैं। पर्यटन विभाग के पास जो गाइड हैं वे पर्यटन साहित्य में नोसाखिए हैं। ये अल्पज्ञान के कारण पर्यटन की सही तस्वीर पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं नतीजतन पर्यटक महज रणथम्भौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर लोट जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध अनेक क्षेत्र यथा रणथम्भौर दुर्ग तिमनगढ़ करोली आदि पर्यटकों के लिए आज तक भी प्यासे हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणथम्भौर वन क्षेत्र को 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयस्तर पर बाघ परियोजना प्रारंभ की गई तथा इसमें रणथम्भौर वन्य जीव अभयारण्य का चयन किया गया। बाघ परियोजना के अन्तर्गत रणथम्भौर अभयारण्य में वन्य जीव संरक्षण एवं विकास का नया इतिहास प्रारंभ हुआ। वन्य जीव संरक्षण में हुए विकास की अभूतपूर्व प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को वर्ष 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पतझड़ किस्म के वन बहुतायत में हैं। वनक्षेत्र धोक वृक्ष से आच्छादित है। वन्य जीवों में बाघ बघेरा रीछ चीतल साभर चिकारा नील गाय मगर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव

वन्य जीव	सन् 1974	सन् 1988
बाघ	14	43
बघेरा	15	42
भालू	35	62
चीतल	1000	3130
साभर	1100	2222
नील गाय	600	632
चिकारा	100	203
जगना सूअर	300	418

स्रोत: जिला योजना सवाइमाधोपुर 1990

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1974 में 14 बाघ थे। वर्ष 1988 में बाघों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। किंतु वर्ष 1993 में बाघों की संख्या घटकर 28 ही रह

गई। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की घटती संख्या वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद चिंता का विषय है। रणथम्भौर कैला देवी और सरिस्का अभयारण्यों में बाघों का गिनती एक से 15 मई 1993 तक की गई थी। रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में 1993 में 28 बाघ गिने गए। कैलादेवी वन्य उद्यान में 1993 में 11 बाघों की पुष्टि हुई। रणथम्भौर में बाघों की गणना के लिए नई पद्धति अपनाई गई और विशेषज्ञों की सेवाएँ की गई।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की वर्ष 1984 से 1988 के बीच हुई प्रगति को छायांकित करते हुए अनेक फिल्में बनीं जिनमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और विश्व का ध्यान इस अमूल्य धरोहर की ओर आकर्षित हुआ। उद्यान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 1985 तक लगभग 5000 पर्यटक आया करते थे वहीं 1987-88 में 15000 पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। वर्ष 1988-89 में यह संख्या 18000 थी तथा वर्तमान में यह संख्या 25000 से अधिक होने की संभावना है।

राजस्थान की खीर प्रसूता भूमि की छोटी से छोटी रियासत भी शीघ्र स्थली रहा है। सवाई माधोपुर को शौर्य भूमि रणथम्भौर दुर्ग के अतीत में अनेक गौरवपूर्ण गाथाएँ समाईं हुयी हैं। इस बात को याद यहां की प्राचारे हूँ ब हूँ दिलाती हैं। रणथम्भौर दुर्ग गुलाबीनगर जयपुर से दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है। यह दुर्ग पथरोले पठार पर समुद्र तल से 1578 फुट का ऊँचाई पर स्थित है। दुर्ग चारों ओर प्राकृतिक सान्द्र्य से ओत प्रोत तथा घने जंगलों वाली पहाड़ियों से आच्छादित है। सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्व में लगभग पाँच किलोमीटर की यात्रा के बाद यहां पहुँचा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के लिए सैनिक और सामयिक दृष्टि से इस दुर्ग का अत्यधिक महत्त्व था। दुर्ग के निर्माण के बारे में प्रचलित किंवदन्ति है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने रणथम्भौर के छाटे से राज्य की नींव रखी। तभी से यह भारतीय इतिहास के नक्शे पर उभर कर आया।

रणथम्भौर की प्राचीन हम्मौर के दृढनिश्चय शरणागत रक्षा स्वाभिमान तथा मुहम्मदशाह की स्वामिभक्ति की याद दिलाती है। किंतु सेनापति रतिपाल रणमल व सुरजन की गद्दारी को लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं।

पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग दुर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। यहां के कलात्मक प्रस्तर खण्डों मूर्तियों अपने म्यान से उखड़े शिलालेखा का एकत्र कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। हम्मौर कचहरी छोटी कचरी अन्नपूजा मंदिर की मरम्मत हुई है। हम्मौर महल में संग्रहालय बनाकर महल को उसका प्राचीन रूप देने का कार्य किया गया है।

तिमनगढ़ :

राजस्थान के विद्यमान किलों में से यह सबसे प्राचीन किला है । यह किला राजप्रासादों, देवालयों, नागरिक आवासों, पक्के रास्तों, गलियों, बाजारों, जल व्यवस्था के भग्नावशेषों के लिहाज से पूर्व मध्यकालीन युग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था । इसे दसवीं ग्यारवीं शताब्दी में राजा नमनपाल ने बनवाया था । तिमनगढ़ किला अपने हृदय में उस जमाने की न जाने कितनी गोरव गाथाएँ आर साम्प्रतिक विरासत समेटे हुए है । किंतु सरकार द्वारा सरक्षित पुरातात्विक महत्त्व के स्थानों में तिमनगढ़ का नाम नहीं है । दुर्ग में जगह-जगह प्रस्तर खण्ड, शिलाएँ और टूटी मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं । गजय संरक्षण के अभाव में इतिहास की यह प्राचीन धरोहर आसू बहा रही है । सरकार मानस बनाए तो सवाई माधोपुर में संग्रहालय बनाया जा सकता है जिसमें तिमनगढ़ के अवशेषों को सुरक्षित रखा जा सकता है । सवाईमाधोपुर के इतिहास के अवशेष पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखने हे ।

सवाई माधोपुर में अनेक ऐसे सुरम्य रमणीय व ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें पर्यटकों के आक्रमण का केन्द्र बनाया जा सकता है । गढमोरा, जिले की नादौती तहसील में एक गाव है जो राजा मोरध्वज की राजधानी रहा । मोरध्वज श्री कृष्ण भगवान का प्रसिद्ध उपासक था । गढमोरा चोहान राजाओं का स्थल भी रहा । यह क्षेत्र का देवार्पित स्थल है । यहाँ गुफा और भग्नावेश स्थल हैं । यहाँ एक मठ भी है जिसे मूलतः दादू सत ने स्थापित किया ।

'छान' खण्डार तहसील का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण गाव है । इसका महत्त्व एक पुरानी भग्नावेश मस्जिद के कारण है । कहा जाता है इसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भोर पर आक्रमण के समय बनवाया था ।

वर्णित विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि राजस्थान राज्य का सवाई माधोपुर जिला ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । पर्यटन स्थलों व अलावा तीर्थान्तों की दृष्टि से भी यह जिला सुदृढ़ है । यहाँ अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें त्रिनेत्र गणेश, मदनमोहन जी, श्री महावीर जी, माँ केला देवी, रामेश्वरम, मेहदीपुर क वालाजी, गोरु आर काला, चौथ माता तथा गडवाडा का प्राचीनतम श्री रघुनाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं । जिले में भरने वाले बड़े मेलों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं । धार्मिक अस्थायों के कारण तीर्थान्तों के क्षेत्र में तो सवाईमाधोपुर देशभर में उभर कर सामने आया किंतु पर्यटन के क्षेत्र में स्थिति सतोपजनक नहीं कही जा सकती है । इस बात को पुष्टि सवाई माधोपुर में आने वाले थाडों से पर्यटकों से सहज ही हो जाती है । इसके लिए भी रणथम्भोर के बाघों की धन्यवाद, जिनके कारण अन्तरराष्ट्रीय छवि बनी हुई है ।

पर्यटन के क्षेत्र में सवाईमाधोपुर के पिछड़ने के लिए एक बड़ी सीमा तक सरकार

द्वारा की गई उपेक्षा को उत्तरदायी माना जा सकता है। जिले में पर्यटन के विकास के लिए कारगर योजना निर्धारित नहीं की गई नवीनतम वन्यजीव संरक्षण प्रभावित हुआ और पर्यटकों की संख्या भी काफी कम रही है। किंतु अब सरकार की भूमिका में बदलाव आया है। राज्य सरकार जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। सर्वाई माधोपुर में अब शाही रेलगाड़ी रुकने लगी है। अब यह जिला भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित जिलों की भाँति कदमताल करने की स्थिति में होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वन विभाग, पुरातत्वविभाग और पर्यटन विभाग मिलकर ऐसे प्रयास करें जिससे न केवल वर्तमान पर्यटन स्थलों का विकास हो अपितु नवीन पर्यटन स्थल भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है और सबसे अधिक जरूरत सर्वाईमाधोपुर के पर्यटन साहित्य को विकसित करने की है जिसका फलहाल अभाव बना हुआ है।



राजस्थान के औद्योगिक विकास की झलक तथा भारत में इसकी स्थिति

हाल ही के वर्षों में प्रारंभ किये गए आर्थिक उदाराकरण के दौर में उद्योगों का विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में महत्वपूर्ण होकर उभरा है। समूचे देश में विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के लिए तथा इस हेतु नवीन औद्योगिक वातावरण निर्मित करने वाले प्रभावात्पादक प्रयास किये जा रहे हैं। आज के आर्थिक युग में औद्योगिक विकास एक अनिवार्यता है। इसका बिना देशवासियों को जीवन जीने के प्रचुर साधन उपलब्ध कराने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है।

भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था का राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां गरीबी की समस्या सदैव मुहवाए खड़ी है। वरोजगारी "सुरसा के मुह" की भांति बढ़ती ही चली जा रही है। विभिन्न आर्थिक सूचकांकों तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय, अद्य सरचना योजना उद्भव्य आदि में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में दयनाय है। लगभग यही दशा राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में सवाई माधापुर मिले की है। इस विषय में आर्थिक स्थिति से तात्पर्य औद्योगिक विकास द्वारा निजात पाया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण संभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्प्रभाव धमता है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी से बहुआरंभ खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

1. राजस्थान विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां की भौतिक व प्राकृतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकट हैं। किंतु खनिजों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है। बिहार के बाद राजस्थान का ही नाम आता है। हाल ही के वर्षों में राज्य कृषि संपदा की दृष्टि से भी समृद्ध हो चला है। लेकिन राज्य वित्तीय सहायता के अभाव के कारण समृद्ध प्राकृतिक संपदा का भरपूर लाभ

नहीं उठा पाया है। केन्द्र सरकार का रुख भी राज्य के औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल नहीं रहा। केन्द्रीय विनियोगों का अत्यल्प भाग ही राजस्थान में विनियोजित किया गया नतीजतन राज्य में औद्योगिक विकास को गति तेज नहीं हो पाई। फिर भी वर्तमान में राजस्थान में सूती व सिंथेटिक रेशो की इकाइया, ऊनी चीनी, सीमेन्ट, नमक, काच टेलोविजन टायर-ट्यूब, वनस्पति तेल की मोले, इजीनियरी की औद्योगिक इकाइया कार्यरत हैं।

2 राजस्थान में राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, किंतु इन उपक्रमों ने वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र में निराशा ही किया है। अनेक उपक्रम जैसे राजस्थान सड़क परिवहन निगम, राजस्थान संचार लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि भयकर घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। राज्य सरकार इन उपक्रमों के घाटे को पाटन में सफल नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के उपक्रम राज्य में अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में विनियोग नहीं बढ़ाया जा रहा है। यह राज्य के साथ सौतेलेपन का द्योतक है।

3 भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1993 में पंजीकृत निर्माणियों की संख्या राज्य में 12580 थी जिनमें 295 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। कुछ चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन राज्य में इस प्रकार है -

मद	इकाई	उत्पादन	
		1992	1993 (प्रावधानिक)
सीमेन्ट	हजार टन	4827 64	4749 19
शक्कर	टन	38508 70	26261 70
सूती कपड़ा	लाख मीटर	378 35	379 56
नमक	लाख टन	11 81	12 96
वनस्पति घी	टन	34236 98	33841 31

स्रोत आय व्ययक अध्ययन, 1994-95

4 राज्य में लघु उद्योग इकाइयों की बहुल्यता है। दिसम्बर 1993 तक राज्य में 166184 लघु उद्योग इकाइया पंजीकृत हुईं एवं 1266 64 करोड़ रुपए का विनियोजन हुआ व इन इकाइयों में 6 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। हस्तशिल्प उद्योग की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति महत्वपूर्ण है। यहाँ हस्तशिल्प के अद्भूत नमूने हैं जिनकी देश-विदेश में व्यापक मांग है। खादी एवं ग्रामोद्योग भी राजस्थान का परम्परागत उद्योग है। वर्ष 1992-93 के दौरान ऊनी एवं सूती खादी का अनुमानित मूल्य क्रमशः 2143 87 लाख रुपए तथा 847 96 लाख रुपए था। खादी उद्योग में लगभग 1 59 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। वर्ष 1993-94 के दौरान (दिसम्बर 1993 तक) ग्रामीण

	हिमाचल प्रदेश	1583 28
	हरियाणा	1057 25
	महाराष्ट्र	.810 41
	तमिलनाडू	898 88
5 6	अष्टम योजना का उद्भव्य	करोड़ - रूपए
	राजस्थान	11500
	अखिल भारत	186235
	उत्तरप्रदेश	21000
	महाराष्ट्र	18520
	बिहार	13000
	कर्नाटक	12300
5 7	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	किलोवाट
	राजस्थान	231
	अखिल भारत	268
	महाराष्ट्र	434
	गुजरात	504
	तमिलनाडू	355
5 8	प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लंबाई. किलोमीटर	
	राजस्थान	17 02
	अखिल भारत	19 00
	महाराष्ट्र	17 68
	गुजरात	26 94
	तमिलनाडू	30 83

उपर्युक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, हरियाणा आदि) की तुलना में कमजोर है ।



औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएँ

राजस्थान के प्राकृतिक ससाधनों को दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहाँ भावी औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएँ हैं। जयपुर के बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ने के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ सजीव हो उठी हैं। निम्नलिखित विवरण राज्य के औद्योगिक विकास की भावी संभावनाओं को प्रकट करता है।

1 खनिजों का अजायबघर राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। यहाँ 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान में ही होता है। राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान में धात्विक खनिजों में ताँबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैंगनीज, चादी, टंगस्टन, आणविक खनिज तथा अधात्विक खनिजों में अभ्रक, जिप्सम, राक फास्फेट, लाइम स्टोन (चूना पत्थर), सोप स्टोन, सगमरमर व ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, फाइराइट्स, बेन्टोनाइट, पत्रा व भारनेट, चापना क्ले व व्हाइट क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैण्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिज ईंधन में लिग्नाइट राज्य में उपलब्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

राजस्थान में खनिज उत्पादन अग्रकृत तालिका में दर्शाया गया है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

खनिज	उत्पादन हजार टन में	
	1991-92	1992-93 (प्रावधान)

1 धात्विक खनिज

1 कच्चा ताँबा	1860	1646
2 कच्चा लोहा	33	38
3 सान्द्र सीसा	32	32

4 सान्द्र जस्ता	119	98
5 चाँदो (कि ग्रा)	18386	12836
6 टगस्टन (टन)	8	8
2 अधात्विक खनिज		
1 फेल्स पार	73	71
2 फ्लोराइड	4	3
3 गार्नेट (टन)	150	152
4 गार्नेट (कि ग्रा)		
(मूल्यवान एव अर्द्ध मूल्यवान)	1026	620
5 जिप्सम	1669	1540
6 लाइम स्टोन	7881	9120
7 अभ्रक (टन)	470	160
8 राक फास्फेट	248	243
9 सिलिका सेण्ड	243	213
10 सोप स्टोन	398	402
11 एस्बेस्ट्स	32	37
12 बेराइट्स	7	6
3 लघु खनिज		
1 बालू पत्थर	39981	2860
2 चिनाई पत्थर	11935	12130
3 चूना पत्थर (आवासी)	1070	1137
4 चूना पत्थर	2980	3233
5 सगमरमर	1848	20001

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1994 95

2 नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च नई दिल्ली ने राजस्थान का टैकनो इकोनामिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगों की क्षमता और भावी सभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अत्राकित उद्योगों की स्थापना का औचित्य बताया—

टैक्टर व संबंधित यंत्र, डीजल इंजन, स्कूटर व मोटर साइकिलों, माटर गाड़ियों के पुर्जे, विद्युत सामग्री, इस्पात के तार, पाइप ट्यूब, कीले नट बोल्ट, पोर्टलेण्ड सीमेंट, सफेद व रंगीन सीमेंट, काच, तेल शोधक आदि कारखाने

3 राजस्थान में निम्नांकित उद्योगों के विकास की प्रबल सभावनाएँ हैं

1 कोयला में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का सयंत्र लगाने

पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए ।

2 उदयपुर में एक पिग लोहा सयत्र लगान की आवश्यकता है वहाँ निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है ।

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बाड़ बनाए जा सकते हैं जिसके पूर्व निर्मित भवन बनाकर कुछ सोमा तक भवन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है ।

उत्तम सेलेनाइट के भंडारों का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस व अन्य उद्योगों का विकास करने में किया जाना चाहिए ।

4 फेल्सपार क्वार्टस व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानों की स्थापना का क्षेत्र बढ़ सकता है । सिलिका के उपयोग से काच के का विस्तार किया जा सकता है ।

4 कृषि सम्पदा पर आधारित उद्योग कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 1988-89 में कृषि का अंश राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत तथा 1992-93 के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 44 प्रतिशत रहा । कपास, गन्ना तिलहन, मक्का चना व गेहूँ आदि ऐसी फसलें हैं जिन पर आधारित अनेक छोटे बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं । इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषिगत उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न में अपूर्व वृद्धि अपेक्षित है ।

राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक फसलों का उत्पादन

फसले	उत्पादन (लाख में टन में)				
	87-88 (सशोधित)	88-89 (सशोधित)	89-90 (अन्तिम)	90-91 (सभावित)	92-93
तिलहन (कुल)	12.57	19.18	18.45	24.80	25.38
गन्ना	9.48	6.86	7.15	6.0	11.29
कपास	2.18	6.01	9.86	9.50	10.16

(उत्पादन लाख गावों में)

स्रोत आय व्ययक अध्ययन राजस्थान 1991-92 एवं 1994-95

पिछले वर्षों में राजस्थान देश में तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है । देश के तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग राजस्थान में होने लगा है । सरसों के उत्पादन में यह एक अग्रणी राज्य हो गया है । यहाँ देश की कुल सरसों के उत्पादन का 35 प्रतिशत अंश होने लगा है ।

राज्य में जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, झुंझुनू

हनुमानगढ़ नोहर में सूती बस्त्रों के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। कोटा भरतपुर व उदयपुर में चीनी की मीले लगाई जा सकती है। कोटा में वनस्पति घी का उद्योग व भरतपुर अलवर गगानगर व सर्वाई माधोपुर में खाद्य तेल मीले स्थापित की जा सकती हैं। सम्पूर्ण राज्य में मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

5 पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग राज्य में चमड़ा उन मांस दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है। पश्चिमी शुष्क भेदाण के नगरों में चमड़ा उद्योग डेयरी उद्योग दूध पाउडर के उद्योग मक्खन पनीर व पशु आहार के उद्योगों की स्थापना की विपुल सभावनाएँ हैं। बाकानेर व जोधपुर में होजरी ऊनी व चमड़े के कारखाने सर्वाई माधोपुर अलवर भरतपुर बाकानेर में हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व उदयपुर में मछली उद्योग का विकास किया जा सकता है।

6 वनों पर आधारित उद्योग राजस्थान में वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की अच्छी सभावनाएँ हैं। राज्य में दियासलाई उद्योग कागज उद्योग पैकिंग के कागज का उद्योग टोकरी उद्योग चमड़ा साफ करने का उद्योग बीड़ी उद्योग खस पर आधारित उद्योग देशी शराब उद्योग एवं इस प्रकार के अन्य छोटे बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

7 आधारभूत संरचना किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की बाहुल्यता के बीच यदि अद्य संरचना का अभाव हो तो संसाधन अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति निम्नलिखित है

1 विद्युत औद्योगीकरण में विद्युत का स्थान सर्वोपरि है। राजस्थान में वर्तमान (सितम्बर 1992) अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 2776 मेगावाट हो गई जबकि राज्य के गठन के समय मात्र 13 मेगावाट थी। गत 43 वर्षों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 2.9 यूनिट से बढ़कर 189 यूनिट हो गया। उच्च प्रसारण लाइनों को दूर तक वर्ष 1981-82 में 7123 रुट कि.मी. थी अगस्त 1992 के अंत में बढ़कर 12,265 रुट कि.मी. होगई है। यह लग्वाई राज्य के गठन के समय शून्य था। आज ई.एच.वा. ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 132 है जो वर्ष 1949 में शून्य थी आन हमारे 33,40 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जो 43 वर्ष पूर्व प्रायः नगण्य थे। वर्ष 1949 में मात्र 42 बस्तियां विद्युतीकृत थी जबकि अगस्त 1992 के अंत में 28,664 ग्राम (77 प्रतिशत) विद्युतीकरण हो चुके हैं। ऊर्जाकृत कुओं की संख्या अगस्त 1992 के अंत में 4,13,000 है यह राज्य के गठन के समय शून्य थी।

आठवीं पंच वर्षीय योजना में राजस्थान को अधिष्ठापित क्षमता में 713 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्रोतों से होने की सभावना है —

111 सहायक व छोटे स्वास्थ्य केन्द्र थे । वर्ष 1985-86 में शहरी क्षेत्रों की राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में 16495 व ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा संस्थाओं में 6051 बेड थे ।

5 संचार तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए संचार साधनों की प्रभावी भूमिका होती है । मार्च 1993 तक राज्य की सभी तहसील मुख्यालयों को एस टी डी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है । विदित है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एस टी डी से जोड़े जा चुके हैं ।

वर्ष 1986-87 में राजस्थान में 9620 पोस्ट ऑफिस 1613 टेलीग्राफ ऑफिस 675 टेलीफोन एक्सचेंज तथा 1349 सार्वजनिक काल ऑफिस थे ।

6 आवास - जनसंख्या व आर्थिक दबावों के बावजूद राजस्थान सरकार लोगों को आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवास सुविधाओं के निर्माण का वृहद कार्यक्रम चला रही है । राजस्थान आवासन मण्डल ने अब तक 2 लाख आवेदकों का पंजीकरण करके 1 लाख 18 हजार गृह निर्माण प्रारम्भ किया । अब तक (30 मार्च 1992) 1 लाख 4 हजार मकान पूर्ण किए गए हैं । इनमें से 1 लाख 2 हजार 570 आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने राजस्थान में 1989-90 में 29-17 करोड़ रुपये का निवेश किया जो 1990-91 में 35-15 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा । हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रारम्भ तक 410 आवासीय योजनाओं में 1 लाख 24 हजार 880 मकान विभिन्न शहरों में बनाने के लिए स्वीकृत किए । इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 1991-92 में 9-66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस योजना में फरवरी 1992 तक 11368 आवासों का निर्माण किया गया । मानसरोवर का विकास व परिवर्धन एक अद्वैती योजना है ।

7 बेकिंग - वर्ष 1987 में राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 2687 कार्यालय थे जिनमें जमा 260218 लाख रुपये व अग्रिम 174235 लाख रुपये थे । प्रति व्यक्ति जमा 646 रुपये व प्रति व्यक्ति अग्रिम 433 रुपये थे ।

8 उद्यमों - राजस्थान में जन्मे उद्यमियों ने देश के औद्योगीकरण में प्रभावी भूमिका निभाई है । बिडला पोद्दार गोलेछा साहू, जैन आदि राज्य के बड़े उद्यमों हैं यदि वे चाहे तो रातों रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं ।

9 औद्योगिक क्षेत्र - रोकों द्वारा राज्य में 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं - संबंधित तथ्य निम्नांकित हैं -

अधिगृहीत	27795 94 एकड़
विकसित भूमि	18754 82 एकड़
नियोजित भूखंडों की संख्या	25854 00
विकसित भूखंडों की संख्या	20185 00
आवृत्त भूखण्ड	22110 00
उत्पादन में सलग्न इकाइयाँ	9798 00

विकास केन्द्र 'ग्रोथ सेन्टर'

विकास केन्द्र केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एव मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 8 दिसम्बर 1988 को राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र आवंटित किए थे। राज्य सरकार ने 8 विकास केन्द्रों के प्रस्ताव भेजे थे वे थे भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सिरोही अजमेर एव अलवर। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलों में से भारत सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड़, भीलवाड़ा एव आबू रोड (सिरोही) जिलों को विकास केन्द्र हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार के प्रयासों से भरतपुर के समीपवर्ती जिले धौलपुर को भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी 1992 को विकास केन्द्र घोषित किया गया।

प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष की अवधि में 30 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभव सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

चार विकास केन्द्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा। प्रथम चरण में वर्ष के दौरान चार विकास केन्द्रों पर 1985 बीघा भूमि के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले 1857 बीघा भूमि अधिग्रहीत/आवंटित की जा चुकी है। इस वर्ष के अंत तक 15 करोड़ रुपए की राशि व्यय किये जाने की आशा है।

11 लघु विकास केन्द्र 'मिनी ग्रोथ सेन्टर' - जोधपुर व उदयपुर दो मिनी ग्रोथ सेन्टर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। दोनों मिनी ग्रोथ सेन्टर के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की मदद व सिडबी से 2 करोड़ रुपए के ग्रुप का प्रावधान है।

राजस्थान में विद्यमान प्राकृतिक संपदा का समुचित विदोहन किया जाए तो यह राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों के समकक्ष आकर खड़ा हो सकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहां की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक वित्तीय सहायनों का आवंटन करे जिससे तीव्र विकास की गति सुनिश्चित की जा सके।



राजस्थान में आधारभूत संरचना- ऊर्जा विकास

आधारभूत संरचना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आधारभूत संरचना के अभाव में औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। मे ऊर्जा सड़के रेल संचार बंदरगाह आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन आधारभूत क्षेत्रों में निवेश कम होने से विकास का आधार गडबडा जाता है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित होने से भविष्य में औद्योगिक विकास को गति मिलने की सम्भावना है। औद्योगिकरण के बढ़ने से आधारभूत संरचना के विकास की अधिक आवश्यकता होगी। राजस्थान में वित्तीय ससाधनों के अभाव के कारण आधारभूत संरचना का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। विशेषकर ऊर्जा का अभाव है। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए ढाचागत निवेश के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाना चाहिए।

राजस्थान में ऊर्जा विकास

ऊर्जा विकास का पर्याय है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा है। ऊर्जा की खपत प्रगति की माप का वैरोमीटर है। वर्तमान में ऊर्जा की माग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। किन्तु विद्युत उत्पादन के बढ़ती माग के अनुरूप नहीं बढ़ने से राजस्थान में ऊर्जा की समस्या गम्भीर हो गई है। राजस्थान सरकार सन् 2000 तक बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत

ह । राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित की हैं । सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आमंत्रित किया है ।

राजस्थान की वर्तमान (जुलाई 1995) में 45 सा मेगावाट बिजली की आवश्यकता है परन्तु काफी प्रयासों के बाद 35 सा मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पा रही है ।¹ दिसम्बर 1996 में बिजली सप्लाई के कारण बड़े उद्योगों पर 75 फीसदी कटौती लागू की गई । गाँवों में 6 घण्टे बिजली दी गई तथा शहरों में तीन घण्टे की कटौती की गई । पंजाब के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ए एस चड्ढा के अनुसार राजस्थान में कोई उच्च क्षमता का विद्युत स्टेशन नहीं होने के कारण साय 7 बजे से 9 बजे तक बिजली की धरेलू खपत का अत्यधिक दबाव चढ़ता है । दिन की खपत को अपेक्षा 300 से साढ़े तीन सा मेगावाट बिजली खर्च होती है । पंजाब में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड राजस्थान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार यूनिट बिजली बेचता है ।

नेफ्ता पर आधारित विद्युत

केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1996 में राजस्थान को 1415 मेगावाट बिजली पैदा करने जितना नेफ्ता आवंटित किया है । इससे राज्य में नेफ्ता आधारित विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र स्थापित होने की सम्भावना है । राजस्थान विद्युत मण्डल ने 1996 में नेफ्ता एव फर्नेस ऑइल आधारित 16 विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौते किये । इन परियोजनाओं के माध्यम से 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा । इनमें से 2700 मेगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एव 600 मेगावाट फर्नेस ऑयल आधारित परियोजनाओं से मिलने की सम्भावना है । धोलपुर की 800 मेगावाट की बड़ी परियोजना के शीघ्र चालू होने की सम्भावना है ।

विद्युत विकास पर योजना परिव्यय

राजस्थान में ऊर्जा की कमी और विकास में विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास में ऊर्जा पर भारी विनियोजन किया गया । पच वर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इस प्रकार है । पाचवी योजना 249 करोड़ रुपए, छठी योजना 566 करोड़ रुपए, सातवी योजना 927.8

1 तथ्य भारती जुलाई 1995 पृ 16

करोड़ रुपए । आठवी योजना में ऊर्जा पर 3255 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है । जो कि कुल योजना परिव्यय 11500 करोड़ रुपए का 28.3 प्रतिशत है । आठवी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ —

योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई । राजस्थान सरकार की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ इस प्रकार हैं —

राजस्थान के विद्युत गृह 1992-93

कस्बे का नाम	विद्युत संख्या	संस्थापित क्षमता
कोटा	2	6 40 000
माही (बासवाडा)	3	140165
अनूपगढ़	2	9000
सूरतगढ़ (लम्बूवाली)	1	4000
मागरोल	1	6000
पूगल	1	650
कुल योग	10	799815

Source Statistical Abstract Rajasthan 1993 P 193

राजस्थान में 1992-93 में 10 विद्युत घर थे । संस्थापित क्षमता 799815 के थी । कोटा के दो विद्युत घरों की क्षमता 640000 के थी । माही के तीन विद्युत घरों की क्षमता 140165 के थी । अनूपगढ़ के दो विद्युत घरों की क्षमता 9000 के थी । सूरतगढ़ विद्युत घर की क्षमता 4000 के थी । मागरोल विद्युत घर का क्षमता 6000 के थी तथा पूगल विद्युत घर की क्षमता 650 के थी ।

कोटा तापीय विद्युत गृह — कोटा तापीय विद्युत गृह को उत्पादन के लिए पूर्व में पांच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । वर्ष 1993-94 में 80.96 प्रतिशत का रिकार्ड पी एल एफ प्राप्त कर विद्युत गृह पुनः उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र हो गया है । सितम्बर 1994 के अन्त तक राज्य में विद्युत ऊर्जा का कुल उपलब्धि 741.4 करोड़ यूनिट रही । मार्च 1994 के अंत में कोटा तापीय विद्युत गृह 210 मेगावाट क्षमता की पांचवी इकाई बनकर तैयार हुई ।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजना — राजस्थान में दिसम्बर 1994 में सूरतगढ़

तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (2×250 मेगावाट) रामगढ गेस परियोजना 355 मेगावाट निमाणाधीन परियोजनाएँ थी। रामगढ गेस परियोजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएँ —

राजस्थान की दिसम्बर 1994 में प्रस्तावित विद्युत योजनाएँ इस प्रकार थी—

- 1 बरसिंगकर लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना 2×240 मेगावाट
- 2 सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना द्वितीय चरण 2×250 मेगावाट
- 3 कपूरडी जालीया लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना।
- 4 धोलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट
- 5 मथानिया में सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह
- 6 काटा तापीय विद्युत गृह की छोटी इकाई 1×120 मेगावाट।
- 7 चित्तौड़गढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट।
- 8 डीजल व अन्य ईंधन पर आधारित विद्युत गृह।

विद्युत उत्पादन — राजस्थान में तापीय जल क्रय कुल विद्युत उत्पादन का निम्न तालिका में दर्शाया गया है —

वर्ष	विद्युत उत्पादन		मिलियन	
	तापीय	जल विद्युत	विद्युत क्रय/प्राप्त	कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध)
1988-89	1141 979	190 921	8109 615	9442 515
1989 90	2213 974	296 039	8070 741	10580 754
1990-91	2107 968	305 356	8730 521	11143 845
1991 92	3313 238	358 738	9307 615	12979 591
1992-93	3875 353	177 498	10576 065	14628 916

Source Statistical Abstract Rajasthan 1994 P 194

राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) 9442 515 मिलियन क डब्लू एच था जो 1990-91 में बढ़कर 12979 591 मिलियन के डब्लू एच हो गया। 1992 93 में कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) बढ़कर 14628 916 मिलियन क डब्लू एच हो गया।

वर्ष 1992-93 में तापीय विद्युत उत्पादन 3875 353 मिलियन/के डब्लू एच, जल विद्युत उत्पादन 177 498 मिलियन क डब्लू एच था। इसके अलावा 10576 065

मिलीयन के डब्लू एच विद्युत साझेदारी परियोजनाओं से अंश तथा बाह्य स्रोतों से क्रय की गई ।

साझेदारी विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में अंश भागिता

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजनाएँ हैं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है । राज्य की साझेदारी परियोजनाओं में भाखरा प्रोजेक्ट, चम्बल प्रोजेक्ट सतपुरा पॉवर स्टेशन, व्यास प्रोजेक्ट तथा आर.एम.सी. द्वितीय माही है । वर्ष 1992-93 में राजस्थान को भाखरा प्रोजेक्ट से 1052 043 मिलीयन के डब्लू एच, चम्बल प्रोजेक्ट से 642 880 मिलीयन के डब्लू एच सतपुरा पॉवर स्टेशन से 552 370 मिलीयन के डब्लू एच तथा आर.एम.सी. द्वितीय माही से 0 114 मिलीयन के डब्लू एच विद्युत प्राप्त हुयी ।

विद्युत क्रय — राजस्थान में विद्युत का उत्पादन माग की तुलना में कम है । इस अंतराल को पाटने के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष विद्युत खरीदनी पडती है । राजस्थान ने वर्ष 1992 93 में 6621 005 मिलियन के डब्लू एच विद्युत क्रय की ।

विद्युत उपभोग— राजस्थान में बिजली का उपभोग घरेलू, वाणिज्यिक औद्योगिक कृषि सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक पेयजल कार्य आदि क्षेत्रों में होता है । विद्युत का सर्वाधिक उपभोग बड़े पैमाने के उद्योगों में होता है । इसके बाद कृषि क्षेत्र में विद्युत का उपभोग होता है । राजस्थान में विद्युत के कुल उपभोग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

राजस्थान में विद्युत उपभोग मिलीयन के डब्लू एच

वर्ष	कुल विद्युत उपभोग
1985-86	4808 011
1986 87	5417 520
1987-88	5748 193
1988 89	6682 385
1989 90	7465 891
1990-91	7990 362
1991-92	9313 972
1992 93	9796 499

राजस्थान में विद्युत का कुल उपभोग 1985 86 में 4808 011 मिलीयन के डब्लू एच था जो बढ़कर 1990 91 में 7990 362 मिलीयन के डब्लू एच तथा 1992-

93 में और बढ़कर 9796 499 मिलीयन के डब्लू एच हो गया। राजस्थान में 1991-92 में बड़े उद्योगों द्वारा 3073 853 मिलीयन के डब्लू एच तथा कृषि द्वारा 2849 306 मिलीयन के डब्लू एच विद्युत का उपभोग किया गया।

विद्युतीकृत कस्बे और गाँव — योजनाबद्ध विकास में विद्युतीकृत कस्बों और गाँवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 थी। मार्च 1993 तक राज्य के 201 कस्बे विद्युतीकृत थे। वर्ष 1988-89 में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या 25024 थी। जो बढ़कर 1992-93 में 29281 हो गई। वर्ष 1991-92 में 770 गाँव/कस्बों को विद्युतीकृत किया गया। राजस्थान में विद्युत चालित कुओं की संख्या 1992-93 तक 430123 (प्राविजनल) थी। राजस्थान में मार्च 1994 में कुल ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 83.42 था। अखिल भारत स्तर पर यह प्रतिशत 85.30 था।

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग — राजस्थान में वर्ष 1985-86 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 161.81 के डब्लू एच थी। तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 124.00 के डब्लू एच था। वर्ष 1991-92 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढ़कर 286.82 के डब्लू एच तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढ़कर 136.11 के डब्लू एच हो गया। राजस्थान में वर्ष 1991-92 में प्रति वर्ग कि.मी. विद्युत उपलब्धता 37925 के डब्लू एच थी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना में कम है। राजस्थान में 1993-94 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 254 के डब्लू एच था। जबकि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 299 कि.वा. था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में राजस्थान का देश में 10वाँ स्थान है।

आठवीं योजना में विद्युत सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम¹

आठवीं पंच वर्षीय योजना में राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता में 713 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्तरों से होने की सम्भावना है।

- (1) सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना 250 मेगावाट।
- (2) कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 210 मेगावाट (पाचवीं इकाई)
- (3) नरसिंहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 2×120 मेगावाट
- (4) रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट
- (5) माणसाल चरणवाला, विरसिलपुर, इटावा और पूगल-एक लघु परियोजना

परियोजना 97 मेगावाट

आर्थिक विकास में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान सरकार विद्युत

1 राजस्थान का औद्योगिक विकास एवं भावी सम्भावनाएँ (शोध प्रबन्ध) ओ पी शर्मा पृ.सं. 105

का उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर का घाटन के लिए प्रथमस्त है। राजस्थान में विद्युत का जड़िष्ठापन क्षमता राज्य के गठन के समय केवल 13 मेगावाट था जो बढकर मितम्बर 1992 में 2776 मेगावाट तथा फरवरी 1995 में आर बढकर 2988.80 मेगावाट हो गई। उच्च प्रसारण लाइनों का दूरी वर्ष 1981-82 में 7123 कि.मी. था जो अगस्त 1992 के अंत में बढकर 12265 कि.मी. हो गई। यह लम्बाई राजस्थान के गठन के समय शून्य थी। 1992 में इ.ए.चा. ग्रिड सेव स्टेशन की संख्या 132 थी।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1993-94 सहित गत तीन वर्षों में विद्युत मण्डल ने लगातार 3 प्रतिशत रेट ऑफ रिटर्न प्राप्त का है राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए अध्ययन हेतु अन्तर राष्ट्रीय कन्सल्टंट्स नियुक्त किये हैं।

राजस्थान में सब प्रजाति के बावजूद विद्युत का माग और पूर्ति में अंतराल बना हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में लगभग 40 प्रतिशत विपुल का कमा का अनुमान लगाया है। राजस्थान में विद्युत विकास का विद्युत सम्भावनाएँ हैं। सार उजा के क्षेत्र में राजस्थान प्रभावी भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार के इस आर कारगर प्रयास प्रशासनाय है। विद्युत क्षेत्र में राज्य विद्युत मण्डल का घाटा तथा विद्युत की चारा प्रमुख समस्या है। जिसके निराकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति की गुणावता में सुधार का आवश्यकता है। राजस्थान का विद्युत का कमा की समस्या से निराकरण के लिए उजा विकास के क्षेत्र में विदेशी निवेशका का आभास करना चाहिए।

राजस्थान में परिवहन विकास

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। आद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन अपारहाय है। परिवहन के साधना से सतुलित विकास का गति मिलता है। केवल माल के अतिरिक्त उपलब्धता का अन्य स्थानों का आपूर्ति किया जा सकता है और स्थान विशेष का प्राकृतिक समाधान के अभाव में भी विकास किया जा सकता है। अन्य परिवहन के साधना का अद्योगिक विकास में हा महत्व नहीं आपत्तु प्राकृतिक आपदाओं के समय में बड़ा उपादय है। परिवहन का सामूहिक महत्व है। युद्ध के समय तो परिवहन के साधना का महत्ता और भी उद बढ़ जाता है। परिवहन में मुख्यत रेल मडक व वायु यातायत को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के यातायत विकास में परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। सडक परिवहन के क्षेत्र में तो

राजस्थान में सड़का की लम्बाई
(किलोमीटर)

वर्ष	सड़का की लम्बाई
1950 51	17339
1960 61	26693
1970 71	31752
1980 81	41194
1990 91	58350
1991 92	59913
1992 93	61520
1993 94	63078
1995 96	66837

Source 1 Statistical Abstract Rajasthan 1995
2 आर्थिक समीक्षा 1995 96 राजस्थान सरकार ।

राजस्थान में वष दर वष सड़को क विकास में वृद्धि हो रही है । सड़का की लम्बाई 1990 91 में 58350 कि मी थी जो बढ़कर 1993 94 में 63078 तथा 1995 96 में आर बढ़कर 66837 कि मा हो गई । राजस्थान में 1950 51 से 1995 96 के बीच पैतालस वर्षों का समयावधि में सड़को की लम्बाई में चार गुना वृद्धि हुयी है । सड़क विकास में असमानता

वियोजित विकास में सड़का का लम्बाई में वृद्धि हुयी है किन्तु सड़को के विकास में असमानता है । राजस्थान में सड़का का लम्बाई का दृष्टि से जोधपुर पाली नागर बाडमेर भालवाडा विकसित है । वर्ष 1992 93 में इन जिलों में सड़को की लम्बाई राज्य की कुल सड़का का लगभग 31 प्रतिशत थी ।

सड़क परिवहन में पिण्ड जिले 1991 93
(किलोमीटर)

जिले	सड़का की लम्बाई
दौसा	636
बांस	806
धूलपुर	892
झालावाड	921
टाक	1047

Source Statistical Abstract Rajasthan 1993 P 704

राजस्थान में वर्ष 1992-93 में सड़क की सबसे कम लम्बाई दास जिले में थी वहाँ सड़क की लम्बाई केवल 636 कि.मी. थी। बारा जिले में सड़क की लम्बाई 806 कि.मी. थी। इसके विपरीत जोधपुर में सड़क की लम्बाई सर्वाधिक 4812 कि.मी. थी। इस प्रकार जिलवार सड़क की लम्बाई में भारी असमानता है।

नागपुर वर्गीकरण के अनुसार रोड — नागपुर वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी जिला सड़क के अन्य जिला सड़क के आर ग्रामीण सड़क के सम्मिलित का जाता है। नागपुर वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सड़क विकास निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सड़क की लम्बाई
(किलोमीटर)

वर्गीकरण	1985-86	1992-93	1995-96
राष्ट्रीय राजमार्ग	2521	2846	2846
राज्य राजमार्ग	7457	7151	9810
मुख्य जिला सड़क	3616	3638	5549
अन्य जिला सड़क			
और ग्रामीण सड़क	34603	45646	46093
सामावर्ती सड़क	2239	2239	2239
कुल	50436	61520	66837

Source 1 Basic Statistics Rajasthan 1988 to 1994

2 आर्थिक समीक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई काफी कम है। वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2521 कि.मी. थी जो बढ़कर 1995-96 में 2846 कि.मी. हो गई। वर्ष 1995-96 में राज्य राजमार्ग की लम्बाई 9810 कि.मी. मुख्य जिला सड़क 5549 कि.मी. अन्य जिला सड़क आर ग्रामीण सड़क 46393 कि.मी. तथा सामावर्ती सड़क 2239 कि.मी. थी। राजस्थान में 1951 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क का आसत लम्बाई केवल 5.4 किलोमीटर थी। वर्ष 1995-96 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की औसत लम्बाई बढ़कर 33.12 किलोमीटर हो गई। जबकि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में अखिल भारत में सड़क की औसत लम्बाई लगभग 62 किलोमीटर है। यह स्थिति राजस्थान के सड़क परिवहन का दृष्टि से पिछड़पन को दर्शाता है।

राजस्थान में 1992-93 में किस्मा के अनुसार सड़क की लम्बाई इस प्रकार थी डामर की सड़क (बीटी) 44605 किलोमीटर, पक्का सड़क (डब्ल्यू.वी.एम.) या मटल सड़क 3587 किलोमीटर मिट्टा व गाल पत्थरों से बनी सड़क 10219 किलोमीटर मोसमा सड़क 263 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 2846 किलोमीटर।

मोटर परिवहन का विकास — गेनरल विकास में राजस्थान में पञ्जाब में मोटर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पञ्जाब में मोटर वाहनों का विकास

मोटर साइकिल आटो साइकिल आटा रिक्शा स्कूटर टेक्सी कार टक्कर टेलर्स स्टेट करेज आदि मुख्य हैं ।

**पंजीकृत वाहनो का रजिस्ट्रेशन
(संख्या)**

वर्ष	पंजीकृत वाहन
1985 86	572417
1988 89	844250
1989 90	960706
1990 91	1081958
1991 92	1204463
1992 93	1320021
1994 95	1720990

राजस्थान में 1985 86 में पंजीकृत वाहनो की संख्या 572417 थी जो बढ़कर 1994 95 में 1720990 हो गई । इस प्रकार केवल नौ वर्षों में पंजीकृत वाहनो की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई । राज्य में जैसे जैसे सड़को का विकास और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पंजीकृत वाहनो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है ।

सड़क दुर्घटनाएँ— राजस्थान में सड़क परिवहन के विकास के साथ बढ़ती सड़क दुर्घटना घातों की बात है । सड़क दुर्घटना से जान और माल की भारी क्षति होती है । राजस्थान में वर्ष 1986 में 5724 सड़क दुर्घटनाएँ हुयी । इसमें 2121 व्यक्ति मारे गये तथा 5957 व्यक्ति जख्मी हुए । सड़क दुर्घटनाओं में 5724 वाहन सम्मिलित थे । सड़क दुर्घटनाओं का संख्या बढ़कर 1992 में 11819 हो गई इनमें 3872 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी । 1992 93 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और बढ़कर 12757 हो गई इसमें मरने वाला का संख्या बढ़कर 3893 हो गई । राजस्थान में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जयपुर में होती है । वर्ष 1993 में जयपुर में 2911 सड़क दुर्घटना हुयी इसका विपरीत जैसलमेर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 82 थी ।

ग्रामीण सड़के — राजस्थान में विगत दस वर्षों में अन्ध तित्त सड़के और ग्रामीण सड़को की लम्बाई में वृद्धि हुई है । ग्रामीण सड़को की लम्बाई 1985 86 में 34603 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1992 93 में 45646 कि मी तथा 1995 96 में ओर बढ़कर 46393 किलोमीटर हा गई ।

राज्य में ग्रामीण सड़को की लम्बाई में अवश्य वृद्धि हुई है । इसके बावजूद अधिकांश गाँव सड़को से जुड़े हुए नहीं हैं । 1971 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च

1994 तक 33305 गाँवों में से 14125 गाँव सड़कों से जुड़े थे। सड़कों से जुड़े गाँवों का प्रतिशत 42.4 था। 1981 की जनगणना के अनुसार सड़कों से जुड़े गाँवों का प्रतिशत कम है। 34968 गाँवों में से 9805 गाँव ही सड़कों से जुड़े थे। सड़कों से जुड़े गाँवों का प्रतिशत 28 था। 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 से कम जनसंख्या के 26822 गाँवों में 8031 गाँव सड़कों से जुड़े थे। 1000 से 15000 तक जनसंख्या के 3691 गाँवों में 2542 सड़कों से जुड़े थे तथा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले 4455 गाँवों में 4089 गाँव सड़कों से जुड़े थे। वर्ष 1993-94 तक 78 प्रतिशत गाँव सड़कों से जुड़े नहीं थे।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (सन् 2003) राजस्थान के सभी 37 हजार गाँवों को सड़कों से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सातवीं योजना में सड़कों के विकास के लिए जो बजट 2.4 प्रतिशत था। वह अंत (1996) 7.5 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। राजस्थान में वर्तमान सरकार (1996) के सत्ता सम्भालत वक्त 37 हजार में से 12 हजार 500 गाँव सड़कों से जुड़े हुए थे। लेकिन वर्तमान में (1997) में सड़कों से जुड़े गाँवों की तादाद 19 हजार तक पहुँच गई है। 31 मार्च 1997 तक 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गाँव डामर की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है तथा मार्च 1997 तक प्रत्येक पंचायत केन्द्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

आजादी के अनेक बरस बीत जाने से बावजूद भी असंख्य गाँवों का सड़कों से जुड़े नहीं होना चिंताप्रद है। सड़क परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनों के अभाव के साथ विपन्न भौगोलिक स्थिति भी सड़क विकास में बाधा है। विपन्न भौगोलिक स्थिति के कारण सड़कों में स्थायित्व नहीं रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों और रेत के धोरे पर सड़क निर्माण कठिन है। सड़कों के विकास का विकल्प है। अंत ग्रामीण सड़कों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की महती आवश्यकता है। समय बच्य कार्यक्रम के तहत निकट समय में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। सड़क परिवहन पर विनियोजन में वृद्धि की जानी चाहिए। आवंटित राशि का सार्थक उपयोग हो। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की माकूल व्यवस्था हो।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है। एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में हुई। वर्ष 1991-92 में निगम के अन्य वित्तीय ससाधन 153 करोड़ रुपये थे। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने पिछले वर्षों में लाभ अर्जित किया है। विगत वर्षों में निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है-

1989-90 में 153 लाख रुपए, 1992-93 में 127 करोड़ रुपए, 1993-94 में 224 करोड़ रुपए । वर्ष 1995-96 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 26 करोड़ रुपए का लाभ हुआ । लाभ अर्जित करने की दृष्टि से निगम ने कीर्तिमान स्थापित किया है । 1990-91 में निगम को 86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था ।

वर्तमान में सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को "मॉडल स्टेट" माना जा सकता है । राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है । राजस्थान सरकार ने राज्य के परिवहन विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है । राज्य के 32 जिलों में चालका के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है । भविष्य में परिवहन विकास के गति पकड़ने की आशा की जा सकती है ।



औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ तथा विकास हेतु सुझाव

औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ

राजस्थान आर्थिक नियोजन के चार दशक पूरे कर चुका है फिर भी औद्योगिक विकास का स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाई है। राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का अंश चालू मूल्य पर वर्ष 1988-89 में 9.32 प्रतिशत था जो कि राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़पन का घातक है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं

1. विपन्न भौगोलिक स्थिति - राज्य का पश्चिमी भाग रेत की घोरों से घेरा हुआ है ना मध्य भू भाग का 57.8 प्रतिशत है। जनसंख्या के दूर-दूर तक फैले जाने के कारण बुनियादी सेवाएँ जैसे विद्युत, जल, सड़क, संचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के पहुँचाने में कठिनाई आती है।
2. कृषि की मानसून पर निर्भरता - राज्य की अर्थ व्यवस्था पर सदैव अकाल का साया मंडराता रहता है। यहाँ अकाल अपने जेल फैलाए पसरा रहता है। मानसून का अनियमितता से उद्यान के लिए कृषिगत कच्चे माल की पूर्ति अनियमित व अनिश्चित हो जाती है।
3. मरुस्थलाय क्षेत्र की सतत वृद्धि भा औद्योगिक व पर्यावरणीय विकास के लिए खतरा बना हुआ है।
4. केंद्राय सरकार की उदासीनता एवं सौतेला व्यवहार भी राजस्थान के तंत्र आद्योगिक विकास में बाधा रही है।
5. राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

- 6 राज्य में पिछले वर्षों की वार्षिक योजना का आकार राज्य में महंगाई को दूर को देखते हुए कम रहा है । वर्ष 1991-92 में राजस्थान में महंगाई 24-17 प्रतिशत रही ।
- 7 राजस्थान में गाडगिल फार्मूल के अनुसार केन्द्र से यहां की भौगोलिक स्थिति व आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर अधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।
- 8 सुदृढ़ आधारभूत संरचना का अभाव यहां के औद्योगिक विकास में बाधा रही है । जयपुर-सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर-रियासत के समय छोटी लाइन डाली गई थी और आजादी के बाद से ही इस मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग चल रही थी जो वर्ष 1993 में नाकर पूरी हुई । जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है । राज्य को एक हजार मेगावाट से अधिक विद्युत की कमी के दौर से गुजरना पड़ रहा है ।
- 9 केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा यहां के किलो और ऐतिहासिक स्मारक का रख-रखाव नहीं करने के कारण राज्य पर्यटन को समृद्धता की लोभ नहीं उठा पाया है ।
- 10 राज्य में औद्योगिक रुग्णता के कारण भी औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है । उद्योगों के बंद होने का मुख्य कारण कार्यशील पूंजी का अभाव है ।

औद्योगिक विकास हेतु सुझाव :

राजस्थान के औद्योगिक विकास में बाधक तत्वों को दूर कर भविष्य में औद्योगिक विकास की गति का तेज किया जा सकता है । औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने के लिए सुदृढ़ अर्थ-संरचना का होना आवश्यक है । सुदृढ़ अर्थ-संरचना से उद्यमी आद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते हैं ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं

- 1 राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकसित किए जाने चाहिए जैसे दक्षिण राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि प्रोसेसिंग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा असिंचित जिलों में दक्षता आधारित हस्तशिल्प उद्योग विकसित किए जाने चाहिये । जैसलमेर क्षेत्र में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गैस आधारित औद्योगिक इकाइया भी विकसित की जा सकती हैं ।
- 2 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग निधारित किया जाना चाहिए दूसरे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी ।

- 3 राज्य की आमदनी में विनिर्माण किया का लगभग 8-9 प्रतिशत अंश है, जिसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।
- 4 राज्य सरकार को उद्योगों को दी जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए । आधार संरचना व अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए । उन उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमें राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है । जैसे पशु आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण खनिज पदार्थ व दस्तकारिया ।
- 5 औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।
- 6 राज्य सरकार को औद्योगिक तकनीकी ज्ञान के विकास पर भी बल देना चाहिए। बड़े उद्योगों तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं ।
- 7 औद्योगिक विकास के लिए शांति, पारस्परिक सौहार्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है । अतः ऐसे कदम उठाए जाए जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे और औद्योगिक विकास में रुकावट नहीं आए ।
- 8 राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक संस्कृति व औद्योगिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए । औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक खिडक़ा सेवा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
- 9 उद्यमियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए खुले मंच आयोजित किये जाने चाहिए । विभागीय अधिकारियों का व्यवहार उद्यमियों के हितार्थ होना चाहिए ।
- 10 राज्य में अकाल का सग्या को दृष्टिगत रखते हुए कृषि आधारित उद्योगों की तुलना में खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर बल देना चाहिए ।
- 11 हाल ही के वर्षों में तिब्बत उत्पादन में हुई भारी वृद्धि ने राज्य में स्वर्ण क्रांति ला दी है । इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की स्थापना हेतु देशी विदेशी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।



नई औद्योगिक नीति

औद्योगिक नीति का महत्त्व

औद्योगिक विकास देश विशेष को औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है । राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कैसे दिशा देना चाहता है इसके लिए दिशा निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है अतः देश को आर्थिक नीति उसके औद्योगिक विकास को आधारशिला समझी जाती है । वर्तमान बदलते आर्थिक परिदृश्य में तो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ़ गयी है ।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

स्वतंत्रता उपरांत भारत में घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समरूप रहे हैं । औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना होता है और औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित होता है । इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो ।

असतुलित क्षेत्रीय विकास देश में जन असंतोष का बढावा देता है । विदित है भारत में कुछ राज्य यथा गुजरात, महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आदि आर्थिक दृष्टि से सफल है जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार काफी पिछड़े हुए हैं । औद्योगिक नीति के द्वारा प्रायः सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है । औद्योगिक नीति असतुलित आर्थिक विकास को भी बढावा देती है । इससे उद्योग कृषि तथा अर्थ व्यवस्था के अन्य विविध क्षेत्रों का असतुलित विकास किया जा सकता है ।

औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र निजी, सयुक्त एवं सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों के अधिकार व दायित्वा का

स्पष्ट विभाजन होता है। बड़े और लघु उद्योगों का क्षेत्र विभाजित कर इन्हे परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से बचाया जा सकता है। जिससे लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में फलने-फूलने का अवसर मिलता है। उपभोग वस्तु उद्योगों व पूँजी वस्तु उद्योगों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर सतुलन स्थापित किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूँजी व साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है। प्रायः भारत सरीखे विकासशील देशों में पूँजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है।

स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति

भारत का अतीत औद्योगिक रूप से धनाढ्य रहा है। समूचे विश्व में भारत "सोने की चिड़ियाँ" के नाम से सुविख्यात था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की व्यापक माँग थी। स्वतंत्रता से पूर्व व्यापार सतुलन सदैव पक्ष में रहा। ढाका की मलमल तो विश्व में पृथक पहचान बनाये हुए थी। लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग दुनिया में अपना सानो नहीं रखते। हस्तशिल्प प्रागैतिहासिक काल से कलात्मक जगत में विख्यात था, यह रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया में कला और सांस्कृतिक वैभव की साक्षात् अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई और दुलाई में भारत काफी आगे बढ़ा हुआ था, दिल्ली के निकट स्थित लोह-स्तम्भ इसका ज्वलंत उदाहरण है।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में भारत में औद्योगिक विकास के स्तर एवं यहाँ के लोगों की औद्योगिक दक्षता एवं प्राविधिक कुशलता का मोटा अनुमान टी एच हौलैण्ड की अध्यक्षता में नियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के इन शब्दों से लगाया जा सकता है "जिस समय पश्चिम यूरोप में जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान हैं, असम्य जातियाँ निवास करती थी, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव एवं शिल्पकारों की उच्च कलापूर्ण निपुणता के लिए विख्यात था। यही नहीं बल्कि काफी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहली बार आए, तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप में यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में घटिया नहीं था" कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकसित अतीत की दृष्टि से यह कथन भी उल्लेखनीय लगता है कि जिस समय मिस्र के पिरामिड नील नदी में झोंक रहे थे, आर्थिक विकास के विराट् दैत्य अपनी जगली अवस्था में थे, भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्व विख्यात था।

भारत की समृद्ध धरोहर पर विश्व के अनेक देशों की लालच भरी दृष्टि पड़ी। देश को विदेशी आक्राताओं के शोषण का शिकार होना पड़ा। अंग्रेज व्यापारियों की हैसियत से यहाँ आए और कुटनीति से हमें गुलामी के शिकारे में जकड़ लिया, यही से भारत

के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई ।

भारत में ब्रिटेन ने जिस आर्थिक नीति का पालन किया उसकी अभिव्यक्ति भी टिप्टों ने इन शब्दों की "हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त है कि इंग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाए, जिसके बदले में भारतीय वस्तुएँ बेची जाएँ" अठारहवीं शताब्दी के अंत से परम्परागत उद्योगों का एक-एक करके खात्मा होने लगा । उद्योगों के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ होकर अन्य उद्योगों तक व्यापक हो गई । यह प्रक्रिया निरन्तर चलता रही । भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान देश में परिवर्तित हो गया ।

इंग्लैण्ड से राजनीति सबंध कायम होने तथा औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में पूंजीगत उत्पाद की भरमार हो गई । इंग्लैण्ड के पतन से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति मशीन उत्पाद के द्वारा नहीं की गई क्योंकि ब्रिटिश नीति शोषण से अंत पोत था । उनका मुख्य ध्येय भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना तथा यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करना था । भारत से निर्यात किए गए कच्चे माल से ब्रिटिश में उद्योगों की स्थापना की गई । भारत से निर्यातित कच्चे माल से निर्मित माल को भारत में लाकर यहाँ के बाजारों को फट दिया गया ।

1918 के औद्योगिक आंदोलन के विफल होने के बाद भारत में कुछ चुने हुए उद्योगों को विभेदकारी संरक्षण दिया गया । इस संरक्षण के साथ परमानुग्रहीत राष्ट्र कण्डिका जुड़ी हुई थी । फिर भी कुछ उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र, चीना, कागज, दियासलाई और कुछ हद तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ने प्रगति की किंतु ब्रिटिश शासनकाल में पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया । भारत में औद्योगीकरण की सतत् उपेक्षा की गई ।

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में उद्योगों की स्थिति पर नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि यहाँ के औद्योगीकरण के ढाँचे में लघु उद्योग इकाइयाँ की बाहुल्यता थी । प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक विकसित नहीं होने से पूँजी की तीव्रता काफी कम थी । उपभोग वस्तु उद्योग और पूँजी उद्योगों में भारी असंतुलन था ।

सारांशतः ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण में कतई रुचि नहीं ली इनके शासन में भारत का आर्थिक शोषण हुआ । इंग्लैण्ड ने भारत की अर्थात् प्राकृतिक संपदा का मनमाफिक दोहन किया और यहाँ के उत्पादों पर ब्रिटेन के औद्योगीकरण को त्वरित गति दी । इस तरह विद्वेषपूर्ण व्यवहार से जहाँ ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बल मिला वहीं भारत का औद्योगिक आधार लगभग टूट गया ।

वर्तमान औद्योगिक नीति

(अर्थात् जुलाई 1991 में घोषित नीति)

वर्ष 1991 के सक्रमण में भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । राजनीति उहा पाह की स्थिति ने आर्थिक सकट की स्थिति को और भयावह बना दिया । नियत समय पर (28 फरवरी 1991) को ससद में आम बजट पेश नहीं किए जाने से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुयी । सक्रमण काल धमने का नाम नहीं ले रहा था । भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति रसातल तक पहुच चुकी थी । बाह्य दायित्वों को निपटाने की समस्या मुखर हो उठी । विषम आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लेने पडे । इनके अभाव में विश्व में हमारी आर्थिक छवि के घूमिल होने की आशका थी । सरकार ने सूझबूझ एव नीतिगत पहल से तत्कालीन आर्थिक सकट को काबू में लिया ।

राज सरकार ने सत्ता की शुरूआती से ही देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारभ किया । सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने के लिए अर्थतंत्र में अनेक मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं । आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत नवीन औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के साथ हुयी जिसे खुली औद्योगिक नीति के नाम से जाना जा रहा है ।

24 जुलाई 1991 को उद्योग राज्य मंत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद में औद्योगिक नीति की घोषणा की । घोषित नई औद्योगिक नीति स्वातंत्र्योत्तर भारत में औद्योगिक संस्कृति के उन्नयन और विकास की दिशा में उठाया गया साहसिक और युगातकारी कदम है । जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित अर्थ नीतियों के प्रसंग में भारत की प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है । यह नीति आज की विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की उपलब्धियों को और भी सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई पहल और मौजूदा सकट से उबरने के उसके अदम्य सकल्प और आस्था की पुनर्अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक दस्तावेज है ।

औद्योगिक नीति पृष्ठभूमि

आर्थिक नियोजन के चार दशक में देश में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है । विदित है कि देश में इस दौरान औद्योगिक संवृद्धि दर, कृषि विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है । सातवीं पांच साला योजना के तुरंत पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार खड़ा हो चुका था । युनियादी उद्योगों का जाल विद्यमान था तथा तमाम वस्तुओं के उत्पादन में

आत्मनिर्भरता हासिल की गई । औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र अस्तित्व में आए । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का सार्थक प्रयास हुआ और युवा उद्यमियों की एक समृद्धी नई पीढ़ी उभर कर सामने आई । इंजीनियरों, तकनीशियनों और विविध क्षेत्रों में कुशल कामगारों को प्रशिक्षण सुविधाएँ देकर समग्र औद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और गत्यात्मकता प्रदान की गई । सातवीं योजना में भारतीय उद्योग का 85 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ ।

औद्योगिक नीति : आवश्यकता

समग्र देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक अभ्युदय और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबंधी नीतियों के तेवर और उनकी त्वरा को बदलें । असमानताओं को दूर कर समाजवादी समाज की संरचना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता है । उद्योग वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रों में दूरगामी परिवर्तनों की जरूरत है ताकि अधुनातन तकनोलॉजी के व्यापक प्रयोग के जरिए हम उत्पादन में आशातीत वृद्धि कर सकें ।

पिछले चार दशक की उपलब्धियों को संपुष्ट और समेकित करने की आवश्यकता है, जिससे देश भावी चुनौतियों का प्रभावी तौर पर मुकाबला करने में सक्षम बन सके ।

औद्योगिक नीति : उद्देश्य

खुली औद्योगिक नीति में अग्रकित उद्देश्य अन्तर्निहित है

- 1 सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना,
- 2 निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन,
- 3 आधुनिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी और संपन्न एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण,
- 4 विश्व अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में भारत को विकसित करना
- 5 आत्मनिर्भरता की प्राप्ति,
- 6 आयात के भुगतान के लिए स्वयं के स्रोतों का सृजन,
- 7 उद्यमियों का उत्साहवर्द्धन,
- 8 विकास और अनुसंधान में निवेश,
- 9 नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना,
- 10 पूंजी बाजार का विकास,
- 11 उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओं का विकास,

- 12 आधारभूत सुविधाओं का विकास,
- 13 पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित औद्योगिकरण,
- 14 आर्थिक कुशलता और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से विकास,
- 15 श्रमिकों के हितों की रक्षा,
- 16 विकास के लाभों को जन समूह तक पहुंचाना,
- 17 प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी,
- 18 उद्योगों के सभी क्षेत्रों—लघु, मझौले तथा बड़े जो सार्वजनिक अथवा निजी या सहकारी क्षेत्र में हों, बढ़ावा देना ।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें : नीतिगत पहल

नई औद्योगिक नीति में उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूलतः पांच क्षेत्रों में नीतिगत पहल की घोषणा की गई है । ये हैं

1 औद्योगिक लाइसेंसकरण नियंत्रणों से छूट लाइसेंस मुक्त व्यवस्था— लाइसेंस की प्रचलित प्रणाली के कारण उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी होती थी अब अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष और गतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों को छोड़ कर लगभग सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया । नई नीति के तहत अब .

1 नए उद्योगों की स्थापना के लिए “तकनीकी विकास महानिदेशालय” में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी । मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ को इसी प्रकार अपने विस्तार के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी ।

2 औद्योगिक लाइसेंस अब केवल 18 विशिष्ट किस्म के उद्योगों के लिए लेना अनिवार्य होगा । इनमें कोयला तथा लिग्नाइट पेट्रोलियम, शराब, चीनी सिगरेट और तंबाकू उत्पाद एसबेस्टस, प्लाइवुड, चमड़ा तथा उससे निर्मित वस्तुएँ कार बस और अन्य प्रकार की मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयर-कंडीशनर, वाशिंग मशीनें तथा घरेलू मनोरंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी वस्तुएँ शामिल हैं ।

3 नए उद्योगों को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरूरत भी अब नहीं रहेगी । मौजूदा उपक्रमों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी ।

4 नए उद्योगों के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों को भी प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है । मौजूदा उद्योगों को बिना किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी ।

2 विदेशी निवेश निर्यात सबवर्द्धन तथा आयात ढील की प्रणाली

देश के वृहत्तर औद्योगिक विकास के हित में विदेश निवेश का स्वागत किया जाएगा । विदेशी निवेश से संबंधित विशेषताएँ हैं -

- 1 जिन मामले में मशीनों के लिए विदेशी पूँजी शेयर पूँजी के रूप में उपलब्ध होगी उन्हें स्वतः उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी ।
- 2 दो करोड़ अथवा कुल पूँजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीनें बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेंगी लेकिन वर्तमान विदेशी मुद्रा सकेट को देखते हुए यह प्रावधान अप्रैल 1992 से प्रभावी होगा ।
- 3 उत्पादन मशीनों के आयात के अन्य मामलों में औद्योगिक विकास मंत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा ।
- 4 अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक टोक और अफसरशाही के नियंत्रण के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलों में ही उपलब्ध होगी जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूँजी निवेश जरूरी होगा । इसके लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेर) में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूँजी निवेश की अनुमति दी जाएगी । यदि सारा उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय निगमों को शत प्रतिशत पूँजी निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है । विशेष अधिकार प्राप्त बौद्धिक संपदा क्षेत्रों में सीधे पूँजी निवेश के लिए भारत में उपक्रम लगाने को इच्छुक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सौदे विवरण तय करेगी ।
- 5 इन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीकों को विदेशों में परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है ।

3 विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते

समग्र औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकीय क्षमता को आत्मसात करना हमारे प्रमुख प्राथमिकताओं में एक है । भारतीय उद्योगों में प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के लिए सरकार निर्दिष्ट मानदण्डों के भीतर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों से संबंधित प्रौद्योगिकी समझौतों को स्वतः अनुमोदन प्रदान करेगी । अनुसंधान और विकास कार्य के लिए विदेशी तकनीशियनों की सेवाएं भाड पर लेने और देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के विदेशों में परीक्षण के लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा ।

4 सार्वजनिक क्षेत्र संबंध नीति

नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है और उनमें भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा । अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी । नई नीति के तहत अब

- 1 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित उत्पाद और सयंत्र परमाणु

उर्जा धातु, कोयला तेल एव अन्य खनिजों का खनन अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुएं और रेल परिवहन ही रह गया है । अन्य सभी क्षेत्र निजि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं ।

- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे धीरे निजि क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित क्षेत्रों में विस्तार की अनुमति दी जायेगी ।
- 3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में सरकारी शेयर पूंजी के कुछ भाग को वित्तीय सस्थानों आम जनता तथा कर्मचारियों को बेचने का भी प्रावधान किया गया है ।
- 4 निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जांच औद्योगिक और पुन निर्माण बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा ।
- 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेगी और पक्ष इस सहमति के प्रति जवाबदेह होंगे ।
- 6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम काज के बारे में खुली चर्चा करने के लिए सरकार तथा किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति ससद में प्रस्तुत की जायेगी ।

5 एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बड़ी कम्पनियों और औद्योगिक घरानों पर एम आर टी पी के तहत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जायेगी ।

नयी नीति में किए गए परिवर्तनों से अब बड़े घरानों और कम्पनियों को नए उपक्रम लगाने किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने कम्पनियों के विलय उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ खाम परिस्थितियों में निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

एम आर टी पी अधिनियम के उपबन्धों को मजबूत किया जायेगा ताकि आयोग एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक और अवाञ्छनीय व्यापार कार्यों के सबध में उपयुक्त कार्यवाही कर सके । नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच भी कर सकेगा ।

लघु उद्योगों के लिए पृथक् से औद्योगिक नीति की घोषणा

भारतीय अर्थतंत्र में लघु उद्योगों के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अगस्त 1991 को लघु उद्योग नीति की घोषणा की ।

नई लघु औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं

लघु इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन नई नीति में अति लघु, लघु एव सहायक उद्योगों की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया है ।

अति लघु क्षेत्र में प्लाट एव मशीनरी में पूंजी निवेश सीमा 2 लाख रूपए से बढ़ा कर 5 लाख रूपए कर दी गई ।

लघु उद्योगों में यह सीमा बढ़ा कर 60 लाख रूपए कर दी गई ।

सहायक तथा निर्यातमुखी इकाइयों में प्लाट एव मशीनरी में निवेश सीमा 75-75 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है ।

लघु उद्योगों की अंश पूंजी में भागीदारी अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योगों की अंश पूंजी में 24 प्रतिशत की भागीदारी की अनुमति दी जायेगी ।

अनुसंधान और विकास केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ उचित तालमेल द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन, परिसञ्चा, पैकेजिंग, प्रक्रिया तथा नए औजार एवं पुर्जों के विकास क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

सुविधाएँ लघु उद्योगों को भूमि आवंटन विद्युत कनेक्शन में वरीयता प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक बार तथा अति लघु उद्योगों को निरन्तर प्राप्त होते रहेंगे । लघु क्षेत्र विशेषतः अति लघु क्षेत्र को स्वदेशी एवं आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एवं उचित विवरण सुनिश्चित किया जाएगा । लघु उद्योगों की विपणन समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को "कामन ब्रांड" के नाम से बेचने पर ध्यान केन्द्रित करेगा । सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक ही स्थान से ऋण योजना की सीमा को बढ़ाने का निश्चय किया है । इन उद्योगों को विलम्बित भुगतान समस्या के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी सेवाओं का जाल संपूर्ण देश में फैलाएगा ।

लघु उद्योग इकाइयों को बहुसंख्यक अधिनियमों व कानूनों का अनुपालन करने बहुत से रजिस्ट्रारों का रख रखाव करने और निरीक्षकों के दल का निरन्तर सामना करने की निरन्तर शिकायत पर, तीन माह की निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जायेगी ।

औद्योगिक नीति : युगांतकारी कदम :

स्वतंत्र्योत्तर घोषित औद्योगिक नीति पूर्व में घोषित की गई नीति का ही आधार होती थी । कुछेक परिवर्तन को छोड़ कर हू-ब-हू, यदि उन्हें "नई बोटल में पुरानी शराब" कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । हाल ही घोषित की गई नई औद्योगिक नीति इस दृष्टि से पृथक हटकर है । इस नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनाने के लिए औद्योगिक घटकों में भारी बदलाव किया है । औद्योगिक नीति, अब तक अंगीकृत की जा रही नीतियों को तिलाजलि देकर एक नए युग की शुरुआत है । यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक युगांतकारी कदम है जिसमें देश की आवश्यकतानुरूप अनुकूल परिणाम समाहित हैं ।

नवीन औद्योगिक नीति में लाइसेंस की प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। इससे देश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा। लाइसेंस राज में उद्यमियों को सर्वप्रथम आद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, दूसरे चरण में उन्हें मशीनरी और उपकरण आदान करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, तीसरे चरण में विदेशी जानकारी की आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिक अनुबन्ध के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, अन्ततः शेयर के माध्यम से पूँजी एकत्रित करने के लिए पूँजी-निर्गमन नियंत्रक की अनुमति आवश्यक थी। कच्चा माल आयात करने से पहले आयात नियंत्रक की अनुमति लेनी पड़ती थी। इन सभी औपचारिकताओं से उद्यमियों का समय व धन बरबाद होता था। योजनाओं की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती थी। नवीन औद्योगिक नीति में व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेंस प्रणाली ही समाप्त कर दी।

विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, बाजार की विशेषज्ञता, अधुनातन प्रबन्धकीय तकनीक तथा निर्यात सबद्धन के लाभ प्राप्त होंगे।

वित्त मंत्री डॉ. सिंह ने यह स्पष्ट किया कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमें बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति "प्रयोगवादी" और "लचीला" दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि विदेशी पूँजी निवेश से भारतीय उद्यमियों को कोई खतरा पैदा हो सकता है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कठोर और हठधर्मी रवैये को त्यागना होगा। विदित है कि रूस और चीन में बहुराष्ट्रीय निगमों को शत-प्रतिशत पूँजी निवेश में अनुमति के अलावा अन्य प्रकार की रियायतें सुलभ हैं। सिंगापुर जैसे छोटे से देश में हजारों बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ काम कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा को तेज करने से भारतीय उद्योग अनुसंधान और विकास कार्यों पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक तेवर को निखारना है ताकि वह और अधिक सक्षम बन कर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके।

आलोचक यह कह कर नवीन नीति की आलोचना कर रहे हैं, कि देश के औद्योगिक द्वार विदेशियों के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। इस नीति में आर्थिक सविधान अर्थात् 1956 की आद्योगिक नीति को, तिलांजलि दे दी है।

प. नेहरू के समय तथा बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किंतु नवीन औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में दिखायी दे रही है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज की नीतियाँ प. नेहरू की नीतियों से विमुख हुयी हैं। एकाधिकार नियंत्रण कानून बदल कर उद्योगों

मे पूजी निवेश की सीमा खत्म कर दी है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से भारतीय साहसियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । सरकार को एकाधिकारी गतिविधियों का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहिए था ।

नवीन औद्योगिक नीति में किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का दर्शन, जो 1956 की औद्योगिक नीति का आधार था, फोका पड़ गया है । सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्त्व देना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

दृष्टिकोण :

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रधानमंत्री प. जवाहर लाल नेहरू ने नए विशाल समयों को नए भारत के मदिरों की सज्ञा देकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया ।

नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंडित नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है । यह नीति समकालीन सदर्थों के आर्थिक परिवर्तनों और पुनर्रचना के प्रयासों की कड़ी है, जिसमें साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है । देश के समग्र औद्योगिक रूपांतरण की इस महती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार और प्रतियोगी बना दिया गया है ।

वर्तमान में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे में समन्वित हो रही है तथा तकनीकी विकास की अपरिहार्यताओं से बाध्य होकर दुनिया भर के देश अधुनातन तकनीकों को आत्मसात कर रहे हैं । क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है । उससे समरस होकर ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकता है ।

एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों से सुरक्षा की जरूरत थी । लेकिन आज भारत विश्व के विशाल औद्योगिक देशों में से एक है । भारत उद्योग को उच्चतर प्रौद्योगिकी विकास के अधिकतम लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना चाहिए ।

नई औद्योगिक नीति से आम लोगों को लाभ पहुंचेगा । अधिक प्रतियोगिता बढ़ने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढ़ने से प्रतियोगात्मक मूल्यों पर बढ़िया किस्म के माल का उत्पादन होगा । विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ अब भारतीय कम्पनियों में भी रोक शुरू हो जायेगी । इससे हम उच्च स्तर का माल तैयार करेंगे, जिससे विश्व में हमें स्थायी बाजार मिलेगा ।

राजस्थान में औद्योगिक नीति

केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्रायः सभी राज्य आत्मसात करते हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रलोभन युक्त घोषणा करती हैं। राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए दिसम्बर 1990 में औद्योगिक नीति की घोषणा की। जनवरी 1991 में इस नीति पर कार्याभ हो गया।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति में राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा आदि पर भी विशेष बल दिया गया। प्राथमिकताएँ .

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी व चमड़ा आधारित उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लघु पैमाने की इकाइयों यथा अतिलघु उद्योग, लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्राथमिकता के क्रम में मध्यम एवं बड़े उद्योगों को आखिरी में स्थान दिया गया।

नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, साधन आधारित, कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

33 के वी से 220 के वी पर बिजली लेने वाले को 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जायेगी। 1990-95 की अवधि में पाँवर कनेक्शन प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 300 के वी तक के भार पर 31 मार्च, 1995 तक कोई पाँवर कटौती नहीं होगी।

पूँजी विनियोग सब्सिडी :

सभी नए मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिर पूँजी विनियोग पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रूपए), निम्न श्रेणी के उद्योगों को 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रूपए) की दर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी।

यह सुविधा लघु एवं सहायक उद्योगों, साधन आधारित उद्योगों, प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयों को उपलब्ध होगी। दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रूपए) श्रम गहन उद्योगों को दी जायेगी।

विनियोग सन्धि जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाड़ा शहरों को म्युनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओं में स्थापित उद्योगों तथा जयपुर व कोटा शहरों को शहरी सकुचन सीमाओं में नहीं दी जायेगी। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को भी सन्धि की सुविधा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य में पूजा विनियोग सन्धि उपलब्ध की जायेगी।

बिक्री करों में रियायतें—

1987 व 1989 की बिक्री कर प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम 31 मार्च 1995 तक नए उद्योगों पर्याप्त विस्तार व विविधाकरण करने वाली इकाइयों पर लागू होगी।

जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थिर पूजा विनियोग के सौ फीसदी या अधिक विस्तार और वर्तमान उत्पाद लाइसंस क्षमता का सौ फीसदी या अधिक बढ़ाने जा रही हैं उन्हें 75 प्रतिशत तक कर से मुक्ति का आस्थगन लाभ मिलेगा।

नयी पायोनियरिंग इकाइयाँ जिनमें विनियोग सामा 10 करोड़ रूपए तक है तथा प्रतिष्ठामूलक इकाइयाँ जिनमें विनियोग सामा 25 करोड़ रूपए है ये कहीं भी स्थापित हो इन्हें बिक्री कर रियायत 9 वर्ष तक मिलेगी। अति प्रतिष्ठा मूलक उद्योग जिनमें स्थिर पूजा विनियोग 100 करोड़ रूपए या अधिक है। कर दायित्व के 90 प्रतिशत तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया है। प्रतिष्ठा मूलक उद्योग कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत तक ब्राच टासफर के माध्यम से अन्य राज्यों में हस्तान्तरित कर सकेंगे।

ऐसी इकाइयाँ जिनमें बिक्री कर की अन्य किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए बिक्री कर की एवज में 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की स्कीम लागू की जायेगी।

चुँगी से छूट

उत्पादन के शुरूआती पांच वर्षों में नए उद्योगों के आठवीं पंच वर्षीय योजना में कच्चे माल पर चुगी कर छूट मिलेगी। उन्हें आयातित मशीनरी विस्तार के लिए आयोजित मशीन पर चुगी नहीं देनी होगी। कृषि आधारित लघु उद्योगों को सीधे किसान से जरूरत का सामान खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा जायेगा।

विपणन

सरकारी विभागों द्वारा लघु उद्योगों से 130 वस्तुओं के खरीदने की व्यवस्था थी अब 34 और वस्तुएं जोड़ दी जायेगी। राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत का एव अन्य उद्योगों को 10 प्रतिशत का कामत अधिमान दिया जायेगा।

रानस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों के उत्पादों की नुमाइश तथा बिक्री के लिए व्यापार केन्द्र तथा औद्योगिक म्युजियम की स्थापना की जायेगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता—

रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में एससी/एसटी के उद्यमियाँ द्वारा क्रय की जाने वाली

की समस्याओं का निदान हो सकेगा । सरकार इस नीति में राज्य के समग्र एवं तीव्र औद्योगिककरण के प्रति दृढ़-प्रतिज्ञ लगती है ।

राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 : औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने वास्ते मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा हाल ही में (15 जून 1994) नवान औद्योगिक नीति का घोषणा की गई है । श्री शेखावत ने नवीन नीति की घोषणा करते हुए कहा "भरा दृढ़ विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति 1994 औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करेगी और राजस्थान के अर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी ।"

औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- * अथ सरचतनात्मक सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान ।
- * निजी क्षेत्र को भागीदारी को अनेक मामला में प्रोत्साहन ।
- * आदान/सुविधाओं की समयबद्ध सूची ।
- * प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फैक्ट्रीज एक्ट, भूमि रुपान्तरण तथा अन्य अनेक प्रक्रियाओं का सरलीकरण ।
- * गुणवत्ता-सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन ।
- * बिक्री कर रियायतों में वृद्धि ।
- * क्रय कर में कमी ।
- * विशिष्ट उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रावधान ।
- * अधिकांश राजकोष आदेश, नीति के साथ ही जारी ।

औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना के लिए जिन बातों को सम्मिलित किया गया है वे हैं

निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण

- विद्युत उत्पादन सयंत्रों के लिए ।
- सड़कों के निर्माण के लिए ।
- आई सी डी तथा ई पी जेड की स्थापना ।
- पर्यटन सुविधाओं के लिए ।
- अनुसंधान व विकास संस्थाओं तथा प्रबंध विकास संस्थानों की स्थापना के लिए ।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ।

- दूर संचार सेवाओं के लिए ।
- औद्योगिक सभावना सर्वेक्षणों के लिए ।

निर्यात सवर्धन

- केन्द्र सरकार की सहायता से "निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क" स्थापित करना प्रस्तावित ।
- निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क/निर्यात जोन में स्थापित होने वाली शत प्रतिशत एव अन्य इकाइयों को पॉवर कनेक्शन में प्राथमिकता तथा यथासंभव 'पावर कट' से मुक्ति ।
- निर्यात - पुरस्कार योजना ।
- फ्रेट सब्सिडी योजना ।
- शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को अनुदान में वृद्धि ।

पूजी विनियोजन अनुदान

- विद्यमान योजना में सॉफ्टवेयर विकास विशिष्ट क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद विशिष्ट विनियोजन स्तर की सॉफ्ट इकाइयों औद्योगिक एल्कोहल विद्युत गहन इकाइया एव वीयर सम्मिलित ।
- फ्लोरीकल्चर टिशूकल्चर व फोल्ड स्टोरेज को अनुदान ।
- अनुदान योजना कुछ संशोधनों के साथ 1997 तक बढ़ाई जायेगी ।

अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियों को सहायता

- रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भू खण्डों के आवंटन पर दर में छूट ।
- राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त 5 लाख रुपये तक के सवधि ऋणों के प्रत्येक मामले में दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट ।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को ब्याज पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट ।
- राजस्थान वित्त निगम ऋण आवेदनो के प्रोसेसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट ।
- प्रधानमंत्री की रोजगार के अन्तर्गत 22.5 प्रतिशत छूट ।

महिला उपक्रमियों को सम्बल

- दो हजार वर्ग मीटर भू खण्ड पर महिला उपक्रमियों को 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाती है । युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएँ 15 प्रतिशत छूट के लिए पात्र हैं । महिला उद्यम निधि योजना राजस्थान वित्त निगम में लागू है ।
- धरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जायेगा ।

बिक्री कर प्रोत्साहन

- महिला उपक्रमियों द्वारा स्थापित लघुतर औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि के लिए शत-प्रतिशत बिक्री कर मुक्ति का लाभ ।
- दस करोड़ रूपये से अधिक पूंजी विनियोजन वाली सॉफ्ट डिस्क तैयार करने वाली इकाइया गात्र होगी ।
- बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन का निश्चय ।
- आस्थगन गणना के तहत उद्योगों द्वारा एकत्रित कर रखी गई बिक्री कर की राशि लाभ प्रारंभ होने की तिथि से चार वर्ष में ही चुकारा योग्य ।
- रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगारोन्मुख इकाइयों को म्याई पूंजी विनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ ।
- सिरेमिक व ग्लास, इलेक्ट्रोनिक्स तथा चर्म उद्योगों को बिक्री कर में अधिक छूट ।
- नई सीमेन्ट इकाइयों को आस्थगन योजना में लाभ ।

क्रय कर

- क्रय कर कुछ वस्तुओं पर कम कर दिया गया है । इम्बगोल पर यह कर 25 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है ।
- चर्म उद्योग के कच्चे माल पर क्रय कर तीन से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है ।
- शत प्रतिशत नियातक इकाइयों को क्रय कर में छूट ।
- ऊँ पर क्रय कर में कमी ।
- क्रय कर की विशेष दर पर कुछ मामला में शाखा स्थानान्तरण की छूट ।
- इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए क्रय कर में विशेष रियायत ।

विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उपाय

- राज्य में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों तथा चर्म उद्योग, सिरेमिक एवं काच उद्योग, ऊँ उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग खनिज उद्योग कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पयटन उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान एवं सुविधाएँ ।

ग्रामीण उद्योग

- कुशल श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने के विशेष प्रयास ।
- पचायत समितियों द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना ।

निरीक्षणों में कमी तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण

- विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकीकृत निरीक्षण ।
- निरीक्षणों की संख्या में कमी ।
- लघु एवं लघुतर इकाइयाँ, जिनमें 20 से कम श्रमिक नियोजित हैं, का पाच प्रतिशत एवं अन्य का 10 प्रतिशत आकस्मिक निरीक्षण ।
- औद्योगिक इकाइयों को निरीक्षण करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक ।
- लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए एक नोटिस एवं एक रिटर्न की व्यवस्था ।
- कारखाना अधिनियम के तहत प्रदत्त अनुज्ञापत्रों की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाच वर्ष किया जाना प्रस्तावित ।
- दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत अनुज्ञापत्र का केवल एक बार नवीनीकरण कराने का प्रस्ताव ।
- प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरलीकरण ।

औद्योगिक रूग्णता समाधान

- सरकार और उसके निकायो द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण के लिए किए जा रहे प्रयास और सुदृढ़ किए जायेंगे ।
रूग्ण लघु इकाइयाँ और दूसरी गैर-बी आई एफ आर इकाइयाँ भारतीय गिजर्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार चिह्नित की जायेंगी ।
- पुनर्जीवित की जाने वाली इकाइयों के लिए राहत एवं रियायतों का एक अलग पुत्र जारी किया जायेगा ।
- बी आई एफ आर प्रकरणों में घोषित सुविधाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित होगी । इसी प्रकार रूग्ण लघु उद्योगों और गैर बी आई एफ आर इकाइयाँ के लिए भी समितिषा गठित की जायेंगी ।

चुंगी

- राज्य सरकार चुंगी समाप्ति पर गभीरता से विचार कर रही है ।

समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था

- औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन ।
- भूमि स्थानान्तरण के बारे में 5 से 20 हैक्टर तक जिला कलेक्टर को तथा 30 हैक्टर तक सभागीय आयुक्त को अधिकार ।

नीति का क्रियान्वयन

- राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति का अनुपालना सुनिश्चित करेगी ।
- नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकांश सुविधाओं के सम्बन्ध में आदेश जारी ।

दृष्टिकोण

राज्य में घोषित नवीन नीति को बदले अन्तराष्ट्रीय आर्थिक परिवेश के समरूप बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है । इसकी घोषणा के समय भारत की जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान में रखा गया है । नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण तथा पूंजी विनियोजन अनुदान को 1997 तक बढ़ाना है । इसके अलावा औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान पर भी जोर दिया गया है । नई नीति में घोषित अधिकांश सुविधाओं के सबंध में साथ ही जारी किये गए आदेश उल्लेखनीय बात है । अतः यह कहने में सकोच नहीं कि नवीन औद्योगिक नीति से राज्य के औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा । इस प्रगतिशील औद्योगिक नीति से सवाई माधोपुर जिले का औद्योगिक विकास भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा ।



औद्योगिक विकास और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ

परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। भारत में नियोजन काल में औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया। नियोजित विकास की एक प्रभावी घटना सार्वजनिक उपक्रमों का तेजी से विकास है। 31 मार्च 1991 को 246 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 13234 करोड़ रुपये का कुल निवेश था। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनियोजित पूँजी पर अपेक्षित प्रत्याय अर्जित नहीं कर सके नवीनतम आर्थिक उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी नीति में व्यापक बदलाव किया गया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के बजट में विनिवेश आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। विनिवेश से प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन तथा सार्वजनिक उद्यमों को मजबूत करने हेतु निधि सृजित करने के लिए किया जायेगा। वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक उपक्रमों में 5000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। विनिवेश तीन किस्तों सितम्बर, नवम्बर तथा जनवरी/फरवरी में किया जाएगा।

नियोजित विकास में सार्वजनिक उपस्थित का बड़ा भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया गया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी। सातवाँ पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 292203 करोड़ रुपये व्यय किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए 469217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना परियोजना का 10.8 प्रतिशत है।

एशियाई परिप्रेक्ष्य में भा भारत की विकास दर कम है । अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रपट के अनुसार वर्ष 1995 में भारत की वास्तविक जी डी पी दर 6.2 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 10.2 प्रतिशत मलेशिया में 9.6 प्रतिशत कोरिया में 9.0 प्रतिशत सिंगापुर में 8.9 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया में 8.1 प्रतिशत थी । सितम्बर 1995 में आम भारतीय पर 3465 रुपए का विदेशी कर्ज का बोझ था ।

भारत में विकास दर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समरसता के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है । विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत को 6 प्रतिशत विकास दर को बनाये रखने के लिए 1996-97 में 8 अरब डालर की आवश्यकता है । भारत सरकार ने हाल ही (1996-97) विदेशी निवेश सवधन बोर्ड का पुनगठन किया है । इसका अलावा विदेशी निवेश सवधन परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित है । ये दोनों सस्याए मिलकर प्रतिवर्ष कम से कम 10 मिलियन डालर को पूंजी आकर्षित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अत्यधिक बढ़ावा देगी तथा उनका अनुमोदन करेगी ।

विदेशी निवेश सवधनी अनुमोदना के शीघ्र निपटान तथा इस प्रक्रिया को पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 35 उद्योगों की सूची का विस्तार करने का निणय किया है जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन के लिए पात्र है । (स्वात केन्द्रीय बजट, 1996-97)

भारत में अगस्त 1991 से अक्टूबर 1994 तक विदेशी पूंजी निवेश की कुल स्वीकृत राशि 239 मिलियन डालर थी । विदेशी पूंजी निवेश में अमरीका ब्रिटेन जापान स्विटजरलैण्ड तथा जर्मनी का भाग अधिक है । अमरीका ने आधिक उदारोकरण के पहले दान वर्षों में 5452.6 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया । विदेशी पूंजी निवेश पहले से ही समृद्ध तथा सुसज्जित बुनियादी सुविधाओं वाले क्षेत्र में अधिक आकर्षित हुआ । पूंजीगत क्षेत्र विदेशी पूंजी निवेश से उपेक्षित रहा । विदेशी पूंजी निवेश के सवध में दूसरी महत्वपूर्ण बात इसका महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली आदि में तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षित होना है । इसके अलावा मजूरशुदा निवेश और वास्तविक पूंजी प्रवाह में भारी गतगत रहा ।

राज्यवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) (विदेशी निवेशको द्वारा स्वीकृत और विनियोजित)
एक अगस्त 1991 से मई 1996 तक

करोड रुपए

राज्य	निवेश	कुल निवेश का प्रतिशत
दिल्ली	16218 4	22 82
महाराष्ट्र	10546 7	14 84
पंजाब	4227 2	5 60
तमिलनाडु	3698 9	5 21
गुजरात	2851 3	4 01
कर्नाटक	2828 3	3 98
उड़ीसा	2653 7	3 73
आन्ध्र प्रदेश	1736 7	2 44
उत्तर प्रदेश	1687 5	2 37
मध्य प्रदेश	1047 4	1 47
पंजाब	778 8	1 10
अन्य	22783 3	32 06
कुल	71058 2	

स्रोत-टाइम्स आफ इण्डिया बिजनेस टाइम्स 1 सितम्बर 1996

उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपदिव्यय तथा विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि से औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास की दर नियोजन के पहले चौदह वर्षों में (1951 से 1965) लगभग 8 प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 1961-70 के दशक में 4 प्रतिशत तथा 1980-85 के दौरान 5.5 प्रतिशत थी।

औद्योगिक वृद्धि उपभोग आधारित वर्षाकरण (पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत बदलाव)

उपभोग क्षेत्र	अप्रैल 1995	अप्रैल 1996
1 बुनियादी सामान	13 1	2 0
2 पूंजीगत सामान	29 4	13 2
3 मध्यवर्ती सामान	6 7	12 4
4 कुल उपभोक्ता सामान	18 6	9 9
5 उपभोक्ता टिकाऊ सामान	19 0	14 3
6 उपभोक्ता गैर टिकाऊ सामान	18 6	8 9

स्रोत - राजस्थान पत्रिका एक सितम्बर 1996

अस्सी के दशक में औद्योगिक विकास दर 7.8 प्रतिशत थी। वर्ष 1995-96 में औद्योगिक विकास दर 12.40 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। अप्रैल 1996 में बुनियादी वस्तुएँ की वृद्धि दर केवल 2.0 प्रतिशत थी जो कि चिन्ताजनक है। आर्थिक सुधारों से पूर्व के पांच वर्षों (1986-87 से 1990-91) में औसत औद्योगिक वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी जो आर्थिक सुधारों के बाद के पांच वर्षों (1991-92 से 1995-96) में बढ़कर 6

प्रतिशत रह गई । अधिक सुधारों के दौर में घटी औसत औद्योगिक विकास दर का कारण खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट था । आर्थिक संकट के दौरान अर्थात् 1990-91 तथा 1991-92 में औद्योगिक वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम थी ।

औद्योगिक विकास की दर में उच्चावचन है । नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारी पूँजी निवेश हुआ किंतु औद्योगिक विकास को बढ़ाने में सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सके । देश में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है किंतु वित्तीय ससाधनों और प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण विवेकपूर्ण विदोहन नहीं हो सका । औद्योगिक विकास के अपेक्षित गति से नहीं बढ़ने का कारण मानवीय ससाधनों का भी उपयोग नहीं हो सका । भारत विश्व का बड़ा बाजार है । देश में बुनियादी सामान का अभाव है । विदेशी निवेशक भारत के प्राकृतिक ससाधनों और विस्तृत बाजार के मनमाफिक दोहन के लिए प्रयत्नरत हैं । अन्तराष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं ने भारत को मिलने वाले रियायती ऋणों में भारी कमी कर दी है । जिससे विदेशी पूँजी निवेश को ओर मुखातिब होना पड़ा है । विदेशी पूँजी निवेश का क्षेत्र में भी विश्व में कड़ी प्रतिस्पर्धा है । गौरतलब है भारत विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में कम पूँजी निवेश आकर्षित कर सका है । विदेशी पूँजी निवेश के मार्ग में आधारभूत ढाँचे का अभाव प्रमुख बाधा है । तीव्र औद्योगिक विकास के लिए बिजली दूरसंचार सड़के रेल परिवहन बदरगाह आदि अद्य सरचनात्मक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है ।

विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य में विदेशी निवेशकों को विश्लेषक बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते आधिपत्य से बचने के लिए आंतरिक पूँजी निवेश का बढ़ाने की महती आवश्यकता है । भारत में हाल ही पूँजी बाजार का व्यापक विस्तार हुआ है । बचत और विनियोग दर में भी वृद्धि हुई है । बदले परिवेश में औद्योगिक विकास की बढ़ती उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं को कारगर भूमिका निभानी होगी । औद्योगिक विकास की गति को स्मृहणीय बनाने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राज्यीय वित्त निगम आदि की भूमिका को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है । इन विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं से उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । ऋण स्वीकृति में अनावश्यक क्लिम्ब हाता है । वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्रायः जितना ऋण स्वीकृत किया जाता है उतना आवंटित नहीं किया जाता है । वित्तीय सस्थाओं की ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता है । राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओं को भी बदले परिवेश के अनुरूप ढालना होगा ।

औद्योगिक विकास में विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं का योगदान

जीवन के विविध क्षेत्रों में वित्त की आवश्यकता महसूस की जाती है शायद

ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहा वित्त की जरूरत न पडती हो । उद्योगो के लिए तो वित्त प्राण है । उद्योग चाहे छोटा हो या बडा न्यूनाधिक वित्त की महत्ता है । वित्त के बिना काम नहीं चल सकता । जब उद्योग विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे थे । स्वामी स्वय के साधना से ही वित्त सम्बन्धी जरूरत निष्पादित कर लेते कितु जैसे जैसे उद्योगो का आकार बढ़ता गया स्वामियो के ससाधन सामित पडने लगे । अब उन्हे वित्त सबधी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतो की ओर मुखातिव होना पडा है ।

वर्तमान औद्योगिक युग मे विविध स्वरूपो के उद्योगो का तीव्र गति से विकास हुआ है वे उद्योग वित्त की प्राप्ति के लिए बहुधा पूजी बाजार पर निर्भर रहते हैं । विकसित राष्टो मे पूजी बाजार के मजबूत होने के कारण उद्योगो को पूजी प्राप्ति मे कठिनाई नहीं होती है । विकासशील राष्टो मे स्थिति विपरीत होती है । बचते कम होने के कारण पूजी बाजार व्यापक नहीं हो पाता है । इन देशो मे अधिसंख्य आबादी गरीब तथा अशिक्षित होती हे बैंकिंग मे विश्वास कम ही होता है । हाल के वर्षो मे पूजी बाजार को बल अवश्य मिला है कितु यह तेजी मदी व असामयिक झटको से प्रभावित होता रहता है । भारत म 1991-92 की अंतिम तिमाही मे शेयर बाजार मे अत्यधिक तेजी थी जैसे ही जून 1992 मे प्रतिभूति घाटाले का पर्दाफाश हुआ मदी का दौर शुरू हो गया ।

औद्योगिक वित्त का अर्थ है उत्पादन के लिए मुद्रा के माध्यम से वास्तविक ससाधनो को जुटाना । आद्योगिक इकाइया को उत्पादन सबधी कायकलापो यथा इमारत तथा मशीन का सयोजन व इनकी मरम्मत कच्चा माल श्रमिको की व्यवस्था आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है ।

उद्योगा मे उत्पादन सबधी कार्यकलापो को संचालित करने के लिए तीन प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती हे

- 1 दीर्घकालिक वित्त इसके चुकाने की अवधि लम्बी होती है तथा इसका प्रयाग स्थायी सम्पत्तियो के निर्माण मे किया जाता है ।
- 2 मध्यकालिक वित्त इसे दीर्घकालीन वित्त से कुछ कम अवधि मे चुकाना होता है । इसे मशीनो के प्रतिस्थापन तथा मरम्मत के काम में खर्च किया जाता है ।
- 3 अल्पकालिक वित्त इसे अल्पावधि प्राय एक वष या इससे कम समय मे लौटाना पडता है । इस वित्त की आवश्यकता माल का स्टॉक करने कच्चा माल खरीदने तथा मजदूरी आदि का भुगतान करने के लिए होती है ।

भारत के औद्योगिक विकास ही नहीं करना बल्कि इस दिशा मे सतत् आगे बढ़ते बढ़ते रहना भी है । अपने पैरो पर ही खडे नहीं होना अंतर्राष्ट्रीय परिवेश म प्रभावी भूमिका भी निभाती है । यह तेज गति से औद्योगीकरण द्वारा सभव है और औद्योगीकरण

औद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था पर निर्भर है। भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास काफी कुछ सीमा तक औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है और यह औद्योगिक वित्त के बिना संभव नहीं है।

स्वदेशी बैंक महाजन तथा वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः वाणिज्यिक वित्त में सरोकार रखते हैं। ये सस्थाएँ उद्योगों को सभी आवश्यकताएँ पूरा नहीं करती। अतः औद्योगिक वित्त के लिए पूंजी बाजार औद्योगिक बैंक का संगठन आवश्यक बन गया। इनके द्वारा ही वित्त को औद्योगीकरण की ओर जोड़ा जा सकता है।

छोटी छोटी बचतों के संग्रहण से पूंजी निमाण संभव है। यह भरोसेमंद तथा सस्थागत निवेश से आसानी से किया जा सकता है। भारत उद्योग धन्धों की दृष्टि से ही नहीं अपितु औद्योगिक संस्कृति की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक वित्त को बढ़ावा देकर औद्योगिक संस्कृति को विकासानुकूल बनाया जा सकता है। भारत में तो औद्योगिक वित्तीय सस्थाएँ, वित्त की कमी को दूर करने के लिए ही नहीं आयोजन के उद्देश्य को भी बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं।

बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त के स्रोत

बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्त प्राप्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं

अशा बड़े उद्योगों द्वारा पूंजी की व्यवस्था प्रायः अशा के निगमन द्वारा की जाती है। भारतीय उद्योगों द्वारा पिछले कुछ वर्षों से 10 रुपए के लघु मूल्य वर्गों के अशा का निगमन किया जा रहा है। अशा के विविध प्रकारों में साधारण व अधिमान अशा मुख्य हैं। बाजार में तेजी के समय अशा द्वारा पूंजी की प्राप्ति बड़ी आसान होती है। कुछ प्रतिष्ठित कम्पनियाँ अपने अशा को प्रीमियम पर भी जारी करती हैं। वर्ष 1992 में शेयर बाजार में आयी तेजा के कारण सभी वर्ग के विनियोजक पूंजी बाजार में विनियोग हेतु आकृष्ट हुए हैं। जून 1992 में प्रतिभूति घोटाले के उनागर होने के बाद शेयर बाजार में मंदी का दौर शुरू हुआ। इस तरह की आशका नहा होने के कारण अनेक विनियोजकों को भारी क्षति हुई। अशा के भावों में गिरावट का सिलसिला मई 1993 तक जारी था। कई मेगा इश्यू को अपेक्षित अधिदान नहीं मिला।

अशाधारी ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। यह एक तरह से साहसी विनियोजक हैं। कम्पनी के सभी दायित्वों के निष्पादन पश्चात् लाभ अथवा हानि पर इनका ही अधिकार होता है।

ऋण पत्र ऋण पत्र किसी कम्पनी द्वारा जनता के लिए जारी किए गए बाण्ड हैं। ऋण पत्र भारतीय विनियोजकों के बीच अशा की तुलना में कम प्रचलित हैं। फिर कम्पनियों ने भी ऋण पत्रों द्वारा पूंजी संग्रहण में अधिक रुचि नहीं दिखाई है। हाल ही के वर्षों में छोटे विनियोजकों को जो प्रायः सीमित वित्तीय ससाधन के कारण

कम अशो के लिए आवेदन करते ह अशो का आवटन सुगम नहीं होने के कारण परिवर्तनीय ऋण पत्रो मे विनियोग के प्रति रुचि बढी है ।

ऋण पत्रो मे ऐसे विनियोक्ता विनियोग करते हैं जो निश्चित आय चाहते है । ये किसी तरह की जोखिम नही लेना चाहते हैं । इन्हे प्राय परम्परावादी निवेशको की श्रेणी मे रखा जाता है ।

सार्वजनिक जमा इसका प्रयोग उद्योगो मे कार्यकारी पूजी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हे । सार्वजनिक जमा राशि को किसी भी समय वापस लिए जा सकने के कारण यह एक अविश्वसनीय स्रोत है । इससे एकत्रित राशि से स्थायी परिसम्पत्तियो मे निवेश नहीं किया जाता है ।

बैंक ऋण वाणिज्यिक बैंक अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार उद्योगो को कार्यशील पूजी की व्यवस्था के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करते हैं । वाणिज्यिक बैंको के पास जमा कर्ताओ की राशि होने के कारण ये उद्योगो के अशो मे विनियोग करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इन्हे जमाओ पर निश्चित प्रतिशत ब्याज देना पडता है । अशो मे जोखिम का भय है । वाणिज्यिक बैंक ऋण पत्रो मे निवेश कर अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर सकते हैं । किंतु ऋण पत्रो मे भी, आवश्यक नहीं जरूरत पडने पर बिक्री की जा सके भय की आशका रहती है ।

स्वदेशी बैंकर्स अतीत मे स्वदेशी बैंकर्स की भूमिका छोटे बडे उद्योगो के लिए महत्वपूर्ण रही है । ये छोटे बडे सभी उद्योगो को सकट से उबारने मे सहायक सिद्ध हुए हैं । अब वित्त की नवीन सस्थाओ के अस्तित्व मे आने के कारण इनका लोप हो रहा है । छोटे उद्योगो मे भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण नहीं रही । ब्याज की दर अत्यधिक वसूलने के कारण इनसे प्राप्त वित्त की लागत बहुत बैठती है ।

प्रबध अभिकर्ता प्रणाली अतीत मे औद्योगिक वित्त के विकास स्रोतो के अभाव में औद्योगीकरण मे प्रबध अभिकर्ता प्रणाली का वर्चस्व था । इसके अन्तर्गत व्यक्तियो का एक समूह स्वयं के वित्त से उद्योगो को प्रारम्भ करने के साथ ही प्रबध भी करता । ये एक फर्म के धन को अपने अधीनस्थ काम करने वाली अन्य फर्म के लिए प्रयुक्त कर लेते थे । इस प्रणाली मे अनेक दोष होने के कारण भारत सरकार ने 1970 से इस पर रोक लगा दी ।

औद्योगिक वित्त के नए संस्थान :

वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे बडे उद्योगा की बढती हुई वित्त आवश्यकताओ के लिए उपर्युक्त साधनो के अपर्याप्त होने के कारण वित्त के अनेक नवीन संस्थान अस्तित्व में आए हैं, जिनके बारे मे सक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है •

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् औद्योगिक वित्त अधिनियम 1948 द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम का मुख्य उद्देश्य भारत में उपलब्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करना है। निगम की भूमिका वर्तमान में राष्ट्र के समूचे औद्योगिक विकास तक व्यापक कर दी गयी है। निगम के द्वारा सुविधा और सेवाएँ परियोजना वित्त वित्त सेवा व प्रगति सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं।

31 मार्च 1991 तक निगम ने परियोजना वित्त और वित्तीय सवा के अतर्गत 10,777 49 करोड़ रूपए की सहायता स्वीकृत थी जिसमें 3607 करोड़ रूपए औद्योगिक परियोजना के थे। वितरित सहायता की राशि 6569 90 करोड़ रूपए थी।

भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना 1955 में एक सावजनिक कम्पनी के रूप में औद्योगिक इकाइयाँ को बढ़ावा एव सहायता देने के लिए की गई। यह भारतीय एव विदेशी मुद्रा में सावधि ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त अशा व ऋण पत्रों का अभिगोपन अशा व ऋण पत्रों का क्रय तथा ऋणों के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है।

मार्च 1991 को निगम की चुकता पूँजी 114 58 करोड़ रूपये थी। 31 मार्च 1991 तक 13566 53 करोड़ रूपए सचयी परियोजना वित्त स्वीकृत की जिसमें 6171 70 करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा में तथा 7394 84 करोड़ रूपए भारतीय मुद्रा में थे। यह सहायता 3386 कम्पनियों को 7221 परियोजनाओं को दी गई। निगम द्वारा 1955 से मार्च 1992 तक 21130 करोड़ रूपए की सहायता स्वीकृत की गई जिसमें से 12950 करोड़ रूपए वितरित किये जा चुके हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यह औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अन्तर्गत स्थापित किया गया। उद्योगों को साख और अन्य सुविधा प्रदान करने की यह एक प्रमुख वित्तीय सस्था है। यह बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे वित्तीय सुविधा प्रदान करता है तथा छोटे एव मझौले श्रेणी के उद्योगों को भी बैंक तथा राज्य स्तर की वित्तीय सस्थाओं के माध्यम से मदद पहुँचाता है। बैंक की चुकता पूँजी जो कि पूर्णतः सरकार द्वारा स्वीकार की गई, 31 मार्च 1991 को 703 करोड़ रूपए थी। वर्ष 1990-91 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की घोषणा कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु एव अतिलघु उद्योग के सम्बन्धित विभाग को पूर्ण रूपेण सिडबी को हस्तान्तरित कर दिया।

मार्च 1991 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 6867 करोड़ रूपए की सचयी सहायता स्वीकृत की जिसमें से 5718 6 करोड़ रूपए वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 में बैंक को 333 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ हुआ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व सहायक सस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत लघु पैमाने के उद्योगों को प्रगति वित्त एव विकास की एक प्रमुख वित्तीय सस्था के रूप में हुई। सिडबी ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारंभ किया। यह लघु उद्योगों को अन्य सस्थाओं जैसे राज्य वित्त निगम, वाणिज्यिक बैंक, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि के माध्यम से सुविधा प्रदान कर रहा है।

राज्यीय वित्त निगम विभिन्न राज्य सरकारों ने लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यीय वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत राज्य वित्त निगम स्थापित किए। राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूंजी राज्यीय सरकार द्वारा न्यूनतम 50 लाख रूपए और अधिकतम 5 करोड़ रूपए के बीच निर्धारित की जाती है।

राज्यीय वित्त निगम औद्योगिक फर्मों को 20 वर्षों तक की अवधि के लिए ऋण, पूंजी बाजार में जारी किए गए ऋणों की गारंटी, अशो व ऋण पत्रों का अभिगान औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी ऋण पत्रों का क्रय आदि कार्य सम्पादित करते हैं।

राज्यीय वित्त निगमों द्वारा 1971 और 1988 के बीच 7870 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उद्योगों में बढ़ रही रूग्णता पर निजात पाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की। अगस्त 1984 में भारत सरकार ने एक कानून पास कर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में परिवर्तन कर दिया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उधार एव पुनर्निर्माण की प्रमुख एजेन्सी बनकर उद्योगों को, प्रौद्योगिक, पुनरुत्थान तथा विकास में सहायता दे रहा है। वर्ष 1987-88 में बैंक ने उद्योगों के आधुनिकीकरण, विशाखन, नवीनीकरण व विस्तार आदि के लिए 190 करोड़ रूपए के सावधि ऋणों की स्वीकृति की।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट हाल के वर्षों में भारतीय निवेशकों के बीच यूनिटों काफ़ी लोकप्रिय हुई है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना का मुख्य ध्येय लघु निवेशकों को बचतों को गतिमान करना काफ़ी हद तक प्राप्त हो गया है। यूनिटों में निवेशकों का धन सुरक्षित है, कर रियायतें हैं, निवेशक जब भी चाहे यूनिटों के बदले नकदी प्राप्त कर सकता है। अच्छा लाभांश व कई यूनिटों के सूची बढ होने के कारण निवेशकों का आकर्षण बढा है।

भारत सरकार ने मध्यम आय वर्ग के विनियोक्ता कम्पनियों की हिस्सा पूंजी में अधिक से अधिक भाग ले सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना की। यूनिट ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य मध्यम तथा निम्न आय वर्गों को बचतों को एकत्रित कर इसे देश में बढते

हुए औद्योगीकरण से प्राप्त समृद्धि के लाभा में हिस्सा बढ़ाने के योग्य बनाना है। फरवरी 1993 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी क्रियाओं में 29 वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा 15 करोड़ इकाई धारियों को 22000 करोड़ रूपए की राशि का प्रबंध किया जा रहा है। 30 जून 1990 को यह राशि 17500 करोड़ रूपए थी।

भारतीय निर्यात आयात बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक निर्यात व आयात के लिए वित्त जुटाने वाली सस्थाओं के कार्य का समन्वय करने वाली भारत की प्रमुख वित्तीय सस्था है। इस बैंक की स्थापना एक नवम्बर 1982 को भारत के विदेशी व्यापार की प्रगति तथा वित्तीय सुविधाओं के लिए की। स्थापना के 8 वर्ष के कार्यकाल में जो कि 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए, एक्विजिशन बैंक द्वारा 4471 करोड़ रूपए की निर्यात कान्ट्रैक्ट वित्त सहायता दी गई। 31 मार्च 1991 का बैंक की चुकता पूंजी 25680 करोड़ रूपए तथा अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रूपए थी। सचयी शुद्ध लाभ 144 करोड़ रूपए जा पहुंचा। बैंक का कुल सचय 12045 करोड़ रूपए था।

दृष्टिकोण औद्योगिक वित्त के उपयुक्त ढंग में स्पष्ट है कि भारत में उद्योगों को वित्त प्रदान करने के स्रोतों में स्वतंत्रता उपरांत भारी बदलाव आया है। स्वदेशी बैंक्स तथा प्रबंध अधिकता प्रणाली की भूमिका प्रायः लुप्त हो चुकी है। अब अंशों का निगमन तथा विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं की भूमिका मुखर हो गया है। किन्तु भारत का पूंजी बाजार अभी पूर्णरूपेण विकसित नहीं हुआ है इसमें भारी उच्चावचन तथा अनिश्चितता के साथ अविश्वास भी बना हुआ है। प्रायः विनियोजकों को आवंटन रिफण्ड लाभांश हस्तान्तरण आदि में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है फिर कम्पनियों द्वारा अपेक्षित लाभांश वितरित नहीं किए जाने के कारण विनियोजकों को आकर्षक लाभ नहीं मिल पाता है।

वित्त का विविध सस्थाओं से ऋण सुविधा प्राप्त करना काफी पचीदग्गीपूर्ण है। ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब आम बात है। वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्रायः जितना ऋण स्वीकृत किया जाता है उतना आवंटित नहीं किया जाता है।

देश में उद्योगों को वित्त की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए जहां पूंजी बाजार को मजबूत बनाना है वहां वित्तीय सस्थाओं का ऋण प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की महती आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास में सलग्न राजस्थान स्तरीय सस्थाओं का योगदान

राजस्थान अपने आर्थिक नियोजन के चार दशक उपरांत भी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका है आज भी आद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि सदियों से वारान पड़ा भूमि सजाव हो उठी है किन्तु औद्योगिक आधार पर दृष्टिपात करें तो चारा ओर निराशा ही परिलक्षित

हाता है जबकि राज्य खनिजों का अनायबघर है कुछ खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान में ही हाता है आद्योगिक विकास हेतु वांछित एवं प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध है विभिन्न उद्योगों के विकास का प्रबल सभावनाएँ हैं ।

राजस्थान के साथ विकास के अधिकांश क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार किया जाता है चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा ससाधना का आवंटन हो या औद्योगिक इकाइयों का स्थापना । प्रान्त के आद्योगिक पिछड़ेपन के लिए यहाँ जन्मे औद्योगिक घरानों ने भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नही निभाई है इन्होंने अपनी पूँजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना लाभदायक समझा अपना मातृभूमि के लिए भी त्याग करना इन घरानों में उचित नही समझा अगर ये चाहें तो रातारात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं ।

अब राजस्थान अपने आद्योगिक विकास के प्रति सजग है । औद्योगीकरण की गति का तावर करन वास्ते निजी एवं सावनिक क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठान सतत प्रयत्नशील हैं । समाप्त आद्योगिक सस्थाएँ राजस्थान के सदियों के पिछड़ेपन पर प्रहार कर रही हैं ।

राजस्थान राज्य आद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड (रीको) यह राजस्थान के आद्योगिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वाली सस्था है । राजस्थान सरकार ने आद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करन के लिए वर्ष 1969 में रीको की स्थापना की ।

वर्ष 1979 में रीको से राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित हो जाने के पश्चात राको का कार्यक्षेत्र औद्योगिक विकास तक सीमित हो गया । वर्तमान में रीको द्वारा पारयोजनाओं का चयन उनके लिए आशय पत्र तैयार तैयार करना खाका तैयार करना औद्योगिक क्षेत्रों का स्थापना उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था विनियोजकों का आकर्षित करने के लिए आवश्यक सवाएँ उपलब्ध कराना आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं ।

रीको सतुलित औद्योगिक विकास को कि आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है का पूरा करन में प्रयत्नशील है । रीको मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को अश सहभागिता और प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 15 करोड़ रुपए है । राको और राजस्थान वित्त निगम संयुक्त रूप से किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार निर्धारित सामानों से अधिक ऋण स्वीकृत करते हैं । निश्चित श्रेणियों के उद्योगियों तथा इकाइयों का भूमि की लागत पर छूट दी जाती है । 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्योगियों 15 प्रतिशत शारारिक रूप से विकलांगों तथा 20 प्रतिशत इलकानिक इकाइयों को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक

के भूखण्डो पर छूट दी जाती है । एक्स सर्विसमेन को 25 प्रतिशत छूट तथा भूखण्ड आवटन मे 2 प्रतिशत आरक्षित सुविधा उपलब्ध है । महिला उद्यमियो को 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

रीको न्यूज लेटर सितम्बर 1992 के अनुसार राजस्थान मे 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं । औद्योगिक क्षेत्रो का विवरण इस प्रकार है अधिग्रहीत भूमि 27795 94 एकड विकसित भूमि 18754 82 एकड नियोजित भूखण्डो की सख्या 25854 विकसित भूखण्डो की सख्या 20185 आवटित भूखण्ड 22110 उत्पादन मे सलग्न इकाइया 9798 आदि ।

रीको राज्य सरकार के लिए सोने का अडा देने वाली मुर्गी सिद्ध हो रही है । वष 1987 88 मे रीको का लाभ 271 49 लाख रुपए था जो अप्रत्याशित रूप से बढकर 1991 92 मे 840 64 लाख रुपए तक जा पहुचा । इससे पूर्व 1989 90 मे 107 12 लाख रुपए व 1990 91 मे 148 23 लाख रुपए का लाभ हुआ । रीको ने वर्ष 1995 96 मे रिकार्ड 15 08 करोड रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है पिछले वर्ष की तुलना मे लाभ का प्रतिशत 294 73 प्रतिशत अधिक रहा है ।

राको की रूचि भूमि प्राप्त करने व विकसित करने मे अधिक रही है । विकसित भूमि व आवटित भूमि के बीच अतराल है । औद्योगिक क्षेत्रो की स्थापना मे राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट नजर आता है राजनातिज्ञ अपने क्षेत्र मे औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना को प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं । महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि औद्योगिक क्षेत्रो की सख्या कितनी है बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थान विशेष की औद्योगिक जरूरता को कितना पूरा करते है औद्योगिक उत्पादन मे उसकी उपादेयता क्या है । आज अधिकाश विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रो के हालात यहा तक बदतर है कि औद्योगिक क्षेत्र है मगर उद्योग नहीं उद्योग है तो उद्योग की चिमनिया से निकलने वाले धुआ नहीं अगर उद्योग चल भी रहा है तो आए दिन हडताल तालेबंदी आदि की नौबत ।

रीको ऋण वितरण में आज देश की अग्रणी सस्या है सतोप की बात हे मगर इसके साथ गौरतलब तथ्य यह है कि आवटित ऋण का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि नौसिखिए उद्यमी ऋण को हडपने या सब्सिडी का लाभ बटारने के लिए ले रहे हो यदि नहीं तो फिर राजस्थान ऋण आवटन मे अग्रणी के साथ औद्योगिकरण मे अग्रणी क्या नहीं है ।

राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी) यह अति लघु, लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 मे स्थापित किया गया था । यह एक वेभानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तगत स्थापित किया गया । इसके प्रमुख कार्य अग्राकित है

- 1 औद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशिया प्रदान करना

2 औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) के एजेन्ट के रूप में कार्य करना,

3 औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए कर्जों की गारंटी देना, अथवा इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक डिबेन्चर, शेयर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना, या उनका अभिगोपन करने में योगदान देना तथा

4 औद्योगिक इकाइयों को सीड पूंजी देना, बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज, औद्योगिक सभिसिडी आदि देना ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 90 लाख रुपये है । औद्योगिक इकाइयों की कुशलता से सेवा करने वाले समूचे राज्य में 37 शाखा कार्यालय तथा 9 रीजनल कार्यालय हैं । ब्रांच रीजनल कार्यालयों को 7.5 लाख रुपये तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपये तक का ऋण वितरण का अधिकार है । लघु उद्यमियों के लिए 'एक खिड़की स्कीम' है जिसके तहत टर्म ऋण तथा कार्यशील पूंजी सहायता सुविधा प्रदान की जाती है किन्तु ऐसे प्रोजेक्ट को लागत 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो । निगम सामान्य टर्म ऋण सहायता के साथ प्रोजेक्ट लागत के 15 प्रतिशत 'सोफ्ट लान' नेशनल इक्यूटी फण्ड स्कीम' के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले लोन से अधिक नहीं होने चाहिए । महिला उद्यमियों के लाभ के लिए विशेष योजना है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सेवा निवृत्त, रक्षा कर्मी, विकलांगों को ब्याज की दर से छूट दी जाती है । निगम निश्चित श्रेणी के उद्यमियों को उद्योग स्थापना की प्रारंभिक अवस्था में लघु उद्योग इकाइयों को प्रोजेक्ट लागत के 10 प्रतिशत, उच्चतम सीमा 1.5 लाख रुपये, सीड पूंजी प्रदान करता है ।

आर एफ सी द्वारा वर्ष 1990-91 (जनवरी, 1991 तक) में 2088 इकाइयों को 81.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें से 56.00 करोड़ रुपये वितरित किए गए तथा 52.21 करोड़ रुपये के ऋण की बसूली इस अवधि में की गई ।

निगम को 1986-87 से लगातार लाभ होता रहा है । वर्ष 1990-91 में 1.75 करोड़ रुपये कर का प्रावधान करने के बाद निगम को 4.37 करोड़ रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) . इसकी स्थापना जून 1961 में एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई । राजसीको अति लघु (टीनी), लघु उद्योग इकाइयों को सहयोग देता है । यह शिल्पियों तथा हैंडिक्राफ्ट के उत्पादों को निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण

सस्था है । यह उचित कीमत पर लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराता है ।

राजस्थान कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (राजकॉन) राजकॉन की स्थापना अखिल भारत तथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओं और राजस्थान राज्य के विभिन्न लीड बैंकों द्वारा की गई । राजकॉन का प्रमुख कार्य विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के बारे में परामर्श देना है । यह विभिन्न वित्तीय सस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है । पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक विकास आधारित प्रोजेक्ट तैयार करता है । इसके अलावा यह औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण विभिन्न योजनाओं के लिए मूल्यांकन बाजार सर्वे बाजार अध्ययन आदि कार्य भी करता है ।

उद्योग निदेशालय (डी आई) राज्य में औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सस्था है । इसके सभी जिला मुख्यालयों पर ऑफिस है जिन्हें जिला औद्योगिक केन्द्र (डी आई सी) के नाम से जाना जाता है । अलवर नागौर सिरोंही बाडमेर गगानगर पाली सवाई माधोपुर जिलों में उप जिला उद्योग केन्द्र भी है । निदेशालय जिला उद्योग केन्द्रों के लिए चार्जिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है । स्थानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार सवर्धन व विकास में प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है ।

सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (बी पी ई) इसका मुख्य कार्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कार्यों की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना प्रबंध व तकनीकशास्त्री में सुधार के उपाय सुझाना कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि है ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान में खादी आर ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अप्रैल 1955 में किया गया ।

बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य निम्नांकित हैं

- 1 खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना
 - 2 कार्यक्रम सगठित करना और उनकी क्रियान्विती करना
 - 3 निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
 - 4 कारीगरों को प्रशिक्षण देना
 - 5 कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना
 - 6 कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना आदि ।
- राज्य स्तरीय सस्थाओं के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय स्तर की सस्थाएँ यथा भारतीय

औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आदि भी उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है, किंतु अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

वर्तमान में भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य में राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति से तेज होने की आशा है । राजस्थान आज अपनी औद्योगिक संभावना का अधिकाधिक लाभ उठाने वास्ते दृढ़ प्रतिज्ञ है । अतः अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं पर औद्योगिक विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी आयेगी । आशा की जानी चाहिए ये वित्तीय संस्थाएँ अपने संसाधनों में जरूरत के मुताबिक वृद्धि कर वित्त की समुचित व्यवस्था कर सकेंगी ।



सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास

ऐतिहासिक विश्लेषण

सवाई माधोपुर को उद्योगों की दृष्टि से दयनाय स्थिति है। यहां चंद औद्योगिक परियोजनाएँ हैं जो जिले का विकास की राह दर्शाने में असमर्थ हैं। समाप्तियों का उपलब्धता की दृष्टि से तो स्थिति बेहतरीन है किंतु विकास के वास्तविक सदैव तरसता रहा है। सदैव उपेक्षा का शिकार रहा है। अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाएँ यहां से तथाकथित कारणों से परायण कर गईं। कुछ परियोजनाएँ तो इतनी महत्वपूर्ण थीं यदि वे यहां स्थापित होती तो सवाई माधोपुर का नाम हरेक औद्योगिक जुवान पर होता। उपेक्षित सवाई माधोपुर में केवल रणधम्मारा नेशनल पार्क है जिसके हातात भी बेहतर नहीं निस्के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी हुई है। कोई प्रभावशाली परियोजना जिले में दृष्ट्यापर नहीं होती। प्रतिष्ठित नमपुर उद्योग लि० अनेक वर्षों से बंद पड़ा है। यदि सरकार विकास में भागीदार बने उद्यमों आकर्षित हो तो सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। यहां सशक्त अर्थ संरचना है कृषि उत्पाद है खानज सम्पदा भरपूर है विस्तृत भू भाग है। यहां के वाणिज्य को उद्यमियों का उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

वन सम्पदा की दृष्टि से तो सवाई माधोपुर जिला अपना विशेष स्थान रखता है। जिले के कुल भौगोलिक भाग का 25 प्रतिशत से अधिक वनों से आवृत है। जिले में मत्स्य विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं वर्तमान में जिले के 5000 हेक्टर जल क्षेत्र में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1988 का पशु गणना के अनुसार

जिले में 17 07 लाख पशु थे । अतः जिला प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की दृष्टि बहुत ही धनी है ।

सवाई माधोपुर जिले में प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा और प्रबल सभावनाओं के बावजूद औद्योगिक विकास का मार्ग समुन्नत नहीं हो सका है । अतीत में सवाई माधोपुर के लिए प्रस्तावित तेल शोधन परियोजना का पलायन मथुरा हुआ । हाल ही बड़ी लागत वाली गैस आधारित खाद सयंत्र का पलायन कोटा हो गया । अभी भी परियोजनाओं के पलायन का क्रम जारी है । जिले में लघु एव कुटीर उद्योगों में हाथकरघा, वस्त्र, चमड़े के जूते, बीड़ी निर्माण लुहारी, कुम्हारी आदि की इकाइयाँ हैं यदि यहाँ की उपलब्ध सभावनाओं का भरपूर उपयोग किया जाए तो सवाई माधोपुर में तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है ।

जिले में आधारभूत संरचना :

आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विद्युत, सिंचाई सड़क, रेल, संचार, शिक्षा स्वास्थ्य बैंकिंग पेयजल आदि की स्थिति का अध्ययन किया जाता है । किसी भी क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अद्य. संरचना का होना अत्यावश्यक है । क्षेत्र विशेष में इन सुविधाओं के अनुकूल होने पर उद्यमी विनियोजन हेतु अधिकाधिक आकर्षित होते हैं ।

सवाई माधोपुर जिला रेल परिवहन की दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध जिला है । जिले की आधारभूत संरचना को अग्रांकित शीर्षक में दर्शाया गया है :-

विद्युत . आधारभूत संरचना में विद्युत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसका विकास करके कृषि तथा औद्योगिक विकास की गति को त्वरित किया जा सकता है । सवाई माधोपुर में वर्ष 1986-87 के अंत में विद्युतीकृत गाँवों व कस्बों की संख्या 690 थी वर्ष 1987-88 में 367 गाँवों में 1988-89 में 164 गाँवों के विद्युतीकरण से 1988-89 के अंत में 1221 गाँव/कस्बे विद्युतीकरण हो चुके थे ।

सवाई माधोपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु सब स्टेशनों की सूचना :

क्र.सं.	जो एस एस	वर्तमान सब स्टेशन	
1	सवाई माधोपुर	2 10/12 5 एम वी ए	132 के वी/11 के वी
2	गगापुर सिटी	1/10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
3	हिन्डीन	1/10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
4	मण्डावर	1 6/12 5 "	132 के वी /33 के वी
		2 10/12 5 "	132 के वी /33 के वी
5	करौली		132 के वी गिड साठ स्टेशन
	1 मई 1994 से चालू		

स्रोत जिला योजना सवाई माधोपुर

रेल सुविधा

सवाई माधोपुर जिला पश्चिमी रेलवे की बम्बई-नई दिल्ली बड़ी रेल लाइन पर स्थित है । इस जिले के सवाई माधोपुर, गगापुर सिटी, हिन्डौन सिटी कस्बे मुख्य लाइन के समीप होने के कारण बड़ी रेल लाइन के स्टेशन भी है । जिले में कुल 188 कि मी रेल लाइने बिछी हुई है और 18 रेलवे स्टेशन है जिनके नाम इस प्रकार हैं कुस्तला, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर, मखौली, मलारना, नीमोदा, नारायणपुर टटवारा, लालपुर उमरी, गगापुर सिटी, छोटी उदेड़, पीलोदा, खण्डीप, श्री महावीर जी, हिण्डौन सिटी, फतेहसिंह पुरा, देवपुरा, चौध का बरवाडा, ईसरदा (ये तीनों स्टेशन सवाई माधोपुर-बयपुर रेल मार्ग पर स्थिति है ।

सवाई माधोपुर को ब्रोडगेज के माध्यम से जयपुर से भी जोड़ दिया गया है । जोधपुर तक सीधी रेलसेवा सुलभ है । जिले को भविष्य में अन्य प्रमुख शहरो से भी जोड़ने की योजना है । अतः यह कहने में कतई सकोच नहीं कि सवाई माधोपुर जिला रेल सुविधा सबधी अद्य. सरचना की दृष्टि से बेहद समृद्ध है ।

सिचाई सवाई माधोपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10527031 हैक्टर है । इसके करीब 47 59 प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है । जिले में औसतन 546 57 हजार मिलीयन क्यूबिक फीट जल उपलब्ध है जिसमें से करीब 162 36 हजार मिलीयन क्यूबिक फीट जल को उपयोग में लाने हेतु योजनाएँ सिचाई विभाग द्वारा बनायी गई है ।

सिचाई निर्माण खण्ड सवाई माधोपुर के अधीन 109 सिचाई के तालाब हैं जिनमें से 09 तालाब 1012 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल में सिचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं । नहरो द्वारा सिचाई करने वाले तालाबों की कुल भराव क्षमता 12732 मिलीयन क्यूबिक फीट है । जिनसे सामान्य वर्ष में 50514 हैक्टर क्षेत्र में सिचाई की जा सकती है । कुल सिचाई योग्य क्षेत्रफल 84315 हैक्टर है । जिले में सिचाई सुविधाओं के विस्तार एवं सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने हेतु कई सिचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

जिले में मध्यम एवं लघु सिचाई परियोजनाओं की क्षमता 39978 हैक्टर है इसमें मध्यम सिचाई योजनाओं की क्षमता 36425 हैक्टर एवं लघु सिचाई योजनाओं 3553 हैक्टर है । सर्वाधिक सिचाई क्षमता सवाई माधोपुर तहसील में मोरेल सिचाई परियोजना की है जिसकी क्षमता 23193 हैक्टर है । करौली स्थित पाचना आधुनिकृत सिचाई परियोजना है जिसकी सिचाई क्षमता 8787 हैक्टर है ।

वर्ष 1988-89 में सवाई माधोपुर में सिचाई परियोजनाओं पर 267 76 लाख रुपए व्यय किया गया । मध्यम सिचाई परियोजनाओं पर 216 22 लाख रुपए, आधुनिक परियोजनाओं पर 45 52 लाख रुपए तथा लघु सिचाई परियोजनाओं पर 6 02 लाख रुपए

का व्यय हुआ। राज्य योजना के अन्तर्गत सिचाई परियोजनाओं की संख्या 3 थी तथा चल रही लघु सिचाई योजना की संख्या एक थी।

लघु सिचाई परियोजनाओं पर वर्ष 1988-89 में स्टेट प्लान नान टी एंडी के अन्तर्गत 6.02 लाख रुपए खर्च किए गए। एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत 6.64 लाख रुपए तथा आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत 16.33 लाख रुपए खर्च किए गए।

संचार सुविधा वर्ष 1981 में जिले के 271 गावों में संचार सुविधा एवं 500 गावों में डाक व तार सुविधा उपलब्ध थी। शेष 1263 गावों में से 584 गाव ऐसे थे जो संचार सुविधा युक्त गावों के स्थानों से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर थे। इसी प्रकार 733 गावों में डाक व तार की सुविधा 5 कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्ध थी।

विगत वर्षों में जिले में अन्य संचार सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। वर्तमान में प्रत्येक गाव में प्रतिदिन डाक वितरण की व्यवस्था है। वर्ष 1978-79 में 414 पोस्ट ऑफिस थे जो 1988-89 में बढ़कर 491 हो गए। 1978-79 में जिले में एक ही हेड पोस्ट ऑफिस था लेकिन वर्तमान में 3 हेड पोस्ट ऑफिस सवाई माधोपुर गगापुर सिटी व हिंडौन सिटी में कार्यरत हैं। वर्ष 1988-89 में जिले में 29 टेलीफोन एक्सचेंज थे। जिला मुख्यालय सहित करौली गगापुर हिंडौन उपखण्ड में एस.टी.डी. आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध है।

चिकित्सा वर्ष 1988-89 में जिले में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में 27 डिस्पेंसरीज 32 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 3 एम.पी.डब्ल्यू.सेन्टर्स तथा 3 सामान्य थे कुल 65 संस्थाएँ थीं। इनके अलावा एक हॉस्पिटल तथा एक डिस्पेंसरी अन्य विभाग द्वारा नियंत्रित थे।

वर्ष 1988-89 में जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रित अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा का शैक्ष्याओं की संख्या 668 थी तथा अन्य विभागों के अस्पताल तथा निजी क्लिनिक में 29 शय्याएँ थीं कुल 697 रोगी शय्याएँ थीं। चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रित अस्पतालों में टी.बी. की 20 आइसोनेशा की 6 मेटरनिटी की 44 आइज की 4 पी.एच.सी.ज. में 316 सामान्य में 260 एम.सी.डब्ल्यू.सेन्टर्स में 18 शय्याएँ थीं। जिले में राजकीय चिकित्सालयों के अलावा आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाएँ भी हैं। वर्ष 1988-89 में इन अस्पतालों की संख्या 3 थी जिनमें 15 शय्याएँ थीं। कुल 178 डिस्पेंसरीज थीं।

बैंकिंग सवाई माधोपुर में बैंकिंग सुविधा जनसंख्या के अनुपात में सतोपजनक है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्ड के अनुसार यह औसत 17000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा है। जिले में औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 15358 व्यक्तियों पर एवं सहकारी बैंकों को सम्मिलित करते हुए 12093 व्यक्तियों पर एक बैंक है। जिले में औसतन एक वाणिज्य व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 105 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करता

हे, जबकि सहकारी बैंको को सम्मिलित करते हुए यह औसत 80 वर्ग कि मी प्रति बैंक आता है ।

लीड बैंक योजना - सवाई माधोपुर की लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है । बैंक ससाधनो को चेतलाइज करने के क्रम मे प्राथमिक क्षेत्रो हेतु जिला साख योजना बनाई जाती है जो विभिन्न व्यावसायिक बैंक शाखाओ और ग्रामीण बैंको के अधीन सेवा क्षेत्र अप्रोच विचार पर आधारित होती है । इसमे अन्य वित्तीय सस्थाआ जैसे केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान वित्त निगम आदि की ऋण योजनाओ को भी सम्मिलित किया जाता है । योजना जिले की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है ।

आवास व्यवस्था जिले मे आवासीय व्यवस्था निजी और वैयक्तिक स्तर पर करनी होती हे । राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने सवाई माधोपुर मे गृह निर्माण कार्य शुरू कर दिया हे ।

वर्ष 1988-89 मे निम्न आय वर्ग के लिए 1.50 लाख रुपए के ऋण आवंटन तथा 5 आवासो का निर्माण किया गया । मध्यम आय वर्ग के लिए 2.60 लाख रुपए का ऋण आवंटन तथा 7 आवासो का निर्माण करवाया गया । कमजोर आय वर्ग के लिए कोई ऋण आवंटन एव आवास का निर्माण नहीं किया गया ।

जिले मे बड़े पैमाने के उद्योग :

बड़े पैमाने के उद्योगो में सवाई माधोपुर म जयपुर उद्योग लिमिटेड है । यह उद्योग पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उत्पादन करता है तथा भारत एव सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है । यह 1948 मे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप मे स्थापित हुआ, तदन्तर 1955 मे पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मे परिवर्तित हो गया । 1948 मे प्रारम्भिक पूजी विनियोग 1.90 करोड रुपए था । फैक्ट्री का पहला प्लांट 1953 मे प्राधिकार हुआ जिसकी क्षमता 500 टन प्रतिदिन थी । इसमे उत्पादन 1953 मे प्रारम्भ हुआ । दो और प्लांट प्रत्येक की क्षमता 600 टन प्रतिदिन 1956 तथा 1957 म स्थापित हुए तथा एक और चौथा प्लांट 750 टन प्रतिदिन क्षमता का 1959 मे स्थापित हुआ । जयपुर उद्योग लिमिटेड की सस्थापित क्षमता 8.55 लाख टन सीमेन्ट प्रति वर्ष है जो यह देश मे सर्वाधिक है चार प्लांटो मे 4 ब्लिन्स 4 रॉ मिल्स, 4 सीमेन्ट मिल्स 4 पैकिंग मशीन तथा दो केशर है । वर्ष 1973-74 मे अधिकृत पूजी 5 करोड रुपए तथा चुकता पूजी 3.75 करोड रुपए थी ।

सवाई माधोपुर मे काफी मात्रा मे उपलब्ध उच्च ग्रेड लाइम स्टोन फैक्ट्री को प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध कराता है । "क्वारी जो कि उपक्रम के द्वारा संचालित हे फलौदी और काजराखो के पास स्थित है, सवाई माधोपुर से 25 से 30 कि मी दूर है ।

अन्य कच्चा माल "जिप्सम बीकानेर जिले से प्राप्त किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस स्लेग पैकिंग सामग्री के अलावा भिलाई स्टील प्लांट से प्राप्त किया जाता है ।

कम्पनी के पास फैक्ट्री की मशीनों को चलाने तथा लाइम स्टोन के विदोहन के लिए स्वयं का बिजली उत्पादन के लिए पावर हाउस है । विद्युत की आंतरिक अतिरिक्त आपूर्ति के लिए खरी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से की जाती है ।

फैक्ट्री में कच्चे माल की मात्रा और विद्युत उपभोग तथा श्रम नियोजन की स्थिति अग्रांकित तालिका में दर्शायी गई है :

वर्ष	लाइमस्टोन (टन)	जिप्सम (टन)	स्लेग (टन)	विद्युत उपभोग (लाख यूनिट)	श्रमिकों की संख्या वर्क्स माइन्स
1970-71	1114372	48029		1053 24	2386 1740
1971-72	997860	41720	4404	970 76	2421 1716
1972-73	100822	41543		942 88	2343 1712
1973-74	799185	35579	7630	823 53	2348 1615

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स सवाई माधोपुर 1981
जयपुर उद्योग लिमिटेड में वर्ष 1987 से उत्पादन बढ़ है ।

प्लांट में लाइमस्टोन के उपभोग की मात्रा घटती बढ़ती रही है । वर्ष 1970-71 में लाइम स्टोन का उपभोग 1114372 टन था जो घटकर 1973-74 में 799185 टन हो रह गया । जिप्सम का उपभोग सतत घटा, यह 1970-71 में 48029 टन से घटकर 1973-74 में 35579 टन रह गया । स्लेग का उपभोग 1973-74 में 7630 टन रहा ।

वर्ष 1970-71 में विद्युत उपभोग 1053 24 लाख यूनिट था, इसके बाद के वर्षों में घटा, 1973-74 में विद्युत उपभोग घटकर 823 53 लाख यूनिट रह गया ।

फैक्ट्री में काफी मात्रा में श्रमिक नियोजित है । वर्ष 1971-72 में वर्क्स तथा माइन्स को मिलाकर 4137 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे यह संख्या घटकर 1973-74 में 3963 रह गई ।

कम्पनी मुख्यतया ओर्डिनरी पोर्टलेण्ड सीमेंट (ओ पी सी) का उत्पादन करती है यद्यपि यह स्लेग सीमेंट, पोचालेना सीमेंट तथा रेपिड हाइड्रेनिंग सीमेंट का भी थोड़ा मात्रा में उत्पादन करती है । वर्ष 1953-54 और 1954-55 के दौरान सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 126533 टन और 226257 टन था ।

विगत वर्षों में सीमेन्ट का उत्पादन आगे तालिका में दर्शाया गया है ।

(उत्पादन टनों में)

वर्ष	ओ पी सी	स्लेग सीमेन्ट	पोजालना सीमेन्ट	रेपिड हाईनेंग सीमेन्ट
1970-71	800460	—	—	—
1971-72	680530	17622	—	—
1972-73	679572	—	—	2768
1973-74	535159	25583	2311	736

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटोर्जर्स - सवाई माधोपुर 1981 पृष्ठ 146

तालिका से स्पष्ट है कम्पनी में सीमेन्ट का उत्पादन सत्तर के दशक के प्रारंभ में काफी तेज गति से गिरा । 1973-74 में 1970-71 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ । वर्ष 1973-74 में ओ पी सी का उत्पादन 535159 टन, स्लेग सीमेन्ट 25583 टन पोजालना सीमेन्ट 2311 टन तथा रेपिड हाईनेंग सीमेन्ट 736 टन उत्पादन हुआ ।

फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का विक्रय एवं वितरण सीमेन्ट नियंत्रक, भारत सरकार के मार्ग दर्शन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश दिल्ली और चण्डीगढ़ आदि क्षेत्रों में होता है । राजस्थान में विक्री वर्ष 1972 में 16.4 प्रतिशत 1973 में 14.4 प्रतिशत तथा 1974 में 12.1 प्रतिशत थी ।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के कारण सवाई माधोपुर औद्योगिक जगत में पाथक पहचान रखता है । इस उद्योग के कारण ही सवाई माधोपुर जिला केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में चयनित 16 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं आ सका है । साहू जैन ग्रुप द्वारा स्थापित इस प्लांट में सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1953 को उत्पादन का श्री गणेश हुआ तदन्तर प्रगति के विविध आयाम स्पर्श किए ।

जयपुर उद्योग का वर्ष 1985-86 से संबंधित विवरण निम्नांकित है

लाइसेंसिंग क्षमता	8 लाख 18 हजार 800 टन वार्षिक
संस्थापित क्षमता	8 लाख 55 हजार टन वार्षिक
प्रोजेक्ट लागत (1985-86)	1383.01 लाख रुपए
विनियोग	
1 कुल सकल स्थायी विनियोग	1399.32 लाख रुपए
2 कुल शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	351.68 लाख रुपए
कार्यशील पूंजी	177.93 लाख रुपए
रोजगार	4055 कामगार

उत्पादन (1985-86)	441336 टन
उत्पादन की कीमत	5836.49 लाख रुपए
केन्द्र सरकार को कर अदायगी	1262.04 लाख रुपए
राज्य सरकार को कर अदायगी	522.55 लाख रुपए
विद्युत माग	1026 लाख यूनिट

स्रोत: जिला उद्योग केन्द्र सर्वाई माधोपुर

जयपुर उद्योग लिमिटेड में वर्ष 1987 से उत्पादन बढ़ है। यह सर्वाई माधोपुर जिले के लिए दुर्भाग्य तथा प्रान्त के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्षति है। प्लांट को बंद हुए नौ वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है। सरकार और बड़े उद्यमी आखे मूढ़े हुए हैं। इस प्लांट में यथाशीघ्र उत्पादन चालू नहीं करना सर्वाई माधोपुर की जनता के साथ खिलवाड़ है।

राजस्थान सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड को वर्ष 1977-78 में इसके प्रवर्तकों से अपने अधीन लिया था। राज्य सरकार जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा छोड़ी गई भारी वित्तीय देनदारियों के नीचे दबो हुई है।

सर्वाई माधोपुर में स्थित देश के सबसे पुणने सीमेंट कारखाने को इसके प्रवर्तक साहू जैन ग्रुप ने खस्ता हालत होने के बाद राज्य सरकार को सोप दिया था। इस खस्ता हाल कारखाने के लिए खरीददार ढूँढने के लिए सरकार के प्रयास मई 1994 सफल नहीं हुए हैं।

जयपुर उद्योग की किताबों में जून 1987 तक जहाँ 32.55 करोड़ रुपए का घाटा था, वही इस पर एक करोड़ पाच लाख रुपए के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा इसे पंजाब नेशनल बैंक को 37 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 15 करोड़ का भुगतान था।

कारखाने की मशीनरी काफी पुरानी होने से चुक गई है और इस पर एक हजार से अधिक दोबान फौजदारी और राजस्व मामले चल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केश क्रेडिट सुविधा बंद कर दिए जाने के कारण यह उद्योग जुलाई 1987 से बंद है। एक जनवरी 1991 तक उसमें 121 अधिकारी एवं 2823 श्रमिक कार्यरत थे। बिडला घराने सहित कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने इस उद्योग का सर्वे किया है और इसके वित्तीय कारणजतों को जाच पड़ताल की है। इन सभी ने इस उद्योग को हाथ लगाने से इकार कर दिया है। इनकी राय यह है कि कम से कम 20 करोड़ रुपए की पूंजी लगाए बिना इस उद्योग को चलने लायक स्थिति में नहीं लाया जा सकता है।

राज्य सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 का सहारा लेकर इसे रूग्ण घोषित कर दिया है। औद्योगिक पुनर्निर्माण ब्यूरो इस उद्योग

की क्षमता पर एक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन बैंक ऑफ इण्डिया ने तैयार की है। फैक्ट्री के पुनःसंस्थापन/पुनःचालन का मामला बी आई एफ आर के विचाराधीन है।

उद्योग के घाटे में चले जाने के कारण, वर्ष 1987 से बढ़ पड़ी इस सीमेंट फैक्ट्री के घाटे में चले जाने के लिए बी आई एफ आर ने कई कारण गिनाए हैं इनमें—

- 1 बिजली की अपर्याप्त सपलाई
- 2 बोल्टेज में गड़बड़ी
- 3 कोयले की घटिया क्वालिटी
- 4 राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लागू पचास से अस्सी फीसदी बिजली कटौती
- 5 यातायात की सुविधाओं का अभाव
- 6 कार्यकारी पूंजी में हास से कम्पनी में विकट तरलता की स्थिति
- 7 कारखाने के बार-बार बंद होने से उत्पादन में गिरावट
- 8 स्थापित क्षमता का उपयोग कम होना

कारखाने की स्थापित क्षमता का उपयोग वर्ष 1986-87 में 52.31 फीसदी रहा, जबकि इस समय सीमेंट उद्योग का औसत क्षमता उपयोग अस्सी से पच्चीस फीसदी था।

9 साढ़े पांच हजार मजदूरी वाली इस फैक्ट्री में पुनर्वास योजना में मजदूरों के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है आदि कारण मुख्य हैं।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की रिपोर्ट :

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई आर बी आई) ने सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बारे में रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि इस कारखाने को चलाने में बहुत बड़ी बाधा नहीं है तथा कुछ वित्तीय सहूलियत मिल जाए तो पहले साल से ही यह लाभ कमाने लायक हो सकता है। आई आर बी आई ने यह रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल फाइसेस एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन की बैठक में दी। यो मुगरी जो कि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी के चैयरमैन हैं रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा, आने वाले दस साल में यह फैक्ट्री 50 करोड़ रूपए का मुनाफा कमाने वाली होगी। जुलाई 1987 से बढ़ पड़ी फैक्ट्री को चलाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने बी आई एफ आर को यह काम सौंपा। ब्यूरो द्वारा फैक्ट्री को चलाने के बारे में आई आर बी आई को तकनीकी रिपोर्ट देने को कहा था। आई आर बी आई ने वित्तीय हालात, तकनीकी पक्ष, कच्चे माल की उपलब्धता और खानों की क्षमता के बारे में रिपोर्ट पेश की जिसमें कुछ सिफारिशें भी की गईं।

जयपुर उद्योग को इस सीमेंट फैक्ट्री के पुराने मालिक (प्रमोटर आलोक जैन आदि) ने भी एक निजी सीमेंट विशेषज्ञ सलाहकार कोठयारी एण्ड कम्पनी को तकनीकी रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा था। उन्होंने भी यह माना बताया कि फैक्ट्री की क्षमता को 5 लाख टन माना जाए और इस आधार पर चलाने से वह धाटे में नहीं रहेगी। फैक्ट्री वेट तकनीक "के प्लाट वाली है और इतनी बड़ी क्षमता वाली ऐसी फैक्ट्री को पुरानी तकनीक का बनाकर छाड़ देना सही नहीं है। कोठयारी एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि फैक्ट्री के पास लाइम स्टोन की जो खाने हैं उनसे अगले 30 साल तक कच्चा माल मिलते रहने की संभावना है।

आई आर बी आई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार का जो पैसा सीमेंट फैक्ट्री पर निकलता है, उसे खत्म करने की बजाय शेयर पूंजी के रूप में बना सकती है। राज्य सरकार का दावा है कि फैक्ट्री पर उसका करीब 26 करोड़ रुपए बकाया है लेकिन फैक्ट्री वालों का कहना है कि इसमें 18 करोड़ रुपए पर विवाद है मात्र 8 करोड़ 7 लाख रुपए ऐसा है जो बकाया है।

फैक्ट्री को चलाने के बारे में आई आर बी आई ने जो गंटे सुझाव दिए हैं उसमें करीब 700 श्रमिकों को छटनी करने का भी एक सुझाव है। माना यह गया है कि 3200 श्रमिकों में से 700 श्रमिकों को कम किया जा सकता है। इससे बड़ा खर्च कम किया जा सकेगा।

आई आर बी आई ने यह सुझाव भी दिया है कि फिलहाल सारी देनदारियों को स्थगित रखा जाए और केवल फैक्ट्री को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी का बंदोबस्त किया जाए। फैक्ट्री को चलाने का दावा करने वालों का कहना यह है कि कार्यशील पूंजी का बंदोबस्त करने वास्ते परिसर में पड़े 70 हजार टन किलिकर को बेचा जा सकता है।

राज्य सरकार से केवल 4 करोड़ रुपए की पूंजी मांगी जा रही है जिसके बारे में आई एफ आर को यह तर्क दिया गया है कि यह पैसा छटनी किये जाने वाले श्रमिकों का किये जाने वाले भुगतान के लिए जरूरी होगा। राज्य सरकार इस पूंजी को अनुदान के रूप में उपलब्ध करे तो फैक्ट्री को चलाया जा सकता है।

जयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिग्रहण : बीमार जयपुर उद्योग लिमिटेड का अधिग्रहण भगन डकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड करेगी। उद्योग पति श्री कमल मुरारका की यह कम्पनी इस अधिग्रहण के साथ ही सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री खोल देगी। इस अधिग्रहण के बारे में चल रही कार्यावाही को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने मजूरी दे दी है। बोर्ड ने इसके लिए 38.41 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजना की स्वीकृत कर दी है।

पुनर्वास योजना में वित्तीय मदद के तहत प्रोन्नत कर्ता कम्पनी का योगदान 8

करोड रुपए होगा । 10 29 करोड रुपए बिक्री कर के स्थगन से प्राप्त होंगे । प्रोत्रतकर्ता 10 12 करोड रुपए ब्याज मुक्त फण्ड के रूप में जुटाएंगे तथा शेष 10 करोड रुपए अतिरिक्त परिसम्पत्ति के बेचान से प्राप्त किए जाएंगे स्वीकृत योजना के आकलित पूजी खर्च में सीमेन्ट प्लांट की तकनीक को नम प्रक्रिया में शुष्क प्रक्रिया में बदलना शामिल नहीं है ।

इस स्वीकृत योजना में गेगन डकरले कम्पनी को 6 07 करोड रुपए तुरन्त देना होगा । यह रकम स्टेट बेक आफ इण्डिया में बिना ब्याज के खाते के रूप में जमा कराई जाएगी ।

गेगन डकरले कम्पनी को स्टेट बेक आफ इण्डिया में 1 10 करोड रुपए भी जमा कराने होंगे जो जून 1992 तक शुद्ध सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली अनुमानित बिक्री का पच्चीस फीसदी होगा । शेष राशि कम से कम 1 10 करोड रुपए की प्रत्येक किश्त के रूप में 1992 93 की प्रत्येक तिमाही में लानी होगी ।

जयपुर उद्योग को चलाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए जिसमें मुख्यतः सीमेन्ट फैक्ट्री को सहकारिता क्षेत्र में चलाने के थे लेकिन वे सायक नहा हो पाए । इसके राष्ट्रीयकरण किए जाने की भी माग की गई । वैसे राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री को प्रमुख उद्योगपति और पूर्व मंत्री कमल गुणरका को सोपने का फैसला किया है । सीमेन्ट फैक्ट्री को चलाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 28 करोड रुपए और मजदूरी के हिस्से का 20 करोड रुपए छोड़ने का फैसला किया है । यहा राज्य सरकार की यह कहकर आलोचना की गई कि सरकार ने मजदूरी के हकों और हितों की बलि चढ़ा दी ।

अगर सरकार फैक्ट्री को सहकारिता के आधार पर नहीं चलाना चाहती थी तो इसके लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए थी ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत प्राप्त की जा सके । और राज्य सरकार और मजदूरी दोनों का फायदा हो ।

आशय पत्र (लेटर ऑफ इटेट)

सवाई माधोपुर में आगे तालिका में उल्लेखित उद्योगों के लिए आशय पत्र जारी किए हुए हैं -

क्र स	इकाई का नाम	उत्पादन	क्षमता (प्रतिदिन)	अनुमानित लागत
1	जुआरी एग्रो केमिकल्स	खाद	2250 टन	700 करोड
2	रीको जयपुर	कोकरी	2080 टन	निर्धारित नहीं
3	रीको जयपुर	मिथामूल	1 00 लाख टन	निर्धारित नहीं
4	राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट	खाद्य तेल	सरसों का तेल 10000 टन मृगफली का तेल 5000 टन	निर्धारित नहीं

यूरिया खाद की आंतरिक मांग व पूर्ति के बीच अंतराल को पाटने तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए सवाई माधोपुर में 764 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अरावली फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० नाम से खाद परियोजना लगाया जाना प्रस्तावित था। बिहला समूह की जुआरी एग्री केमिकल्स लिमिटेड को आशय पत्र जारी किया गया। परियोजना की स्थापना से संबंधित प्रारंभिक तैयारी पूरी की जा चुकी थी लगभग दस करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे। अकस्मात् अरावली फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० का पलायन गढ़पान (कोटा) कर इसका नाम चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० कर दिया गया। पलायन का प्रमुख कारण पर्यावरण संरक्षण संबंधी बताया गया।

जिले में मझौले उद्योग

मझौले उद्योगों की श्रेणी में सवाई माधोपुर में मात्र कुछेक परियोजनाएँ हैं, जिनकी स्थापना हाल ही के वर्षों में हुई है।

जिले में कार्यरत निम्नलिखित मझौले उद्योग उल्लेखनीय हैं।

1 इण्डियन वाटलिंग प्लांट, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, रणथम्भोर रोड, सवाई माधोपुर

2 राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट, गगापुर सिटी

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी, सवाई माधोपुर

इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

1 इण्डियन वाटलिंग प्लांट

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड सवाई माधोपुर

इण्डियन वाटलिंग प्लांट जिले का प्रमुख मझौले श्रेणी का उद्योग है। यह एल पी जी गैस संग्रह एवं मिलण्डरो में गैस भरने का कार्य करता है। यह प्लांट राजस्थान का एक मात्र मजर वाटलिंग प्लांट है। एक माइनर प्लांट अजमेर जिले में कार्यरत है। चौकानेर में मेजर प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है।

सवाई माधोपुर स्थित इण्डियन वाटलिंग प्लांट में माइनर तथा मेजर दो प्लांट हैं। प्लांट की स्थापना के समय (1986) माइनर प्लांट ही था, किंतु इसके राज्य में बढ़ती हुई गैस की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के कारण मेजर प्लांट की स्थापना की गई।

माइनर व मेजर प्लांट से गैस आपूर्ति में इतनी कृति हुई कि उत्पाद को खपाने वाले पचास व्यापार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कारणवश माइनर प्लांट को बंद करना पड़ा है। वर्तमान में अकेले मजर प्लांट में इतना अधिक उत्पाद है कि मांग के अभाव

में बिक्री की समस्या उठ खड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि बाटलिंग प्लाट की अधिकांश उत्पाद आपूर्ति राजस्थान तक हो सीमित है।

इण्डियन बाटलिंग प्लाट भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। प्लाट के लिए एल पी जी गैस हजोरा से प्राप्त होती है जो टर्कों के माध्यम से प्लाट को आपूर्ति की जाती है। रजिस्टर्ड कार्यालय बम्बई में है।

इण्डियन बाटलिंग प्लाट से संबंधित सक्षिप्त विवरण (1990) निम्नांकित है

लाइसेंसिंग क्षमता	50000 मीट्रिक टन
संस्थापित क्षमता	50000 मीट्रिक टन
प्रोजेक्ट लागत (1990)	2000 लाख रुपए
आरंभ	16 जुलाई 1986
विनियोग	
कुल सकल स्थायी विनियोग	1608 लाख रुपए
कुल शुद्ध स्थायी विनियोग	1522 लाख रुपए
कार्यशील पूंजी	80 लाख रुपए
रोजगार	157 व्यक्ति
उत्पादन	35528 मीट्रिक टन
(एल पी जी गैस को सिलिण्डरों में भरना)	
उत्पादन की कीमत	23029 लाख रुपए
विद्युत माग	17000 किलोवाट

स्रोत: जिला उद्योग कार्यालय सवाई माधोपुर

प्लाट द्वारा राज्य सरकार को कोई कर अदायगी नहीं की जाती है। कर का भुगतान केन्द्र सरकार को किया जाता है।

2 राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) गगापुर सिटी

राज्य में तिलहन उत्पादन को कमी की पूर्ति एवं प्रति हैक्टर उत्पादन में वृद्धि एवं तिलहन उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। जिसके अन्तर्गत एक परियोजना गगापुर में भी फरवरी 1987 से प्रारंभ की गई है जिसमें तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर समस्त पंचायत समितियों में सरसो उपार्जन कार्यों के लक्ष्य एवं प्राप्ति का उद्देश्य है।

उपार्जन कार्यों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में कायरेत 4 कृषि उपज समिति यथा गगापुर, सवाई माधोपुर, हिन्दोन, महवा मण्डावर से प्रतिदिन सरसो की दरे एवं खरीद की सूचना तिलहन उत्पादक सहकारी समिति एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रों को सूचित

करना है ताकि क्रय विक्रय की नियमित जानकारी व वास्तविक स्थिति से अवगत रहे।

राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक सघ (राजफेड) की तिलम सघ गगापुर सिटी द्वारा स्थापित यह प्रोजेक्ट अब तिलम सघ गगापुर सिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 10000 टन सरसों का तेल व 5000 टन मूंगफली का तेल का उत्पादन होगा जो कि राज्य में खाद्य तेल की कमी व उसके बदले हुए मूल्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है।

3 गोल्डन हिल ब्रेवरी व बीयर परियोजना

राजस्थान के औद्योगिक पटल पर अब शराब और बीयर बनाने वाली कम्पनिया उभर रही हैं। रीको तथा राज्य उद्योग विभाग के सहयोग से कई उद्यमियों ने ब्रेवरीज के लाइसेंस के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1975 से 1991 के बीच एक भी बीयर तथा शराब से संबंधित लाइसेंस सरकार ने जारी नहीं किया था।

गोल्डन हिल ब्रेवरी लिमिटेड 10 50 करोड़ रुपए की लागत से सर्वाई माधोपुर जिले में बीयर बनाने की परियोजना स्थापित करने जा रही है। कम्पनी परियोजना की आशिक वित्तीय पूर्ति के लिए शीघ्र ही दस रूपए मूल्य के 58 लाख शेयरों का सार्वजनिक निर्गम जारी करेगी। इस परियोजना में जुलाई या अगस्त 1993 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। कम्पनी ने सिगापुर की डोनाल्ड एण्ड मेकथो पी टी ई लि, के साथ एक निर्यात अनुबंध किया है जिसके तहत 25 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान ब्रेवरीज एण्ड बाटलिंग लिमिटेड बम्बई के साथ भी 40 प्रतिशत उत्पादन का अनुबंध किया है। शेष 35 प्रतिशत उत्पादन कम्पनी स्वयं बाजार में ले जाएगी।

गोल्डन हिल ब्राड नाम से बीयर की बाटलिंग के लिए उत्तर क्षेत्र की प्रमुख बीयर निर्माण संयंत्र के साथ भी अनुबंध किया है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में इसे जारी भी किया जा चुका है। शीघ्र ही कम्पनी दिल्ली में भी इसे बिक्री के लिए जारी करने जा रही है। कम्पनी का आकलन है कि पेय पदार्थों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए बीयर की माग में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कम्पनी के संयंत्र में प्रारंभ में 62 हजार हेक्टोलीटर की क्षमता से उत्पादन किया जाएगा जो कि अगले एक वर्ष में 1994-95 बढ़कर एक लाख बीस हजार हेक्टोलीटर तक हो जाएगा। परियोजना के भवन निर्माण तथा मशीनरी आदि लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है तथा शीघ्र ही इसमें उत्पादन शुरू होगा।

जिले में लघु उद्योग :

लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना 1973 के अनुसार सर्वाई माधोपुर में 314 कार्यरत पंजीकृत लघु उद्योग थे, जिनमें स्थायी सम्पतियों में पूंजी निवेश 7 50 लाख रुपए तक

था । इन लघु उद्योग इकाइयों में पॉवर और हेन्डलूम ऑयल और दाल मिले, फ्लोर और चावल मिले, साबुन, खस, फुब्रिकेटिंग मेटल उत्पाद, स्टील फर्नीचर, बॉक्स, बाल्टिया, कृषिगत और घरेलू उपकरण, रोलिंग शटर्स, सीमेन्ट उपकरण और केमिकल्स, लाइम चमड़े के जूते, रेडीमेड वस्त्र पत्थर के उपकरण, केन्फेक्सनरी, खाइसारी, बोडी, टायर रिट्रेडिंग बॉक्स, केन्डल चादों के उपकरण, आयुर्वेदिक दवाईया आदि थे इनमें से कुछ पुराने और परम्परागत उद्योग थे जबकि कुछ माग पर आधारित और कुछ स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित थे जैसे खनिज आधारित उद्योग और वनो पर आधारित उद्योग।

पंजीकृत लघु उद्योग : लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना 1973 के अनुसार जिले में प्रमुख पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योगों की समूहवार संख्या, विनियोग एवं रोजगार की स्थिति आगे तालिका में दर्शायी गई है ।

सवाई माधोपुर में मुख्य पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग (लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना, 1973)

क्र स	उद्योग समूह	इकाइया की संख्या	कुल विनियोग (स्थायी एवं चालू) हजार रुपए	कुल रोजगार (संख्या में)
1	फ्लोर एण्ड राइस मिल्स	13	1763	157
2	आयल एण्ड दाल मिल्स	45	2371	171
3	पॉवर लूम एण्ड हैण्डलूम्स	103	669	376
4	सोप, खस आर्टीकल्स	11	226	40
5	लाइम	10	213	97
6	मेटल फेब्रिकेटेड आर्टीकल्स (बॉक्स, बकेटस आदि)	15	245	58
7	कृषिगत उपकरण	24	677	166
8	ब्रास यूटेन्सिल	11	112	63

स्रोत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटोयर्स - सवाई माधोपुर - 1981

सवाई माधोपुर में लघु उद्योगों की सर्वाधिक इकाइया पॉवरलूम एवं हैण्डलूमस समूह की थीं । वर्ष 1973 में इस समूह की 103 इकाइयों में 669 हजार रुपए विनियोजित थे तथा 376 व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे । ऑयल तथा दाल मिल्स समूह में 45 इकाइयों में 2371 हजार रुपए की पूंजी विनियोजित थी तथा 171 व्यक्ति रोजगार प्राप्त थे ।

लघु उद्योगों की प्रगति . वर्तमान में सवाई माधोपुर में लघु उद्योगों के 18 समूह हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं खाद्य आधारित उद्योग, तम्बाकू संबंधित सूती वस्त्र ऊनी सिल्क संबंधित जूट एवं संबंधित, रेडीमेड वस्त्र लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, पेपर

से सबधित चमड़े से सबधित, रबर प्लास्टिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, लौह धातु उद्योग खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक उद्योग इंजीनियरी एव मशीनरी उद्योग, ट्रान्सपोर्ट सबधित रिपेयरिंग एव सविसेज तथा अन्य इकाइया ।

विगत वर्षों में सवाई माधोपुर में लघु उद्योगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है । लघु उद्योगों की संख्या विनियोजन एव नियोजन सबधी सूचना निम्न तालिका में दी जा रही है

सवाई माधोपुर में लघु उद्योग

वर्ष	पजीकृत लघु इकाइयों की संख्या	विनियोजन (लाखों में)	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
1982-83	2362	293 02	5861
1983 84	2904	355 05	6618
1984-85	3306	419 26	7537
1985-86	3638	732 20	—
1986-87	3734	934 60	8647
1987 88	3902	992 52	8892
1988 89	4010	1022 77	9172
1989 90	3365	1100 98	9100
1990-91	4276	767 20	—
1991 92	4380	820 41	—
1992-93	4481	868 06	—

स्रोत 1 जिला योजना सवाई माधोपुर 1990

2 इण्डस्ट्रियल प्रोमोशियल सर्वे आफ डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर

राजकोन 1981 (संशोधित)

अस्सी के दशक में पजीकृत लघु इकाइयों की संख्या में वर्ष दर वर्ष तीव्र गति से वृद्धि हुई । पजीकृत लघु इकाइयों की संख्या वर्ष 1982-83 में 2362 थी जो बढ़कर 1985-86 में 3638 तथा 1988-89 में और बढ़कर 4010 हो गई । पजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के विनियोजन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1982 83 में लघु उद्योग इकाइयों में केवल 294 02 लाख रुपए का विनियोजन था जो बढ़कर 1988 89 में 1022 77 लाख रुपए तक जा पहुंचा । छ वर्ष की समयावधि में विनियोजन में 247 64 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । जिले में वर्ष 1993 में 4481 पजीकृत इकाइया में 868 06 लाख रुपए का पूजा विनियोजन था ।

नियोजन की दृष्टि से लघु उद्योग इकाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है । 1982

83 से 1988 89 के बीच पंजाकृत लघु इकाइया में नियोजित व्यक्तियों का संख्या में सतत वृद्धि हुयी । वर्ष 1982 83 में इन इकाइया में 5861 व्यक्ति नियोजित थे जो बढ़कर 1986 87 में 8647 तथा 1988 89 में और बढ़कर 9172 हो गए ।

पंजीकृत लघु इकाइया का शहरी एवं ग्रामीण अनुसार वर्गीकरण सवाई माधोपुर में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयो में ग्रामीण इकाइया की बहुलता है विनियोजन तथा नियोजन की दृष्टि से भी ग्रामीण इकाइया की अधिक उपादयता है ।

सवाई माधोपुर में मार्च 1990 तक 3365 कुल पंजाकृत लघु इकाइया थी जिनमें 1100 98 लाख रुपए का पूजा विनियोजित थी तथा 9100 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे । कुल पंजीकृत इकाइया में शहरी इकाइयो की संख्या 981 (29 15 प्रतिशत) तथा ग्रामीण इकाइयो की संख्या 2384 (70 85 प्रतिशत) थी

कुल इकाइया में खाद्य आधारित 684 (20 33%) चमड़े से संबंधित 643 (19 11%) लकड़ी एवं लकड़ी उत्पादक 558 (16 58%) रडीमेड वस्त्र 352 (10 46%) सूती वस्त्र 302 (8 97%) खनिज उद्योग 282 (8 38%) रिपेयरिंग व सविसेन 170 (5 05%) से संबंधित थी । लगभग 90 प्रतिशत इकाइया खाद्य चमड़े लकड़ी सूती वस्त्र खनिज उद्योग रिपेयरिंग व सविसेन से संबंधित थी

ग्रामीण इकाइयो में सबसे अधिक 505 इकाइया लकड़ा एवं लकड़ी उत्पाद से संबंधित थी । चमड़े से संबंधित 489 इकाइया तथा खाद्य आधारित 440 इकाइया थी । शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक इकाइया खाद्य चमड़े व सूती वस्त्र से संबंधित थी ।

ग्रामीण क्षेत्र में 2384 इकाइयो में 757 67 लाख रुपए के विनियोजन से 5277 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे जबकि शहरी क्षेत्र में 981 इकाइया में 343 31 लाख रुपए के विनियोजन से 3823 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता वर्ष 1988 89 में सवाई माधोपुर में लघु उद्योगों की एक इकाई को राय विनियोग अनुदान तथा 17 इकाइया को मशानरी को खरीद पर चूगी से छूट की सुविधा प्रदान की गई ।

कुटीर खादी एवं ग्रामोद्योग

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योगों में प्रायः परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं । कच्चे माल के लिए स्थानांत स्त्रासधनो पर निर्भर रहते हैं । कुटीर उद्योगों में कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिका से उत्पादन का काम करवा सकते हैं । कुटीर उद्योगों का रोजगार का दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान होता है इनके द्वारा अंश कालिक अथवा पूर्ण कालिक रोजगार दिया जाता है । ये ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों दोनों में चलाए जाते हैं । इनमें विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है किंतु अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों

की है। वर्ष 1970-71 में कुल खादी का उत्पादन मात्र 0.87 लाख रुपए का था जो बढ़कर 1975-76 में 4.39 लाख रुपए 1981-82 में 37.81 लाख रुपए, 1985-86 में 46.96 लाख रुपए तथा 1990-91 में और बढ़कर 70.49 लाख रुपए का हो गया। 1981-82 के उत्पादन की तुलना में 1990-91 में खादी उत्पाद में 86.43 फीसदी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। वर्ष 1990-91 के कुल खादी उत्पाद में 67.31 प्रतिशत भाग सूती खादी का एव 32.69 प्रतिशत भाग ऊनी खादी का था। खादी की बिक्री वर्ष 1970-71 में 5.41 लाख रुपए थी, घटकर 1971-72 में 2.51 लाख रुपए रह गई। खादी की बिक्री 1974-75 में बढ़कर 9.91 लाख रुपए हो गई। वर्ष 1990-91 में सूती ऊनी व रेशमी खादी की बिक्री 121 लाख रुपए रही।

खादी उद्योग में वर्ष 1990-91 में पूर्ण एव अंश कालिक मिलाकर कुल 3610 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था।

ग्रामोद्योग :

खादी उद्योग की भांति ग्रामोद्योग का भी रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। जिले में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 15 उद्योग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं चर्म घाणी तेल, लुहारी सुथारी, कली चूना कुम्हारी, रेशा, बासबेत, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य तेल, साबुन, गुड खाण्डसारी, ताडगुड, फल प्रशोधन, टेक्सटाइल, सेवा तथा हाथ कागज।

ग्रामोद्योग का उत्पादन वर्ष 1970-71 में 19.07 लाख रुपए का था जो बढ़कर 1973-74 में 30.88 लाख रुपए का हो गया। वर्ष 1974-75 एव 1975-76 में ग्रामोद्योग का उत्पादन घटा। वर्ष 1985-86 में ग्रामोद्योगों का उत्पादन 565.26 लाख रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 615.18 लाख रुपए हो गया।

ग्रामोद्योग की बिक्री वर्ष 1985-86 में 768.64 लाख रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 777.86 लाख रुपए हो गई। वर्ष 1990-91 में 12032 व्यक्तियों को ग्रामोद्योग में रोजगार मिला हुआ था जबकि दो दशक पूर्व अर्थात् 1970-71 में केवल 598 व्यक्ति ही रोजगार पाए हुए थे।

सवाई माधोपुर में ग्रामोद्योग में उत्पादन, बिक्री एव रोजगार की दृष्टि से चर्म, कली चूना तथा घाणी तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बाद रेशा, कुम्हारी, लुहारी सुथारी बास बेत तथा अनाज दाल प्रशोधन महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग हैं।

वर्ष 1990 में ग्रामोद्योग का कुल उत्पादन 615.23 लाख रुपए था जिसमें चर्म का योगदान 26.80%, घाणी तेल 23.18%, लुहारी सुथारी 2.96%, कली चूना 23.82%, कुम्हारी 7.15%, रेशा 8.34%, बास बेत 3.20%, अनाज दाल प्रशोधन 2.54%, अखाद्य तेल साबुन 68ब गुड खाण्डसारी 26%, ताडगुड 22%, फल प्रशोधन 26%, टेक्सटाइल 48%, हाथ कागज 09% आदि ग्रामोद्योग का योगदान था।

उत्पादन की भाँति बिक्री में भी चर्म, कली चूना व घाणी तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल बिक्री में चर्म 31.78%, घाणी तेल 20.91%, लुहारी सुथारी 2.98%, कली चूना 22.37%, कुम्हारी 6.57%, रेशा 7.55%, बांस बेत का 2.97% अनाज दाल प्रशोधन का 2.57% योगदान था।

ग्रामोद्योग में वर्ष 1990-91 में 12032 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे जिनमें 60.03 प्रतिशत पूर्ण तथा 39.97 प्रतिशत आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त थे। इन्हें 255.56 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया।

सवाई माधोपुर में खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य राजकीय निगम कार्यरत है। ग्रामोद्योगों के विकास हेतु विनियोजन पर अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, वाणिज्य कर में छूट, चुंगी में छूट, उपकरण हेतु अनुदान एवं आई.एस.आई. मार्का हेतु अनुदान आदि विशिष्ट योजनाएं क्रियान्वित हैं।

जिले में पंजीकृत कारखाने : सवाई माधोपुर में 1976 के प्रारंभ में पंजीकृत कारखानों की संख्या 15 थी इनमें राईस मिल्स के 5 खाने योग्य तेल उत्पादन के 4 तथा जेनरेशन एण्ड ट्रान्समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के 2 तथा शेष अन्य 4 कारखाने थे। इनकी संख्या बढ़कर वर्ष 1985 के प्रारम्भ में 85 हो गई वर्ष के दौरान 3 और कारखाने पंजीकृत हुए जिससे वर्ष के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। वर्ष 1987 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 89 रही।

जिले में पंजीकृत कारखानों में कुछेक उद्योगों की बहुलता है। कुल पंजीकृत कारखानों में 46.59 प्रतिशत खाद्य तेल मिल्स, 18.18 प्रतिशत सोविरा एण्ड प्लानिंग आड वुड 11.36 प्रतिशत प्रिंटिंग प्रेस तथा 7.95 प्रतिशत राईस मिल्स हैं।

सारांशतः सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति बेहतर नहीं है। यद्यपि यह जिला सरकार की निगाह में औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा नहीं है तथापि यह राज्य के अन्य जिलों यथा जयपुर, कोटा, अलवर आदि की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है बड़े उद्योग के नाम से जयपुर सीमेन्ट कारखाना है, जिसमें भी उत्पादन वर्ष 1987 से बंद है। मझौले श्रेणी के उद्योगों में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन का इण्डियन बाटलिंग प्लांट तिलम संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी है। इनमें तिलक संघम तथा गोल्डन हिल ब्रेवरी की स्थापना हाल ही हुई है। पंजीकृत कारखानों की संख्या भी अधिक नहीं है। वर्ष 1993 में जिले में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों की संख्या 4481 थी जिमें 868.06 लाख रुपए का पूंजी विनियोजन था। इनके अलावा जिले में हस्ताशिल्प खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाइयां भी हैं।

जिले के सभी छः औद्योगिक क्षेत्रों में नवम्बर 1991 तक 179 लघु उद्योग इकाइयां उत्पादन में संलग्न थी तथा 61 इकाइयां निर्माणधीन अवस्था में थी। धातव्य है कि जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों की संख्या 416 थी।

जिले में दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने की 57 इकाइया बंद थी जिनमे राजस्थान वित्त निगम के 31 41 लाख रुपए विनियोजित थे ।

सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास : सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार आजादी के प्रारम्भिक वर्षों से ही औद्योगिक विकास को दिशा और दशा प्रदान करने वास्ते औद्योगिक नीति की घोषणा करती रही है । स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 मे घोषित की गई । तात्कालिक आर्थिक एव सामाजिक संरचना मे हुए बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए पुन वर्ष 1956 मे एक व्यापक तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । यह नीति आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ किये जाने से पूर्व तक भारत के औद्योगिक पटल पर प्रभावी भूमिका निभाती रही । वर्ष 1977 मे पहली मर्तबा गैर कांग्रेसी सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की । शीघ्र ही केन्द्र म कांग्रेस पार्टी के पुन सत्तारूढ होने पर 1980 मे नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । जिसका आधार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति ही था । अस्सी के दशक के आखिरी वर्षों मे राजनीतिक उहा-पोह के दौर मे 1990 की औद्योगिक नीति का घोषणा की गई जो क्रियान्वित नहीं हो सका ।

जिला उद्योग केन्द्र :

राजस्थान के समुन्नत औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलो मे जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है जिला उद्योग केन्द्र, सरकार द्वारा जिला स्तर पर संचालित कार्यक्रम है । जिला उद्योग केन्द्रो का मुख्य कार्य जिला स्तर पर ग्रामोद्योग, लघु एव अति लघु उद्योगो को सवधित सेवाएं प्रदान करना है । इससे ग्रामीण व छोटे कस्बो मे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं । जिला उद्योग केन्द्र जिले मे उपलब्ध साधनो की जान करते हैं उद्यमियो को साख सुविधा प्रदान करते हैं तथा उनके उत्पाद के विपणन को व्यवस्था करते हैं । जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण विकास खण्डो व खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम राजसिको आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करते हैं ।

सवाई माधोपुर मे भी जिला उद्योग केन्द्र जिले के औद्योगीकरण विशेषकर लघु उद्योगो की विकास मे उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है । सवाई माधोपुर जिले मे अक्टूबर 1972 मे जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हुआ । यह उद्योग निदेशालय जयपुर के नियंत्रण मे कार्य करता है । इसका प्रमुख जिला उद्योग अधिकारी सवाई माधोपुर है । यह मुख्यतया जिले के औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी है । वर्ष 1973-74 मे जिला उद्योग कार्यालय मे एक पॉवरलूम इस्पेक्टर एक भार व गणना इन्स्पेक्टर, दो लेखा क्लर्क दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक मेनुअल सहायक थे । उद्योग इस्पेक्टर

समय पर हेर-फेर करती रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख दी है । अब उद्योगों में जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे । निजीकरण केवल वैचारिक आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है । सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के सदर्थ में सही भूमिका निभाने की अनुमति होगी । देश के उद्योगों को आधुनिक व गतिशील अर्थ व्यवस्था की चुनौती का सामना करना है ।

नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेंस राज के खत्म की शुरुआत है । नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 16 उद्योगों को छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी । इससे जटिल कागजी कार्यवाही कम होन से भ्रष्टाचार उन्मूलन में मदद मिलेगी । नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर देना है । इससे विदेशी पूंजी आकर्षित होगी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा । उच्च प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी विनियोग किया जा सकता है । एम आर टी पी कानून से उद्योगों को छूट दी गई है इससे उद्योगों के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा ।

पूँजी विनियोग सब्सिडी

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1988 तक राज्य के 27 जिलों में से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गए 16 जिलों को पूँजी विनियोग सब्सिडी दी जाती । 16 जिलों के अतिरिक्त 11 जिलों को राज्य सरकार की ओर से विनियोग सब्सिडी दी जाती थी ।

सवाई माधोपुर के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी व मध्यम इकाइयों के लिए 10 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपए) लघु इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए लघु इकाइयों पर 20 प्रतिशत तथा नन्हों इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत विनियोग सब्सिडी रखी गई थी ।

राज्य सरकार द्वारा एक अप्रैल 1990 से अग्रकित पूँजी विनियोग सब्सिडी प्रदान की जाती है जो 31 मार्च 1995 तक क्रियान्वयन में रहेगी ।

1 सभी नए मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिर पूँजी के विनियोग पर 15 प्रतिशत की दर (एक इकाई को 15 लाख रुपए तक अधिकतम राशि)

2 निम्न श्रेणी के उद्योगों को 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपए तक) पर यह सुविधा निम्न उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी

- 1 लघु एवं सहायक उद्योग
- 2 राज्य में उपलब्ध ससाधन आधारित उद्योग
- 3 अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग

4 शत प्रतिशत निर्यात-मुखी उद्योग

3 दो प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी विनियोग सब्सिडी (2 लाख रूपए अधिकतम) उन श्रम गहन उद्योगों को प्रदान की जायेगी जो फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में पंजीकृत हैं तथा जिसमें प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार से कम है ।

राजस्थान सरकार पूंजी विनियोग सब्सिडी के अतिरिक्त जिले में स्थापित होने वाले उद्योगों को बिक्री करों में रियायतें, चूंगी से छूट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्येकर्ताओं के लिए विशेष सहायता, विपणन सहायता आदि नियमानुसार प्रदान करती है ।

सवाई माधोपुर जिले का जिला ग्रामीण-उद्योग परियोजना "ड्रिप" में चयन वर्ष 1993-94 के बजट के अनुसार भारत सरकार ने देश के पांच चुने हुए जिलों में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना अर्थात् "ड्रिप" लागू की थी । इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) द्वारा चयनित पांच जिलों में सवाई माधोपुर जिला भी है ।

इस योजना का उद्देश्य जिले के ग्रामीण विकास के कुटीर एवं ग्राम उद्योग छोटे-छोटे उद्योगों के लिए अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाकर गावों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । योजना के उद्देश्यों में ऋण देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार के औद्योगीकरण के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाए । इसमें प्रशिक्षण आदि दिया जाना भी शामिल है ।

इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी विकास में कार्यरत एजेंसियों स्वयंसेवी संस्थाओं तथा बैंकों को परस्पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार कर योजना का क्रियान्वयन करना है । इस दृष्टि से नाबार्ड ने वर्ष 1993-94 में सवाई माधोपुर जिले में स्विस डबलपमेट कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेमिनार आयोजित किए ।

नाबार्ड द्वारा सवाई माधोपुर जिले के लिए इस योजनान्तर्गत 25 करोड़ रूपए का पुनर्वित्त पांच वर्षों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । राज्य सरकार के प्रयत्नों से इस योजना के अनुरूप अन्य जिलों में भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

नाबार्ड ने जिले में वर्ष 1992-93 में 12 लाख रूपए का पुनर्वित्त किया था, जबकि आलोच्य वर्ष (1993-94) में यह राशि बढ़कर एक करोड़ रूपए हो गयी । जिले में पिछले वर्ष (1992-93) के मुकाबले आठ गुणा अधिक पुनर्वित्त किया गया । इस योजना में 1993-94 में करीब एक हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ ।

जिले में केन्द्र सरकार का उपक्रम

केन्द्र सरकार का राजस्थान में निवेश अधिक नहीं है । वर्ष 1990-91 में राजस्थान में केन्द्र सरकार के निवेश का हिस्सा 1.70 प्रतिशत ही था । सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 1987-88 के अनुसार राजस्थान में केन्द्र सरकार के प्रमुख आठ प्रतिष्ठान थे ।

सवाई माधोपुर में केन्द्र सरकार का मात्र एक मशीन श्रेणी का प्रतिष्ठान इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का इण्डियन बाटलिग प्लांट एल पी जी गैस स्टोरेज एव सिलेण्डरो में गैस भरने का कार्य करता है । इस प्लांट की स्थापना 16 जुलाई 1986 में की गई ।

वर्ष 1990 में इण्डियन बाटलिग प्लांट को लाइसेंसिंग तथा स्थापित क्षमता क्रमशः 50,000 मीट्रिक टन तथा 50,000 मीट्रिक टन थी । प्रोजेक्ट की लागत 2000 लाख रुपये तथा विनियोग यथा कुल सकल स्थायी विनियोग 1508, लाख रुपये, कुल शुद्ध स्थायी सम्पत्ति 1522 लाख रुपये, कार्यशील पूंजी 80 लाख रुपये थी ।

वर्ष 1990 में 35928 मीट्रिक टन एल पी जी गैस को सिलेण्डरो में भरा गया जिसकी कीमत 2302.9 लाख रुपये थी । प्लांट की विद्युत मांग 17000 किलोवाट थी । प्लांट में 157 व्यक्ति रोजगार प्राप्त किए हुए थे ।

जिले में राज्य सरकार का उपक्रम

राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम 'लिमिटेड रीको' के माध्यम से सदियों के औद्योगिक पिछड़ेपन पर प्रहार करने वास्ते प्रयासरत है । रीको के द्वारा अथवा इसके सहयोग से राज्य में अनेक प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुयी है । मार्च 1990 तक राज्य सरकार के 40 उपक्रमों में 3130.29 करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका था । इस विनियोजन में राज्य सरकार का योगदान 1445 करोड़ रुपये था । शेष धनराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य स्रोतों द्वारा विनियोजित की गई ।

सवाई माधोपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित आज तक कोई भी उपक्रम नहीं है । राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड रीको ने भी इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं की है । जिले में मात्र दो आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) (1) 2080 टन प्रतिदिन क्राकरी उत्पादन क्षमता सबंधी सयंत्र के लिए रीको जयपुर को तथा (2) एक लाख टन प्रतिदिन मिथामूल उत्पादन क्षमता वाले सयंत्र के लिए रीको जयपुर को जारी किए हैं ।

उक्त वर्णन इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर जिले में पर्याप्त सभावनाओं के होते हुए भी औद्योगिक उत्थान की ओर सक्रिय प्रयास

नहीं किया है इस बात की पुष्टि निम्नलिखित आकड़ों से होती है ।

(लाख रुपए)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर जिले में योजना कार्यों पर किया गया कुल व्यय	उद्योगो एव उद्योग खनन पर व्यय	उद्योग खनन पर कुल योजना व्यय का प्रतिशत
1971-72	51 08	0 19	0 37
1972-73	67 35	0 63	0 94
1973-74	66 26	0 72	1 09

स्रोत जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 1977 सवाई माधोपुर पृष्ठ 196-198

नोट नवीनतम सांख्यिकीय रूपरेखा से (1988) में योजना कार्यों पर व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है ।

सवाई माधोपुर में योजना कार्यों पर वर्ष 1971-72 में 51 08 लाख रुपए 1972-73 में 67 35 लाख रुपए तथा 1973-74 में 66 26 लाख रुपए व्यय किये गये । इनमें से उद्योग व खनन पर 1971-72 में 0 19 लाख रुपए 1972-73 में 0 63 लाख रुपए तथा 1973-74 में 0 72 लाख रुपए योजना कार्यों पर व्यय के अन्तर्गत खर्च किए गये । उद्योग व खनन पर किया गया व्यय कुल योजना व्यय का, क्रमशः 0 37 प्रतिशत 0 94 प्रतिशत तथा 1 09 प्रतिशत ही रहा ।

रीकों का सवाई माधोपुर जिले के औद्योगिक विकास में योगदान

राजस्थान में औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने वास्ते निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठान सतत प्रयत्नशील हैं । इनमें सबसे अग्रणी है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोग निगम लिमिटेड "रीको" जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने 1969 में की ।

वर्ष 1979 में रीको से राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग से स्थापित हो जाने के पश्चात् रीको का कार्य क्षेत्र औद्योगिक विकास तक सीमित हो गया । वर्तमान में रीको द्वारा परियोजनाओं का चयन, उनके लिए आशय-पत्र तैयार करना, खाका, रूपरेखा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना, मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करना आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं ।

रीको मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को अंश सहभागिता और प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का उच्चतम सीमा 15 करोड़ रुपए है । रीको

भूखण्डों का संख्या 641 थी । 416 भूखण्ड आवंटित किये गए तथा 225 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध थे । आवंटित भूखण्डों में 179 लघु उद्योग इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न तथा 61 लघु उद्योग इकाइयाँ निर्माणाधीन अवस्था में थी ।

राजको द्वारा सवाई माधोपुर में विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण निम्नांकित है

1 हिंडोन सिटी औद्योगिक क्षेत्र हिंडोन सिटी औद्योगिक क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर में 2000 वर्ग मीटर तक के 157 भूखण्ड हैं इनका आवंटन मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है । 156 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके तथा एक भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध है । आवंटित किये गए भूखण्डों में 112 लघु उद्योग इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न हैं तथा 8 लघु उद्योग इकाइयाँ निर्माणाधीन अवस्था में हैं ।

2 गगापुर सिटी औद्योगिक क्षेत्र गगापुर सिटी औद्योगिक क्षेत्र में 700 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक के 184 भूखण्ड हैं । आवंटन मूल्य 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है । 108 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके तथा 76 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं । आवंटित किये गये भूखण्डों में 35 लघु उद्योग इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न हैं तथा 23 लघु उद्योग इकाइयाँ निर्माणाधीन अवस्था में हैं ।

3 खरदा औद्योगिक क्षेत्र खरदा औद्योगिक क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक के 139 भूखण्ड हैं । आवंटन मूल्य 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है । 75 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके तथा 64 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं । आवंटित भूखण्डों में 29 लघु उद्योग इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न हैं तथा 19 लघु उद्योग इकाइयाँ निर्माणाधीन अवस्था में हैं ।

4 आर टी आर औद्योगिक क्षेत्र आर टी आर औद्योगिक क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक के 38 भूखण्ड हैं । आवंटन मूल्य 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है । 11 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं तथा 27 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं । आवंटित भूखण्डों में 3 लघु उद्योग इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न हैं तथा एक इकाई निर्माणाधीन अवस्था में है ।

5 करोला औद्योगिक क्षेत्र करोली में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है ।

जिले के औद्योगिक विकास में राजस्थान वित्त निगम की भूमिका

राजस्थान वित्त निगम एक वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 1955 में की गई । निगम का मुख्य कार्य लघु एवं मध्य पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देना है ।

राजस्थान वित्त निगम के प्रमुख कार्यों में औद्योगिक इकाइयाँ को कर्ज एवं अग्रिम औद्योगिक इकाइयाँ का कर्ज देने के मामले में कन्ड एजेंट के रूप में कार्य करना

औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी किये गए स्टॉक, शेयर डिबचर, प्रतिभूतियाँ खरीदना, अभिगमन का कार्य, कर्ज की गारंटी, औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर की एवज में व्याज मुक्त कर्ज, नई औद्योगिक इकाइयों को सीड पूंजी, औद्योगिक सन्विडी आदि मुख्य हैं ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की अनेक स्कीमों यथा कम्पोजिट कर्ज स्कीम, शिल्पवाड़ी स्कीम, टेक्नोक्रेट स्कीम, महिला उद्यमकर्ता सन्विडी की एवज में कर्ज की स्कीम सहायता की एक खिडकी स्कीम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण आदि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 90 लाख रुपए है । औद्योगिक इकाइयों की कुशलता से सेवा करने वास्ते समूचे राज्य में 37 शाखा कार्यालय तथा 9 रीजनल कार्यालय हैं । ब्रांच रीजनल कार्यालयों के 75 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति तथा 40 लाख रुपए तक के ऋण वितरण का अधिकार है ।

राजस्थान वित्त निगम सवाई माधोपुर में स्थापित होने वाले लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

राजस्थान वित्त निगम राज्य वित्तीय निगम एक्ट, 1951 के तहत औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पूंजी, कार्यशाल पूंजी, विस्तार आधुनिकीकरण नवप्रवर्तन के लिए ऋण मुहैया कराता है । निगम ने राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में ऋण स्वीकृति के लिए स्टेट एंड टू इन्डस्ट्रीज रूल्स 1963 के अन्तर्गत 1971 तक कार्य किया । ये एजेन्सी ऋण 3 प्रतिशत की दर से (राज्य सरकार कोष के बाहर) तथा 6 प्रतिशत (निगम के कोष के बाहर) की दर से स्वीकृत किये गए । व्याज का पुनर्भुगतान सतत किराते में तथा राज्य सरकार द्वारा गारंटी युक्त था । राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1955-56 से 1974-75 के बीच 13 औद्योगिक इकाइयों को 31.49 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा सवाई माधोपुर में वर्ष 1984-85 में 152 इकाइयों के लिए 131.47 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया इसमें से वितरण 98 इकाइयों को 49.50 लाख रुपए का किया गया । वर्ष 1990-91 में 40.12 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया जबकि वितरण केवल 22.15 लाख रुपए का हुआ । वर्ष 1990-91 में 87.47 लाख रुपए के ऋणों की वसूली हुई । दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने के उद्योगों की 57 इकाइयाँ बंद थी जिनमें राजस्थान वित्त निगम के 31.41 लाख रुपए विनियोजित थे । निगम ने 13 लघु उद्योगों की 53.53 लाख रुपए की सम्पत्ति अधिग्रहित की । राजस्थान वित्त निगम ने विशेष स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में सेमफेन्स

के अन्तर्गत एक इकाई को 1 37 लाख रुपए स्वीकृत किये जिसमे से 0 15 लाख रुपए वितरित किए । अनुमूचित जाति एव अनुमूचित जनजाति के उद्यमी योजना के अन्तर्गत 28 इकाइयों के लिए 14 08 लाख रुपए स्वीकृत किये जिसमे से 15 इकाइयों को 14 77 लाख रुपए वितरित किये । सौंड पूजा के लिए एक इकाई को 0 28 लाख रुपए स्वीकृत किये ।

सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन

सवाई माधोपुर में बड़े पैमाने के उद्योग तथा मझौले उद्योगों की संख्या कम होने का मुख्य कारण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जिले में पूजा विनियोग नहीं करने अथवा अल्पल्प मात्रा में करना है । आर्थिक नियोजन के गत साढ़े चार दशकों में जबकि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बोलबाला था, केन्द्र अथवा राज्य सरकार दूसरा एक भी बड़े उद्योग की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं की गई । इससे जिले के बाशिंदे न केवल राजकीय विनियोजन से वंचित रहे अपितु निजी क्षेत्र का रुख भी अपेक्षित नहीं रहा ।

सरकार की निगाह में सवाई माधोपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध है । इसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से मात्र इसलिए पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर आधारभूत सीमेंट उद्योग जयपुर उद्योग लिमिटेड है । एक मात्र इस आधारभूत उद्योग में वर्ष 1987 में उत्पादन बढ़ है । अन्य कोई बड़ा उद्योग जिले में नहीं है । विडम्बना ही है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड के कारण न तो जिले के बाशिंदों को औद्योगिक विकास का लाभ मिल रहा है और न ही यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो सका । जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता यह करने में कतई सकोच नहीं कि यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा है । जयपुर उद्योग के चालू होने पर भी जिले की पिछड़ेपन की बात प्रभावी ढंग से कहीं जा सकती है । सरकार की योजनाओं में सवाई माधोपुर के औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा नहीं होने से उद्यमियों को यहाँ सरकार द्वारा प्रदत्त विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता जिससे वे विनियोग हेतु आकर्षित नहीं हो पाते । फिर जयपुर उद्योग के विगत वर्षों से बढ़ पड़े होने के कारण उद्यमियों के दिलोदिमाग में अनेक तरह की आशंकाएँ घर कर गई हैं तथा वे यहाँ विनियोग से विमुख हो रहे हैं । ऐसी स्थिति जिले में उपलब्ध अथाह सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भंडारा का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा तथा यहाँ की अद्य सरचना व्यर्थ पड़ी हुयी है ।

ऐसी बात नहीं कि जिले में महत्वपूर्ण परियोजनाएँ आयी ही नहीं अतीत तन्हाल ही में आयल रिफाइनरी तथा उर्वरक उद्योग जिले में स्थापित किए जाने प्रस्तावित थे किंतु कदाचित्त कारणों से इनका अन्यत्र पलायन हो गया । बड़े व मध्यम पैमाने के

उद्योगों की रिक्तता के साथ यहाँ लघु उद्योग इकाइयों की स्थिति भी उत्साहवर्द्धक नहीं है ।

रीको ने सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास वास्ते 6 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये हैं । औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक स्थिति पर दृष्टिपात करने तो स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है । नवम्बर 1991 तक रीको द्वारा आवंटित किये गए 416 भूखण्डों में मात्र 179 लघु उद्योग इकाइया उत्पादन में सलग्न तथा 61 लघु इकाइया निमाणाधीन अवस्था में थी ।

अन्य सरकारी उपक्रम राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिले में प्रदत्त सेवाओं पर नजर डाले तो हम पाते हैं कि निगम की अनेक वित्तीय स्कीमों में से जिले के उद्यमियों को कुछ ही स्कीमों का लाभ मिला है । दिसम्बर 1991 तक लघु पैमाने की 57 बंद इकाइयों में राजस्थान वित्त निगम का 31.41 लाख रुपए फंसा हुआ था ।

जिला उद्योग केन्द्र जिले में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र है । इसमें एक महाप्रबंधक तथा पांच प्रबंधक नियुक्त हैं जिनके कार्यों का पृथक पृथक विभाजन है किंतु जिला उद्योग केन्द्र का कार्य केवल इकाइयों का पंजाकरण तथा उन्हें सम्मिडा की व्यवस्था करना तक सभवतया सीमित रह गया है ।

सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास से संबंधित जो विभिन्न सरकारी तथा अन्य संस्थाएँ हैं उन्हें जिले में तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते सचष्ट रहना होगा अन्यथा जिले का औद्योगिक विकास की दृष्टि से गति पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में सवाई माधोपुर जिले का योगदान

सवाई माधोपुर में समृद्ध प्राकृतिक ससाधना का लाभ नही उठा पाने के कारण यहाँ औद्योगिक इकाइयों का अपेक्षित गति से विकास नहीं हो सका जिससे राजस्थान के औद्योगिक विकास में सवाई माधोपुर जिले का योगदान राज्य के अन्य जिलों की तुलना में कम रहा है । यहाँ की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक विकास में सवाई माधोपुर जिले का योगदान निम्नलिखित है

सीमेन्ट उत्पादन

राजस्थान देश का प्रमुख सीमेन्ट उत्पादक राज्य है । सीमेन्ट उत्पादन का एक प्रमुख प्लांट जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर जिले में स्थित है । यह प्लांट अपना स्थापना स लेकर 1985 तक बट प्लांट तकनाक पर आधारित सीमेन्ट उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है । यहाँ से सीमेन्ट की आपूर्ति राजस्थान तथा देश के अन्य प्रान्तों में की जाती रही है ।

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग लिमिटेड का सीमेट उत्पादन निम्नांकित है
जयपुर उद्योग लि० मे सीमेट उत्पादन

वर्ष	सीमेट उत्पादन (टनो मे)
1970 71	800460
1971-72	698152
1972 73	682340
1973 74	563789
1985-86	441336

- सात 1 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजटीयर्स, सवाई माधोपुर 1981
 2 जिला उद्याग कार्यालय, सवाई माधोपुर

एल पी जी रिफ्लिंग

सवाई माधोपुर स्थित इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का इण्डियन वाटलिंग प्लाट एल पी जी रिफ्लिंग का कार्य करता है । यह प्लाट राजस्थान मे एल पी जी रिफ्लिंग का एक मात्र मेजर प्लाट है । इण्डियन वाटलिंग प्लाट की स्थापना वर्ष 1986 मे हुयी । वर्ष 1990 में इस प्लाट द्वारा 35928 मीट्रिक टन एल पी जी गैस को सिलैण्डरो मे भरा गया । प्लाट की सस्थापित क्षमता 50,000 मीट्रिक टन है ।

अन्य मझौले उद्योगों का उत्पादन :

जिले में वाटलिंग प्लाट के अलावा दो मझौले उद्योग एक तिलम सधम परियोजना, गंगापुर सिटी तथा दूसरा गोल्डन हिल ब्रेवरी सवाई माधोपुर है जो क्रमश सरसो व भूगफली का तेल तथा बीयर का उत्पादन करते हैं । वर्ष 1993 तक इन उद्योगों के निर्माणाधीन अवस्था मे होने के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ ।

लघु उद्योगो का उत्पादन :

सवाई माधोपुर में लघु उद्यागा की महत्वपूर्ण भूमिका है । विगत दशक म लघु उद्योगा की सख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है । सवाई माधोपुर में वर्ष 1993 में 4481 पजीकृत लघु उद्योग इकाइया थी, जिनमे 868 06 लाख रुपए का विनियोजन था तथा 13063 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे ।

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद :

सवाई माधोपुर में खादी उद्योग के अन्तर्गत सूती एवं ऊनी खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 15 प्रकार की उद्योग इकाइया है जो चर्म, घाणी तेल, लुहारी सुशारी, क्ली

चूना, कुम्हारी रेशा, बास बेल, अनाज दाल प्रशोधन, अखाद्य तेल साबुन, गुड खाण्डसारी, ताड़ गुड, फल प्रशोधन, टेक्सटाइल, सेवा, हाथ कागज के उत्पादन में सलग्न है। वर्ष 1990-91 में सूती एव ऊनी खादी का उत्पादन 70 49 लाख रुपए का हुआ तथा बिक्री इस वर्ष 121 00 लाख रूपए की हुयी। खादी उद्योग में 360 व्यक्ति पूण एव आशिक रोजगार प्राप्त किये हुए थे। वर्ष 1990-91 में ग्रामोद्योग में 615 18 लाख रुपए का उत्पादन तथा 777 86 लाख रुपए की बिक्री हुयी। इन उद्योगों में 12032 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था।

पर्यटन उद्योग :

सवाई माधोपुर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। रणथम्भौर की वादियों में दुर्ग के अतिरिक्त सुविख्यात रणथम्भौर नेशनल पार्क है जहाँ वन्य जीव और सुरम्य नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण देशी विदेशी पर्यटक अनायास आकर्षित होते हैं। वर्ष 1983 84 में सवाई माधोपुर में 19575 स्वदेशी तथा 288 विदेशी पर्यटक आए जिनकी संख्या तेजतर गति से बढ़कर वर्ष 1990-91 में क्रमश 35941 तथा 6432 हो गई।

वनोत्पाद :

तेदू के पत्ते व जलाऊ लकड़ी/कोयला जिले के वनों की मुख्य उपज हैं। वर्ष 1986 87 में उत्पादित तेदू के पत्तों का मूल्य 21050 रुपए था। वनों की लघु उपज से 1986-87 में 367715 रुपए की आय हुयी। वनों से आय में राजकीय अधिग्रहण द्वारा निकाली गई लकड़ी एव अन्य वन्य उपजों से 47000 रुपए उपभोक्ताओं एव खरीददारों द्वारा निकाली गई लकड़ी से 216000 रुपए तथा वन नियोजन के अन्तर्गत 272000 रुपए की आय हुयी।

डेयरी उत्पाद :

जिले में 1988-89 में पजीकृत डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 176 थी जिनमें 14750 सदस्य थे। 1988-89 में 15 43 लाख किलोग्राम दुग्ध का संग्रह किया गया। प्रतिदिन दुग्ध संग्रह क्षमता 5720 किलोग्राम थी।

औद्योगिक कच्चा माल :

जिले में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए तिलहनो का उत्पादन भरपूर है तथा खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक खनिजों की पर्याप्त मात्रा

में उपलब्धता है। वष 1988-89 में सर्वाई माधोपुर में खाद्यान्न का उत्पादन 541344 टन दाला का उत्पादन 42791 टन रिलहन का उत्पादन 180044 टन गन्ने का उत्पादन 13375 टन तथा तम्बाकू का उत्पादन 455 टन हुआ। वष 1990 में प्रमुख खनिजों का बिक्री मूल्य 2250.3 हजार रुपए तथा अप्रधान खनिजों का बिक्री मूल्य 103247.9 हजार रुपए था।

सर्वाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की सभावना का यदि भरपूर उपयोग किया जाए तो यह जिला न केवल राजस्थान में वरन् समूचे देश में महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हो सकता है।

जिले के औद्योगिक विकास को प्रोत्त करने हेतु उद्यमियों एवं सरकार को विनियोग के लिए आमंत्रित करने का प्रयास

सर्वाई माधोपुर जिला प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से समूचे राजस्थान में अपना सानी नहा रखता। यहां विस्तृत समतल भू भाग कृषि उपयोग क्षेत्रफल वन जल खनिज आदि बहुतायत में उपलब्ध हैं। पशु सम्पदा में भी जिला सम्पन्न है। उत्पाद को देश के बड़े से बड़े बाजारों तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहा ब्रोड गेज रेलवे लाइन जिले के मध्य से होकर गुजरती है।

जिले में उपलब्ध ससाधनों पर आधारित कुटीर खादी व ग्रामाद्योग डेयरी उद्योग पर्यटन उद्योग मध्यम पैमाने के उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में यहां आधारभूत उद्योग यथा आयल रिफाइनरीज सीमेन्ट उद्योग उर्वरक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। अन्य बड़े उद्योगों में साल्वेट एक्सट्रैक्शन व आधुनिक जूते निर्माण की इकाई स्थापित की जा सकती है।

देश के उद्यमियों तथा सरकार को चाहिए कि वे सर्वाई माधोपुर को समृद्ध औद्योगिक सभाव्यता का लाभ उठाए, पूंजी विनियोग द्वारा अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयों का स्थापना कर। जिले के औद्योगिक विकास के अन्त में साहू जेन ग्रुप ने सर्वाई माधोपुर को धना प्राकृतिक सम्पदा को भाप कर यहां आधारभूत सीमेन्ट प्लांट स्थापित किया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर नवान आयाम स्थापित किए। देश के औद्योगिक मानचित्र पर चिमनिया वाला सर्वाई माधोपुर जिला सदेव चिन्हित रहा। यद्यपि तथाकथित कारणों से जयपुर उद्योग लिमिटेड में उत्पादन बंद है। जिसके भविष्य में प्रारंभ होने की सभावना है।

जयपुर उद्योग जैसे अनेक बड़े उद्योगों की सभाव्यता जिले में मौजूद है। सभी विनियोगकों के लिए जिले के औद्योगिक द्वार खुले हैं। यहां साम्प्रदायिक सौहार्द है अमन चैन है स्वच्छ औद्योगिक वातावरण है विकास के अनुकूल औद्योगिक संस्कृति है वन समृद्ध उद्यमियों के स्वागत के लिए लालायित है। जिला मुख्यालय पर खेरा

एव आर टी आर तथा गगापुर हिंडौन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो ब्रॉड गज रेलवे लाइन पर स्थित हैं । राज्य सरकार की पूजी विनियोग सब्सिडी सुविधा उपलब्ध है । अब तो जिला पर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध होता जा रहा है रणधम्मोर राष्ट्रीय पार्क के कारण सवाई माधोपुर की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है । पर्यटन से संबंधित अनेक औद्योगिक इकाइयां यहां स्थापित की जा सकती हैं । उद्यमी यहां किस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं तथा कितनी मात्रा में पूजी विनियोजन चाहते हैं इसकी न्यूनतम से अधिकतम सभावना यहां मौजूद है ।

जब हम एकांत में विनतन करते हैं या अन्य के साथ विचार विमर्श यह विचार मतव्य सामने आता है समझ नहीं आता सम्पदा की दृष्टि से इतना सम्पन्न होने के बावजूद यहां औद्योगिक इकाइयों का अकाल है माना पर्यावरण के कारण उद्यमियों को स्वोक्ति नहीं मिल पाती होगी मगर पर्यटन से संबंधित औद्योगिक इकाइयां भी नहीं गैर प्रदूषणकारी इकाइयां तो होनी चाहिए, और जो प्रदूषण करती इकाइयां हैं उनके प्रदूषण को नियंत्रित भी तो किया जा सकता है जिसकी सुविधाएं आज के वैज्ञानिक युग में उपलब्ध हैं । हमारी सम्पत्ति में तो एक ही कारण नजर आता है उद्यमियों को यहां की औद्योगिक सभाव्यता का ज्ञान नहीं यदि है तो जिले के औद्योगिक हालात बदतर नहीं होते ।

भारत सरकार की नवीन अर्थिक नीतियों के कारण समूचे देश में उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास का माहोल सर्जित हो रहा है । उद्यमियों को अनेक रियायतें प्रदान की जा रही हैं लाइसेंस राज का खात्मा हो चुका है । देश के औद्योगिक घरानों को चाहिए कि वे सवाई माधोपुर की सुदृढ़ अद्य सरचना संसाधना की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए सभावित आधारभूत उद्योग स्थापित करें । सवाई माधोपुर पिछले वर्षों से सरकारी विनियोग की दृष्टि से उपेक्षित रहा है । सरकार को जिले की औद्योगिक सभाव्यता को दरगुजर नहीं करना चाहिए । सरकार को यहां के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तथा सतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विनियोजन में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए । स्थानीय उद्यमियों को भी चाहिए कि वे यहां की औद्योगिक सभाव्यता का भरपूर लाभ उठाएं ।

सवाई माधोपुर में औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएं

सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य का एक अति महत्वपूर्ण जिला है । कृषि यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है । सवाई माधोपुर में प्राकृतिक संसाधना की प्राप्यता आधारभूत सुविधाएं उद्योग संस्थापना की प्रेरक सुविधाएं स्थानीय जन आवश्यकता सम्पूर्ण देश में मांग वाले उद्योग आदि के आधार पर औद्योगिक विकास की अच्छी सभावनाएँ हैं । यहां खनिज आधारित संसाधन आधारित तथा मांग आधारित उद्योगों के विकास की प्रचुर सभावना है । सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक इकाइयों का विकास मुख्यतः

उद्यमियों की प्रतिक्रिया और औद्योगीकरण के प्रति उसकी दृष्टिकोण पर निर्भर है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार जिले में औद्योगिक विकास वास्ते पर्याप्त औद्योगिक वातावरण का कितना सृजन करती है। सर्वाई माधोपुर में औद्योगिक विकास की भावी सभावनाएँ निम्नलिखित शीर्षका से स्पष्टतः परिलक्षित होती हैं

क्षेत्रफल सर्वाई माधोपुर जिले का क्षेत्रफल वर्ष 1981 में 105270 वर्ग किमी था। जो सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल 342000 वर्ग किमी का 3.08 प्रतिशत है। अनुभव यह बताता है कि विस्तृत क्षेत्रफल विस्तृत सभावनाओं का जनक है। विस्तृत क्षेत्रफल अपने में अथाह ससाधन समेटे हुए रहता है। राजस्थान का थार मरुस्थल विस्तृत भू भाग तक व्यापक है। थार मरुस्थल में खनिज व कृषि विकास की विपुल सभावनाएँ विद्यमान हैं। सर्वाई माधोपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धनी है।

प्राकृतिक ससाधन

सर्वाई माधोपुर प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहाँ खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में खनिज तथा कृषि उत्पाद उपलब्ध हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला प्रान्त के अति सम्पन्न जिलों में है। पशु संपदा की यहाँ कोई कमी नहीं है मत्स्य भी अपेक्षित मात्रा में हैं। जिले में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का विवरण निम्नलिखित है

खनिज सर्वाई माधोपुर में लगभग सतरह प्रकार के प्रधान व अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। प्रधान खनिजों में चायना क्ले व व्हाइट क्ल फैंसपार फायर क्ले लाइम स्टोन लाल व पीला आर्कस क्वार्ट्ज सिलिका सैण्ड और सोप स्टोन आदि तथा अप्रधान खनिजों में ब्रिक अर्थ ग्रेनाइट ककर बजरी लाइम स्टोन (चूना) मार्बल (ब्लाक) भेसोनरी स्टोन मिल स्टोन मुरम पट्टी कातला व सैण्ड स्टोन आदि मुख्य हैं।

कृषि सम्पदा कृषि सम्पदा की दृष्टि से सर्वाई माधोपुर राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है। अधिसंख्यक जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में मुख्यतः बाजरा मक्का मुगफली प्यार दलहनी फसले गेहूँ, जौ चना सरसो अलसी व तारामीर की खेती की जाती है। जिले में भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र 1052731 हैक्टेयरस है। वर्ष 1988-89 में शुद्ध चौथा गया क्षेत्र 501032 हैक्टेयरस है जो कि भूमि उपयोग हेतु रिपोर्टिंग क्षेत्र का 47.59 प्रतिशत है।

पशु सम्पदा सर्वाई माधोपुर में गाय/बेल भैंस/भैसे भेड़े बकरियाँ घोड़े एवं टटू गधे एवं खच्चर ऊट सूअर आदि पशु तथा बतखें व मुर्गो/मुर्गी आदि कुक्कट बहुतायत में पाए जाते हैं। जिले में वर्ष 1972 में पशुधन संख्या 1499776 थी जो बढकर 1988 में 1706937 हो गई। वर्ष 1988 में 45041 कुक्कट थे।

आधारभूत संरचना :

सवाई माधोपुर आधारभूत संरचना की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहले जिले के ब्रोडगेज के माध्यम से दिल्ली और बम्बई से जुड़े हुए होना है । हाल ही जिला राजधानी जयपुर तथा महत्वपूर्ण मरू जिला जोधपुर बीकानेर से भी ब्रोडगेज से जोड़ दिया गया है । इससे धार मरुस्थल की अथाह खनिज संपदा का लाभ जिले को मिल सकेगा । समूचे जिले में 188 कि मी लम्बी रेल लाइनो का जाल बिछा हुआ है जिस पर अठारह रेलवे स्टेशन है ।

जिले में विद्युत आपूर्ति के लिए सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी हिन्डोन सिटी तथा मण्डावर में 132 के वी ग्रिड सब स्टेशन है । करौली क्षेत्र में बिजली की अबाध गति एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने वास्ते 17 अप्रैल 1993 को तत्कालीन राज्यपाल श्री एम चन्ना रेड्डी के कर कमलो द्वारा 132 के वी सब ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया गया । इस ग्रिड स्टेशन ने मई 1994 में कार्यारंभ कर दिया है । सिंचाई सुविधा वास्ते राज्य की सबसे बड़ी नदी चम्बल व बनास इस जिले में होकर बहती है तथा मोरेल काली सिल जग्गा नदिया कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद देती है ।

सवाई माधोपुर में सामान्य शिक्षा के चार महाविद्यालय के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के तीन महाविद्यालय हैं । जिले के सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य शिक्षण की व्यवस्था है । जिले के 18 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । इनके अलावा जिले में बैंक संचार, चिकित्सा आवास आदि सुविधा भी यथोचित है ।

औद्योगिक क्षेत्र :

सवाई माधोपुर में वर्तमान में हिन्डोन सिटी, गंगापुर सिटी, खेरदा आर टी अर करौली औद्योगिक क्षेत्र है । नवम्बर 1991 तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में 168 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध थे । हाल ही राजस्थान सरकार ने रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को भी पूंजी विनियोजन सन्धिसे सभी रिफायरमेंट घोषित की है । यह सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा है, इससे रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों का तीव्र विकास संभव हो सकेगा ।

संभावित बड़े उद्योग :

सवाई माधोपुर में निम्नांकित बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की प्रचुर संभावना है :

1 ऑयल रिफाइनरी - सवाई माधोपुर में सार्वजनिक क्षेत्र में आयल रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है, इस बात की सिफारिश राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज

विकास निगम लिमिटेड के सर्वे दल ने अक्टूबर 1977 में की। जिले में आयल रिफाइनरी के स्थापित होने के विभिन्न आधार मौजूद हैं। इसमें महत्वपूर्ण सवाई माधोपुर की कादला बदरगाह से निकटता है। रिफाइनरी के लिए कम खर्च पर बदरगाह से पाइप लाईन लगाई जा सकती है। सवाई माधोपुर में ब्रोड गेज रेलवे लाइन होने के कारण रिफाइनरी को पेट्रोल उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सवाई माधोपुर में आयल रिफाइनरी के स्थापित होने का अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसके कोटा औद्योगिक केन्द्र से समीपता है। नेफ्ता सुगमता और भितव्ययता से कोटा के खाद कारखाने को भेजा जा सकता है। इसके अलावा विद्युत और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। रिफाइनरी की स्थापना सतुलित औद्योगिक विकास का मार्ग सुनिश्चित कर सकेगी इससे देश के बहुजन घनत्व वाले क्षेत्रों से सवाई माधोपुर जैसे कम घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर श्रमिक मोबाइल हो सकेगे। रिफाइनरी की स्थापना से क्षेत्र में सहायक प्रोसेसिंग तथा अन्य माग आधारित इकाइयों की स्थापना द्वारा क्षेत्र में सुदृढ़ औद्योगिकरण की अपेक्षा की जा सकती है तथा आय व रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

2 खाद सयत्र सवाई माधोपुर में बाम्बे हाई प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता को देखते हुए बड़े पैमाने का खाद सयत्र स्थापित किया जा सकता है। डार्ड अमोनिया फास्फेट विषम खाद फर्टीलाइजर प्लांट सल्फ्यूरिक एसिड से अमोनियम को काम में लेकर तैयार की जाती है। तथा सल्फर का उपयोग हिन्दुस्तान जिंक उदयपुर द्वारा किया जाता है और राक फास्फेट भी प्रदेश में उपलब्ध है इसलिए अमोनिया खाद का कारखाना भी सवाई माधोपुर में लगाया जा सकता है।

3 सीमेन्ट सयत्र सवाई माधोपुर में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के भरपूर भंडार हैं इसके आधार पर बड़ा सीमेन्ट सयत्र आगामी तीस वर्षों तक निर्बाध गति से चलाया जा सकता है। उपलब्ध लाइम स्टोन का उपभोग स्थानीय जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा किया जाता है यह प्लांट 1987 से बंद है। जिले में लाइम स्टोन की उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जयपुर उद्योग को पुनः प्रारंभ करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सवाई माधोपुर में अन्य सीमेन्ट सयत्र स्थापना की सर्वाधिक संभावना है।

मध्यम पैमाने के उद्योगों की स्थापना की संभावनाएँ

सवाई माधोपुर में स्थापित किये जा सकने वाले मझौले श्रेणी उद्योग निम्नलिखित हैं

- 1 रेड मड पी वी सी पाइप्स एण्ड शीट्स सवाई माधोपुर
- 2 प्रा स्टेसड कार्बोन्ड रेलवे स्लीपर सवाई माधोपुर
- 3 सिलिका सेण्ड बेनेफिकेशन प्लांट हिंडौन
- 4 इन्वेशन ग्लास वायल्स हिंडौन

की बढ़ती हुई माग, बाजार में इसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति और कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए गंगापुर मिट्टी में खाद्य तेल रिफाइनरी की स्थापना की प्रचुर संभावना है ।

6 साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्लांट, सर्वाई माधोपुर . सर्वाई माधोपुर स्वर्ण-क्रांति (तिलहना का उत्पादन) की ओर अग्रसर है । वर्ष 1988-89 में 1,80,044 टन तिलहन का उत्पादन हुआ । तिलहन के उत्पादन को देखते हुए सर्वाई माधोपुर में बड़ा साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया जा सकता है । सर्वाई माधोपुर में खाद्य तेलों की मेकेनिकल एक्सपेल्सर यूनिट द्वारा केक्स बहुतायत में उत्पादित की जाती है ।

7 माडर्न शूज मेनुफैक्चुरिंग प्लांट, सर्वाई माधोपुर . वर्ष 1988 में सर्वाई माधोपुर में 17 लाख के करीब पशु थे । स्व रोजगार में लगे लोगों का चमड़े के जुते बनाना यहाँ एक मुख्य व्यवसाय है । खाल आर चमड़ा जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए जिले में आधुनिक जुते बनाने का प्लांट लगाया जा सकता है ।

सर्वाई माधोपुर जिले में पचायत समितिवार सभावित लघु उद्योग :

1 सर्वाई माधोपुर पचायत समिति में लघु पैमाने के उद्योगों में सीमेंट कार्ब्रीट होलो ब्लॉक, प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग, प्रो कास्ट फेरो सीमेंट चीनस होटल नर्सिंग होम ब्रेड यूनिट सर्जिकल एण्ड हाउसहोल्ड रबर ग्लोवज (निर्यात मूलक इकाई) आदि स्थापित किये जा सकते हैं ।

2 चौली में चूना भट्टा, आयल मिल, फ्रेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शॉप, ऑटो/ट्रेक्टर रिपेयर शॉप स्टोन डेकोरेटिव ऑटो/ट्रेक्टर आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं ।

3 खण्डार में मिनरल ग्राइंडिंग (रेड आक्साइड) चूना भट्टा, आयल मिल, क्ले ब्रिकम, स्टोन क्रेशर फेब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप, आटो/ट्रेक्टर रिपेयर शोप आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं ।

4 हिन्डीन में लघु पैमाने के उद्योगों में टायर रिट्रेडिंग प्लांट सीमेंट कार्ब्रीट होलो ब्लॉक, सीमेंट आधारित आइटम, नर्सिंग होम, रिक्लेमेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग आयल, टर्न आवर जूट वेगस, प्रो कास्ट फेरो सीमेंट चीनस आटो फील्डर एलीमेंटस, ट्रक बॉडी विल्डिंग, ब्रेड यूनिट, प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिट, स्टोन क्रेशर आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं ।

5 टोडाभीम में ऑयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं ।

6 गंगापुर में लघु पैमाने के उद्योगों में सीमेंट कार्ब्रीट होलो ब्लॉक, नर्सिंग होम, रोलर फ्लोर मिल, केटल फीड यूनिट, मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट, फेब्रिकेशन एण्ड

रिपेयर शोप, वाशिंग सोप यूनिट टर्न आवर जूट वेगस, आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

7 बाभनवास में क्ले ब्रिक्स, आयल मिल, रेड स्टोन चिप्स फब्रिकेशन रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

8 नादौती में आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप, आटो ट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

9 करोली में फ्यूव फ्रॉम द वेस्ट स्टोन कटिंग एण्ड पालिशिंग यूनिट (करोली स्टोन टाइल्स) होटल, (केला देवी), इम्पुड बनिंग ऑफ लाइम (एन आर डी सी बेसड टेक्नोलॉजी, स्टोन क्रेशर ब्रेड यूनिट फब्रिकेशन एण्ड रिपेयर शोप अगरबत्ती यूनिट, वाशिंग सोप यूनिट, सीमेंट बेसड आयरटम स्टोन वेयर एण्ड डेकोरेटिव आयरटम आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

10 सपोटत म आयल मिल, रिपेयर एण्ड फेब्रिकेशन शोप आटोट्रेक्टर रिपेयर शोप, इलेक्ट्रीकल रिपेयर शोप आदि इकाइया स्थापित की जा सकती है ।

सवाई माधोपुर में मध्यम एवं लघु पैमाने की 101 इकाइया स्थापित की जा सकती है । जिसमें 1073 35 लाख रुपए के पूंजी विनियोजन की जरूरत है । इन इकाइयों में 1338 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है ।

शिल्प आधारित उद्योग .

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर शिल्प सकेन्द्रण उपलब्धता को देखते हुए उपयुक्त स्थानों पर शिल्प आधारित निम्नांकित कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है .

क्र स	उद्योगों का विवरण
1	लकड़ी के खिलौने
2	नमदा
3	चूड़ी बनाना
4	कृत्रिम ज्वैलरी
5	ढाल बनाना
6	कसीदाकारी
7	पतला दर्भ
8	पापड़
9	पत्थर पर नक्कासी
10	बोडी उद्योग
11	पोटरी
12	वास उत्पाद

सवाई माधोपुर का औद्योगिक विकास

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 स्टोन ग्राट | 1 प्लास्टिक का सागान |
| 2 इंट भट्टा एव चूना भट्टा | 2 आईस एव आईग केडो, आईस क्रीम |
| 3 सीमेन्ट आर्टिकल्स | 3 प्रिंटिंग प्रेस |
| 4 पत्थर की कटिंग एव पालिशिंग | 4 कागज की शैलिया एव डिब्बे |
| 5 सिलिकेट, चीनी के यंत्र | 5 इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग |

सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं

सवाई माधोपुर के औद्योगिक विकास वास्तु पर्याप्त प्राकृतिक ससाधन, अनुकूल मानवीय ससाधन तथा सुदृढ़ अद्य सरचना मौजूद ह, इसके बावजूद यहा औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका है इसके लिए अप्राकृतिक समस्याएं विशेष रूप से उत्तरदायी हैं :

(1) सड़कों का अभाव : सड़क समाज की बुनियादी आवश्यकता है । सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सड़कों का योगदान उल्लेखनीय है । गावों में शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसारण, परिवार कल्याण एव परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता तथा कृषि की नवीनगम तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचान में सड़कों के महत्त्व की भलीभांति समझा जा सकता है । सड़कों के निर्माण से न केवल ग्राम्यजनो का आर्थिक विकास होता है अपितु वादिक एव नैतिक विकास भी होता है ।

सड़कों का महत्त्वपूर्ण योगदान होने क बावजूद सवाई माधोपुर इस दृष्टि से सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों में है । कान्ती तादाद में गाव सड़क यातायात से जुड़े हुए नहीं हैं । यदि कुछ जुड़े हुए भी हैं तो रेल्वे से सम्पर्क के रूप में जोड़ने वाली सड़कों का अभाव "रेल्वे से गावों की निकटता का लाभ" सीमित कर देता है । सड़कों के अभाव में दूरदराज के ग्रामवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वे बाह्य जगत की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान होते हैं । रोजमर्रा की चीज गावा में मुहैया नहीं होने के कारण इन्ह अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर लेनी पड़ती है । सड़का क अभाव में ग्राम्यजन कृषि उत्पादों को मटियों तथा लाभप्रद बाजारों तक नहीं पहुंचा सकते हैं ।

सवाई माधोपुर में वर्ष 1988-89 में सड़कों की लम्बाई मात्र 1768 कि मी थी, जिसमें टापर की 1283 कि मी, धात्विक 118 किलोमीटर ग्रेवल 166 कि मी तथा कच्ची सड़के 201 कि मी थी । राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई तो केवल 20 किमी ही थी ।

वर्ष 1981 की जनगणना के दौरान सकलित की गई सूचना के अनुसार जिले के 1534 आबाद ग्रामों में से 342 ग्राम पक्की सड़कों अथवा मुख्य सड़कों से जुड़े हुए थे । पक्की सड़कों से जुड़े हुए गाव 22 29 प्रतिशत थे । स्पष्ट है जिले के आबाद

ग्रामों में 77.71 प्रतिशत गांव पक्की मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। जिले में प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 16.79 कि.मी. ही है। प्रति एक हजार की जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई का आसन वर्ष 1981 की आबादी के अनुसार मात्र 1.15 कि.मी. एव वर्ष 1988 की अनुमानित आबादी पर 0.99 कि.मी. रहा।

(2) पेयजल को तरसते वाशिदे - पेयजल इन सभी की मूलभूत आवश्यकता है जिनमें प्राण है चाहे वे मानव हों या फिर पशु पक्षी आर पेंड पाधे। सविधान के अन्तर्गत पीने का पानी उपलब्ध करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है और इस राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

आजादी के साठे चार दसक बीत जाने के बाद और दश के आर्थिक नियोजन के बावजूद यहुतरे गांव आज भी सही अर्थों में पेयजल से वंचित हैं। तालाबों, पोखरों, झरना, नहरा आदि से लाग पानी लेकर आत हैं आर इस्तेमाल करत हैं, जो अक्सर दूषित हाता ह।

सवाई माधापुर जिले के अधिकांश गांव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं। समस्याग्रस्त गांवों के अन्तर्गत ऐसे गांवों का सम्मिलित किया जाता है जहां या तो 16 कि.मी. की दूरा तक अथवा 15 मीटर की गहराई तक पानी का स्रोत नहीं है। इसके अलावा एमें गांव भी समस्याग्रस्त ह जहां पानी में खराब लोहतात्व, फ्लोराइड या अन्य विषाक्त तत्व हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार जिले के सभी 7 कस्बों में पेयजल मुहैया है, किन्तु गांवों की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो पाते हैं कि कुल 1534 गांवों में 1376 गांव समस्याग्रस्त थे केवल 159 गांव ही गैर समस्याग्रस्त थे। पेयजल की दृष्टि से मात्र 1989 तक भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। यद्यपि कस्बों में तथाकथित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है। 1525 गांवों में से अभी 1367 गांव समस्याग्रस्त थे स्पष्ट है कुल गांवों में 89.64 प्रतिशत गांव पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं।

(3) निरक्षरता का अंधकार : निरक्षरता समाज के लिए अभिशाप है, इसके अनेक दूष्परिणाम समाज को भुगतने पडते हैं। बालिकाओं की शिक्षा में विचारणीय प्रगति होने के बावजूद असमानता अभी भी बनी हुई है। प्राथमिक कक्षाओं तथा उच्चतर प्राईमरी स्तर में प्रवेश लेने का प्रतिशत कम है।

सवाई माधापुर में वर्तमान में (वर्ष 1991) सात वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता 35.86 प्रतिशत है। पुरुषों में साक्षरता 53.94 तथा महिलाओं में 14.52 प्रतिशत ही है। अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बसर करती है उनमें साक्षरता की स्थिति बड़ी दबनीय है। विवरण से स्पष्ट है जिनमें की कुल जनसंख्या में 64.14 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। पुरुषों में निरक्षरता का प्रतिशत 46.06

है । महिलाओं में निरक्षरता 85.48 है जो कि चिंता प्रद स्थिति है ।

(4) परियोजनाओं का पलायन - राजस्थान से विगत वर्षों में आयल रिफाइनरी का पलायन मथुरा हुआ जो कि सवाई माधोपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था । इस परियोजना का यह कहकर मथुरा पलायन कर दिया गया कि रणधम्भौर नेशनल पार्क होने के कारण वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिला उपयुक्त स्थल नहीं है । आज यही मथुरा ऑयल रिफाइनरी, आगरा का नगर फाउण्डरी उद्योग के साथ में विश्व विख्यात ताज महल के अप्रतिम सौन्दर्य के लिए खतरा बना हुआ है । जब दुनिया का आश्चर्य "ताज" को अनदेखा कर मथुरा में ऑयल रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है तो क्या सवाई माधोपुर में रणधम्भौर नेशनल पार्क के रहते ऑयल रिफाइनरी स्थापित नहीं की जा सकती थी ।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना गैस पर आधारित खाद सयंत्र "अरावली फर्टीलाइजर्स" का पलायन सवाई माधोपुर से गडियान (कोटा) हुआ । जुआरी एग्री केमिकल्स लि० की ओर से प्रवर्तित चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स मूल रूप से यह परियोजना अरावली की पहाड़ियों के निकट सवाई माधोपुर में स्थापित की जा रही थी और तब इसका नाम अरावली फर्टीलाइजर था लेकिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण स्थान का परिवर्तन करके इसे राजस्थान के कोटा जिले में स्थानान्तरित कर दिया गया इसका नाम भी परिवर्तित करके चम्बल फर्टीलाइजर्स कर दिया गया ।

अरावली फर्टीलाइजर्स के सवाई माधोपुर में स्थापना के लिए केन्द्र सरकार ने "आशय पत्र" भी जारी कर दिया था, लगभग सभी आरम्भिक तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी, लाखों की तादाद में बेरोजगार युवकों को रोजगार के फार्म वेंचे जा चुके थे । रणधम्भार के बाघ अरावली फर्टीलाइजर्स से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो क्या अब सोरसन गडियान (कोटा) में स्थापित चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स से राज्य का दुर्लभ पक्षी "गोडावण" सुरक्षित महसूस कर सकेगा । इस परियोजना के पलायन से सवाई माधोपुर को न केवल अरावली फर्टीलाइजर्स से वरन् हजौरा-बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइप लाईन से भी वंचित होना पडा है । क्या अरावली फर्टीलाइजर्स का पलायन सवाई माधोपुर के साथ खिलवाड नहीं ?

आज भी एक के बाद एक परियोजनाओं के पलायन का क्रम जारी है । यहा की सुदृढ़ आधारभूत संरचना परियोजनाओं को आकर्षित करती है किन्तु पलायन कर जाती है यदि यहा पलायन का सिलसिला जारी रहता है तो जिला औद्योगिक विकास की पिछड़ी दौड़ में ओर भो पिछड जाएगा ।

(5) जयपुर उद्योग लिमिटेड विगत वर्षों से बंद पडा है : राजस्थान का गौरव सवाई माधोपुर का जयपुर उद्योग लिमिटेड में वर्ष 1987 से उत्पादन बंद है । इस उद्योग को चलाने के लिए समय-समय पर राजनीति से ओत प्रोत आंदोलन किए जाते

रह है मगर समकार व उद्योग पति दोनों ही आखे मूदे हुए है । उद्योग को चलाने से सबधित झूठे आश्वासन जनता को दिए जाते रहे हैं । आज यहां के श्रमिक दो जून रोटी के लिए विलख रह है । यहां के श्रमिक व प्रबंधक अन्यत्र पलायन कर रहे हैं ।

जिले मे लाइम स्टोन (सामेट ग्रेड) के पर्याप्त भंडार हैं । जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान धनी है । कोयला रेल परिवहन के माध्यम से बिहार से प्राप्त होता है । बी आई एफ आर ने भी उद्योग के चलने की सभाव्यता व्यक्त कर दी है फिर क्यों नहीं इस उद्योग को चालू किया जाता है ? यही जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग है जिसके कारण सवाई माधोपुर का नाम भारत के औद्योगिक जगत मे आता है ।

(6) पर्यावरण के प्रभावित होने की आशका सवाई माधोपुर मे स्थित रणथम्भार नेशनल पार्क राष्ट्रीय धरोहर है इस पार्क मे दुर्लभ वन्य जाव है अप्रतिम नैसर्गिक सौन्दर्य है । उद्यागा की चिमिनियो से निकलने वाला धुआ यहां की वनो से आच्छादित पर्वत शृंखला और वन्य जीवा पर विपरीत असर डालता है ।

बढ़ रहा पर्यावरण प्रदूषण आज की ज्वलत समस्या है । सवाई माधोपुर मे स्थापित होने वाले उद्यागो से यहां के पर्यावरण के प्रभावित होने की आशका है सभभवतया पर्यावरण संरक्षण का मद्देनर रखते हुए हा सवाई माधोपुर से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का पलायन हुआ है और अनक परियाजनाओं को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाती है ।

सवाई माधोपुर का पर्यटन उद्योग की दृष्टि से इतना विकसित कर दिया जाए कि अन्य उद्याग का आवश्यकता ही महसूस न हो । इसके अभाव मे पर्यावरण की कीमत पर आद्योगिक विकास की बलि नहीं दा जा सकती है ।

(9) उद्यमीयता का अभाव जिले मे ऐसा कोई बड़ा उद्यागपति नहीं है जो यहां के औद्योगिक विकास को सम्बल प्रदान कर सके । उद्यागो से सबधित प्रशिक्षण सुविधा नहीं होने के कारण उद्यमीयता का विकास यथाचित नहीं हो सका है । जिले का शैक्षिक स्तर भी गिरा हुआ है । यहां नासिखिए, अनपढ अनुभवहीन उद्यमी उद्योगो की स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन करत देखे जा सकते है निन्ह परियाजना तक की जम्नकारी नहीं उनका उद्देश्य यनकेन प्रकारेण ऋण प्राप्त कर उसे हडप जाने तक ही सीमित रहता है । उद्यागा की स्थापना मे उनका अधिक दिलचस्पी नहीं हाती है ।

राजस्थान मे उद्योग लगाने सबधा नियमा व अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण उद्यमिया को काफी प्रेशानी हाती है । यह उद्याग हेतु भूमि प्राप्त करने उस पर बिजली पाना लने तथा आधारभूत सुविधाएँ जुटाने मे काफी लम्बी प्रक्रियाएँ अपनायी जाती है । इसस समय श्रम व धन का अपव्यय होता है । काम मे अनावश्यक टालमटोल तथा दरा की प्रवृत्ति अधिक है जिसस उद्यमी का यहां उत्साह कम हो जाता है । सरकार द्वारा छूटा व रियायता की घोषणा ता कर दी जाती है परन्तु इन घोषणाओं पर यहां उद्याग

व्यवसाय चालू करने वाले उद्यमियों को जब ये रियायते व सुविधाएँ नहीं मिलती तब उन्हें निराशा महसूस होती है ।

(8) क्षेत्रीय आर्थिक विघ्नता सवाई माधोपुर असुलित विकास का शिकार है । गगापुर हिन्डौन व सवाई माधोपुर तहसीले जिले की शेष तहसीलो की अपेक्षा अधिक सम्पन्न है । करोली खनन की दृष्टि से सम्पन्न है फिर भी वहा औद्योगिक इकाइयो का अभाव है । टोडाभोग नादौती बोली चापनवास आदि तहसीले कृषि उत्पाद की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु औद्योगिक इकाइयो की रिक्तता है ।

(9) निर्णयो म अनावश्यक विलम्ब सवाई माधोपुर मे जुआरी एग्रीकेमिकल्स लिमिटेड रीको जयपुर (काकरी) रीको जयपुर (मिधामूल) राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए आशय पत्र जारी हो चुके हैं । जुआरी एग्रीकेमिकल्स का पलायन अन्यत्र हो गया है । केवल राजफेड मस्टर्ड प्रोजेक्ट (तिलम सघम) ही क्रियान्वित हो पाया है । जयपुर उद्योग लिमिटेड जिसमे 1987 से उत्पादन बंद है के बारे मे कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए जाने से या निर्णयो मे अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओ की लागत मे वृद्धि होती है उत्पाद के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करना पडती है इससे विनियोग और उत्पाद के मध्य अन्तराल मे वृद्धि होती है जिससे मुद्रा स्फीति मे वृद्धि परिलक्षित होती है ।

(10) उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या जिले के बडे व मझोले उद्योग सस्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने की समस्या से ग्रसित हैं । जयपुर उद्योग लिमिटेड मे उत्पादन बंद है । इण्डियन बाटिलिंग प्लांट ने वर्ष 1990 91 मे 35928 मीटिक टन उत्पादन किया जबकि प्लांट की सस्थापित क्षमता 50 000 मीटिक टन है ।

(11) कन्द्रीय पूजा विनियोग सभिसडी केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ओद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे जिलो की श्रेणी मे सवाई माधोपुर को सम्मिलित नहीं किया गया जिससे यहा स्थापित हाने वाल उद्योगो को पूजा विनियोग सभिसडी का लाभ नहीं मिला नताजन उद्यमा विनियोग हेतु आकर्षित नहीं हो सके ।

(12) सौतेला व्यवहार देखते देखते कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ का पलायन अन्यत्र हो गया । राज्य मे शायद ही कोई जिला अद्य सरचना की दृष्टि से सवाई माधोपुर से ज्यादा सम्पन्न हो किन्तु ओद्योगिक दृष्टि से यह जिला काफी पिछडा हुआ है ।

राजस्थान सरकार का कोई उपक्रम जिले मे नहीं रीको को कोई परियाजना नहीं जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं । मण्डकायल स्थित काहूघाटपन चिन्तनी परियोजना सरकार की घोषणा के बावजूद निर्माण की प्रतीक्षा मे है । यह सब जिले के साथ सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है ।

औद्योगिक विवास की समस्याओं का समाधान

सवाई माधोपुर के औद्योगिक विकास में जो समस्याएँ हैं उनमें से अधिकांश पर निजात म्याया जा सकता है। निम्नांकित उपाय जिले के औद्योगिक विकास को समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हो सकते हैं

1 सवाई माधोपुर को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए सवाई माधोपुर जिला केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण इस जिले में स्थापित होने वाले उद्योगों को केन्द्रिय पूँजी विनियोग सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। जबकि वास्तविकता यह है कि सवाई माधोपुर जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। जिले में बड़े मध्यम व लघु पैमाने के उद्योगों का नितात अभाव है। जो उद्योग अस्तित्व में हैं उनमें से अधिकांश बंद हैं या रूग्णता की समस्या से ग्रसित हैं।

सवाई माधोपुर जिले को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने पर यहाँ औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य व देश के उद्योगी विनियोग सब्सिडी से आकर्षित होकर उद्योगों की स्थापना में रूचि लगे। जिले में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध है छोटे बड़े सीमेंट प्लांट की तकनीक उद्योगियों को आकर्षित करने में सफल होगी।

2 जयपुर उद्योग लिमिटेड को अविलम्ब चालू किया जाए जयपुर उद्योग लिमिटेड जिले का एक मात्र आधारभूत उद्योग है। इसके कारण ही सवाई माधोपुर जिले को केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं किया है।

देश में सीमेंट का उत्पादन भाग की अपेक्षा अधिक किया जा रहा है इसका आशय यह तो नहीं कि नवीन सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं किए जाए या बंद सीमेंट इकाइयों का चालू करने के प्रयास नहीं किये जाए। सरकार को चाहिए कि वह अतिरिक्त उत्पाद के निर्यात की व्यवस्था करे या आन्तरिक स्वयं में वृद्धि करे जिससे सीमेंट उद्योग को हा रहे घाटे को पूरा किया जा सके।

जयपुर उद्योग के सबंध में निणय लिए जाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। एसा कोई कारण भी नजर नहीं आता जिससे उद्योग को चालू नहीं किया जा सके। अनेक वर्षों बीत जाने के बाद भी उद्योग की चिमनियाँ सूनी हैं। करोड़ों रूपए की सम्पत्ति का इस तरह व्यर्थ होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

3 उद्योगों के बीच पर्यावरण संरक्षण संभव है - विश्व विख्यात रणथम्भीर नेशनल पार्क की आड़ में जिले के औद्योगिक विकास के लिए तैयार की गई कई औद्योगिक परियोजनाओं का पलायन अन्यत्र हो गया। कोई नहीं चाहता कि रणथम्भीर के बाघ प्रदूषित वातावरण में विचरण कर मगर कब तक रणथम्भीर नेशनल पार्क की कीमत

पर जिले के औद्योगिक हित को तिलाजलि दी जाती रहेगी । क्या जिला मुख्यालय के निकट गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइया स्थापित नहीं की जा सकती ? यदि स्थापित की जाने वाली परियोजना प्रदूषणकारी है भी तो क्या उसके प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता ? आज उद्योगों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधुनातन तकनीकोंजी बाजार में आ चुकी हैं । विश्व विख्यात ताजमहल की भी तो मथुरा रिफाइनरी, जो कि अधिक घातक है से सुरक्षा की जा रही है । और फिर सवाई माधोपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है, फिर क्यों नहीं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाती है ? क्यों अन्यत्र पलायन कर दिया जाता है ? क्यों नहीं बंद इकाइयों को चालू किया जाता है ?

4 राजनीतिक इच्छा शक्ति . क्षेत्र विशेष के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए राजनीतिक शक्ति का होना आवश्यक है । राजनीतिक शक्ति के रहते यह आवश्यक नहीं कि क्षेत्र में कच्चा माल या अन्य आवश्यक ससाधन भरपूर उपलब्ध हो । हाल ही के वर्षों में सवाई माधोपुर जिला राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरा है । श्री डॉ अचरार अहमद केन्द्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके तथा वर्तमान में प्रीमती नरेन्द्र कवर राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं । इनके अलावा श्रीमति उषा मोना मसद सदस्य (कांग्रेस), श्री शिवचरण सिंह राज्य सभा सदस्य (भाजपा), श्री मूलचंद राज्य सभा सदस्य (कांग्रेस) है, श्री रतन लाल आजाद (भाजपा) श्री पूरण मल शर्मा (भाजपा) । ये सभी जिले के औद्योगिक हित को मदेनजर रखते हुए स्तरीय प्रयास करें तो सवाई माधोपुर क्या कुछ अर्जित नहीं कर सकता है । जिले में औद्योगिक विकास की अभाव सभावत्पाएँ बिखरी पड़ी हैं जस्तरत यहा के राजनीतिज्ञों की सजगता की है । ये चाहे तो रातोरात सवाई माधोपुर का वायावन्प्य कर सकते हैं । यदि राजनीतिज्ञों के माध्यम से जिले में महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ आती है, या इनके पलायन का दौर पनपता है तो इन्हे जिले में दीर्घावधि आधार अर्जित होगा साथ ही जिला पिछडेपन पर प्रहार भी कर सकेगा किंतु स्थानीय राजनीतिज्ञ मसद और विधान सभा में यहा की औद्योगिक सभाव्यता के पक्ष को दृढता के साथ नही रख सक है जिससे यहा उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी, परिणाम जिले की औद्योगिक दुर्दशा के रूप में सामने है । यहा की औद्योगिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्थानीय राजनीतिज्ञ स्व-हित से ऊपर उठकर विकास हेतु प्रभावोत्पादक प्रयास करें । सबसे पहला प्रयास तो यह हो कि ये इस जिले को औद्योगिक विकास की दृष्टि से 'पिछड़ा जिला' घोषित करवाए तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण मंचों से जिले की प्राकृतिक संपदा तथा औद्योगिक विकास की भाषी सभावनाओं के बारे में सरकार तथा देशी-विदेशी उद्यमियों को अवगत कराए । प्रभावी प्रयास में ही औद्योगिक विकास समाहित है ।

5 परियोजनाओं का पलायन का क्रम रोक जाएँ। सर्वाई माधापुर से आयल रिफाइनरी अरावली फटाहाइनम रोक परियोजना आदि का पलायन अन्यत्र किया जा चुका है। यदि इस तरह औद्योगिक परियोजनाओं का पलायन होता रहा तो हमारे नियोजन का प्रमुख लक्ष्य सन्तुलित क्षेत्रीय विकास का प्राप्त करना सदिग्ध होगा।

राननात से प्रेरित होकर स्थानाय मसाधना का अवहलना कर आद्योगिक पारियोजनाओं का पलायन कर दिया जाता है इससे मसाधना से युक्त स्थल का विकास से वाचन रहना पडता है आर पलायन हो चुकी परियोजना का अद्य सरचना आर कच्चे माल का उपनयनता से विमुख। उत्पादन का लागत ऊँची आन से औद्योगिक इन्फ्राई का लाभ पर चलाना कठिन हो जाता है आर यदि लाभ होता भा है तो उसे दाघकाल तक स्थिर नहा रखा जा सकता है। अतः परियोजना पलायन विवकपूर्ण नियम नहा है निराह मसाधना का वजाग है इस यथासभव हतासात्त किया जाना चाहिये।

6 सरकार विकास में भागादार बन। राज्य सरकार का निले के साथ सौतेला व्यवहार का नाति का परित्याग करना चाहिए। सजाइ माधापुर जिना कृषिगत उत्पादन खनिज वन सम्पत्ता पशु सम्पत्ता की दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न हैं। सरकार को कृषि वन पशु खानन आधारित उद्योगों का उत्तरात्तर विकास करना चाहिए। आद्योगिक त्रिनियोजन के क्षेत्र में रानना को भूमिका नगण्य है उसे बढाए जान की महती आवश्यकता है। राज्य सरकार का चाहिए कि वह सर्वाई माधापुर का औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिठला भाषित किए जान के लिए कन्द्र सरकार पर दवाव डाले।

नियम के आद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा प्रभावा कदम उठाए जान आवश्यक हैं। सरकार का कुछ ऐसा रियायत व सुविधाए देना हागी जिससे उद्यमी अन्य स्थानों का छोडकर नियम में उद्योग लगान हेतु आकर्षित हो। रानस्थान में नम उद्योगपतिया का भा अपना मातृभूमि के प्रति कुछ कर्तव्य यनता है। उन्हें भा चाहिए कि वे सर्वाई माधापुर में उद्योगों का स्थापना करे। यदि उन्हें नसरू लिए शाना बहुत कष्ट उठाना पडता मातृभूमि के हित में उठाना जाना चाहिए। यनमान में नत्र दश के विभिन्न भागों में उद्योग व्यनमाय स्थपित करन वाले प्रवासा रानस्थानिया का कठिनाइया का सामना करना पड रहा है तब उन्हें यना त्रिनियोग करना चाहिए। यना उन्हें अनासरयक तनान नहा रहेगा व अधिक शानि के साथ अपना उद्योग व्यवसाय का संचालन कर सकन।

7 सन्तुलित क्षेत्रीय विकास पर विशेष धन। नियम में अधिकांश औद्योगिक इन्फ्राइया सजाइमाधापुर गगापुर व त्रिनियोजन आदि कस्या में हा कन्द्रित है। खनिज मसाधना का दृष्टि से सम्पन्न रानना में आद्योगिक क्षेत्र के नियम भूमि अधिग्रहित का जा चुकी है इस अविलम्ब निरमित किया जाना चाहिए। नियम क्षेत्र में स्टान पालिशिंग एण्ड कनिंग तथा चून भट्टे की इकाइया नगाइ जा मरू। अन्य क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग इकाइया के पनाकरण का प्राथमिकता दा नाने नियमसे स्थानाय मसाधना का लाभ उठाना जा सकता है।

9 औद्योगिक विकास वास्ते उपलब्ध ससाधनो व उद्यमियो क बीच सामजस्य हो सवाई माधोपुर मे उपलब्ध ससाधनो और उद्योगपतियो प्रतिभा के बीच उचित सामन्जस्य स्थापित करने की जरूरत है । सवाई माधोपुर मे वित्तीय ससाधनो का अभाव हो सकता है पर जिस तरह की प्राकृतिक सपदा यहा मौजूद है वैसी अन्य किसी स्थान पर नहीं है । यहा के उद्यमियो को प्रशिक्षण तथा वित्तीय ससाधनो की जरूरत है । जिले मे सीमेंट उत्पादन के लिए लाइम स्टोन के पर्याप्त भंडार मौजूद है परन्तु उनके दोहन के लिए पर्याप्त ससाधन सुलभ नहीं है । चमड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल भरपूर है सैण्ड स्टोन पर्याप्त मात्रा मे है । परन्तु इनका उपयोग यहा नहीं हो पा रहा है ।

9 उद्योग सबधी सुविधाए एक छत के नीचे हो जिले मे उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए रीको राजस्थान वित्त निगम बिजली पानी बैंक आदि सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना चाहिए । इन सब सुविधाओ के आसानी से उपलब्ध होने पर एक ओर जहा घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन व बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों से व देश से बाहर के उद्योगपति व पूजीपति जिले की ओर दौड़ेगे ।

कुटीर व घरेलू उद्योगो को महत्व देते हुए एक समिति का गठन कर इस बात का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए कि कौन कौन से उद्योगो को किन किन क्षेत्रो मे स्थापित किए जाने से अधिक फायदा मिल सकता है । मजदूरो की उद्योगो मे भागीदारी हा उनके माग पत्रो के शीघ्र निपटारे हो । मधुर औद्योगिक सबधो से मानव दिवसो की हानि नहीं होती है तथा उत्पादन भी बिना किसी अवरोध के बढ़ता है ।

10 गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाए सवाई माधोपुर जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत है जिला मुख्यालय जिले के केन्द्र मे स्थित नहीं है । गदाती टोडाभीम के उद्यमी के लिए सवाई माधोपुर मुख्यालय पर आना कष्टप्रद है । समय व धन को बर्बादी होती है । उद्यमी बार बार नहीं आना चाहते । किंतु औद्योगिक गतिविधि की औपचारिकताओ को पूरा करने के लिए जिला मुख्यालय पर आना अपरिहाय है । सम्भवतया यही कारण है कि महुवा करौली औद्योगिक क्षेत्रो मे भूखण्डो का आवंटन होने पर भी औद्योगिक इकाइया स्थापित नहीं हुई । गगापुर सिटी को नाभिक केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाना चाहिए । गगापुर सिटी को यह जिले के लगभग मध्य मे स्थित है । सवाई माधोपुर जिले की सभी तहसीलो की सीमा गगापुर सिटी को छूती है । यहा की आधारभूत संरचना भी औद्योगिक विकास के अनुकूल है । नाभिक केन्द्र जिला मुख्यालय भी हो सकता है किंतु रणधम्मौर नेशनल पार्क भी जिले का गौरव है । यदि यहा अधिक औद्योगिक इकाइया की स्थापना की जाती है तो अन्य चीवा के स्वच्छ विचरण के प्रभावित होने की आशका उत्पन्न हो जाती है । इस दृष्टि से गगापुर श्रेष्ठ है । यह सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा शहर है

जहा स्थापित होने वाली किसी भी तरह की औद्योगिक इकाई से रणधम्मोर के वन्य जीवों को कोई खतरा नहीं होगा ।

मार्च 1997 में करौली को नया जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने कर दी है । इससे इस क्षेत्र का विकास होने की संभावना बनी है । उद्योगी बार बार जिला मुख्यालय पर जाता है । उद्यमियों की इस कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए उद्योगों से संबंधित महत्त्वपूर्ण विभाग जिला मुख्यालय के अलावा हिन्डीन, गगापुर व करौली में खोले जाए । राजस्थान वित्त निगम का शाखा कार्यालय गगापुर में एवं उप कार्यालय करौली में खोला जाए । इसा तरह से जिला उद्योग केन्द्र धरीको के कार्यालय खोले जाए जिससे उद्योगी का महत्त्वपूर्ण समय औद्योगिक विकास के लिए विनियोजित हो सके ।

11 आधारभूत उद्योग की स्थापना अत्यावश्यक किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योग का होना अत्यावश्यक है । आधारभूत उद्योग की मदद से सहायक उद्योगों लघु उद्योगों व अन्य उद्योगों का स्वतः विकास होता चला जाता है । जयपुर उद्योग को चालू करना तो आवश्यक है ही इसके अलावा गगापुर व हिन्डीन में भी आधारभूत उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए ।

12 जिले को विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए सवाई माधोपुर में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना 'विकास केन्द्र' स्वीकृत की जाए । राज्य सरकार को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए । गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए 8 विकास केन्द्रों के प्रस्ताव में सवाई माधोपुर जिला भी था, किंतु इसे केन्द्र सरकार की आर से स्वीकृति नहीं मिल सकी ।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के सदर्थ में सवाई माधोपुर जिले की स्थिति

राज्य के सवाई माधोपुर जिले में बड़े व मझौले श्रेणी के उद्योगों का नितात अभाव है । यहां लघु उद्योग इकाइयों की भरमार है । वर्ष 1993 में जिले में 4481 पंजीकृत लघु उद्योग इकाइया थी जिनमें 868 06 लाख रुपए का पूंजी विनियोजन था । ये इकाइया खाद्य आधारित तम्बाकू संबंधित सूती वस्त्र ऊनी सिल्क संबंधित, जूट संबंधित रेडीमड वस्त्र लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, पेपर से संबंधित घमड़े से संबंधित रबर प्लास्टिक उद्योग रसायनिक उद्योग लौह-धातु उद्योग खनिज उद्योग इलेक्ट्रिक उद्योग इंजीनियरी व मशीनरी ट्रांसपोर्ट संबंधित रिपेयरिंग व सर्विसिंग आदि उद्योगों से संबंधित हैं ।

औद्योगिक विकास के सदर्थ में सवाई माधोपुर जिले की स्थिति का आभास निम्नलिखित सूचकों से सहज ही हो जाता है -

61 शुद्ध धरेलू उत्पाद राजस्थान का शुद्ध धरेलू उत्पाद वर्ष 1986-87 में

चालू मूल्यो पर 825446 लाख रुपए था जबकि इस वष सवाई माधोपुर का शुद्ध घरेलू उत्पाद चालू मूल्यो पर 4563.23 लाख रुपए रहा । राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद म सवाई माधोपुर जिले का हिस्सा 55 प्रतिशत ही रहा ।

6.2 प्रति व्यक्ति आसत वापिक आय राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1986-87 म चालू मूल्यो पर 2095 रुपए की तुलना म सवाई माधोपुर मे प्रति व्यक्ति आय 297 रुपए हा रही ।

6.3 निर्माण क्षेत्र मे अशदान वष 1985-86 मे राजस्थान औद्योगिक विकास (निर्माण क्षेत्र) मे जिलवार योगदान इस प्रकार रहा

निर्माण क्षेत्र की कीमत (हजार रुपए)

सवाई माधोपुर	206294 (2.40)
राजस्थान	8591127
अजमेर	618418 (7.20)
अलवर	440666 (5.13)
भोलवाडा	428522 (4.99)
चित्तौडगढ	784908 (9.14)
जयपुर	2491901 (29.00)

स्रोत स्टैटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट राजस्थान 1989 पृष्ठ 173

नोट काष्ठक म राय म जिलो का योगदान प्रतिशत मे दर्शाया गया है ।

सवाई माधोपुर जिले का शुद्ध घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयक्रीय रूपरेखा 1988 बसिक स्टैटिस्टिक्स 1988 स्टैटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट राजस्थान 1989 का उपयोग किया गया है तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जिले की 1981 की जनगणना को आधार माना गया है ।

राजस्थान के निर्माण क्षेत्र मे सवाई माधोपुर जिले का योगदान केवल 2.40 प्रतिशत रहा जबकि जयपुर चित्तौडगढ तथा अजमेर का योगदान क्रमशः 29 प्रतिशत 9.14 प्रतिशत तथा 7.20 प्रतिशत रहा ।

6.4 कार्यरत जनसंख्या का अनुपात राजस्थान म 1991 की जनगणना क अनुसार कार्यरत जनसंख्या की जिलवार स्थिति इस प्रकार रही

(प्रतिशत में)

	मुख्य कार्यरत	सीमांत कार्यरत	अकार्यरत
सवाई माधापुर	30 36	8 19	61 45
अखिल राजस्थान	31 62	7 25	61 13
अजमेर	35 78	3 84	60 38
भीलवाडा	40 39	6 34	53 27
चिचौडगढ	41 45	7 58	50 97

6.5 औद्योगिक श्रमिकों का श्रेणी अनुसार वर्गीकरण औद्योगिक श्रमिका का श्रेणी अनुसार वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

मुख्य कार्यरत व्यक्तियों का औद्योगिक श्रेणी अनुसार वितरण 1991

(प्रतिशत में)

श्रेणी	सवाई माधापुर	राजस्थान	अजमेर	कोटा
1 कृषक	65 84	58 80	45 13	28 47
2 खेतिहर श्रमिक	8 42	10 00	10 28	12 92
श्रेणी	सवाई माधापुर	राजस्थान	अजमेर	कोटा
3 पशुधन धन मछली उद्यान तथा संबंधित गतिविधियाँ	1 33	1 80	3 44	2 40
4 खनन तथा पत्थर निकालना	1 78	1 03	0 41	5 44
5 (अ) घरेलू उद्योग	1 31	2 00	2 16	1 25
(आ) घरेलू उद्योग के अलावा उद्योग	3 51	5 45	10 08	12 16
6 निर्माण	2 21	2 42	2 83	4 64
7 व्यापार एवं वाणिज्य	5 16	6 41	8 52	11 22
8 परिवहन संग्रह व संचार	2 27	2 39	4 08	4 88
9 अन्य सवाए	8 17	0 69	13 08	16 61

सात पापूलेशन आफ राजस्थान 1991 से संकलित सभा प्रतिशत निकाले गए हैं

6.6 कुल याचना खर्च का उद्योग व खनन पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 में सवाई माधापुर तिले में याचना कार्यों पर किया गए कुल व्यय में उद्योग व खनन का हिस्सा मात्र 1.09 प्रतिशत था यह वर्ष 1971-72 में केवल 0.37 प्रतिशत ही रहा। उद्योग व खनन पर अत्यन्त व्यय तिले के औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ेपन का घातक है।

6.7 पंजाकृत कारखाने राजस्थान में वर्ष 1987 में पंजाकृत कारखाना की संख्या 9665 थी जबकि सवाई माधापुर में पंजाकृत कारखाना की संख्या 89 ही रही। ध्यातव्य है कि राजस्थान में पंजाकृत कारखाना की संख्या बढ़कर 1993 में 12580 हो चुकी है।

6 8 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में वर्ष 1988 89 में रीको द्वारा विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्र तथा उनमें आवंटित भूखण्डों की जिलेवार स्थिति इस प्रकार रही

जिला	औद्योगिक क्षेत्र (सख्या)	आवंटित भूखण्ड
सवाई माधोपुर	7	289
राजस्थान	175	14166
गणानगर	14	708
जयपुर	15	2373
पाली	11	825
जोधपुर	10	1518

स्रोत रीको जयपुर

6 9 राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण एवं उसका वितरण राजस्थान वित्त निगम की विभिन्न जिलों के औद्योगिक विकास में भूमिका यथा स्वीकृत ऋण एवं उसका वितरण को आगे तालिका में दर्शाया गया है -

वर्ष 1986 87 (राशि लाख रुपए में)

जिला	स्वीकृत ऋण		ऋण वितरित	
	सख्या	राशि	सख्या	राशि
सवाई माधोपुर	114	65 43	82	55 74
राजस्थान	3931	7520 20	2795	4563 22
अलवर	273	1434 98	138	690 13
भोलवाडा	432	539 46	306	516 57
जयपुर	596	1167 58	322	582 47

स्रोत बेसिक स्टैटिस्टिक्स राजस्थान 1988 पृष्ठ 138 139

6 10 लघु उद्योगों में औसत वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान में वर्ष 1982 83 से 1990 91 तक लघु उद्योग इकाइयों के विनियोग में औसत वार्षिक वृद्धि दर 20 23 प्रतिशत थी इस दौरान सवाई माधोपुर में लघु उद्योगों के विनियोग में औसत वार्षिक वृद्धि दर 19 64 प्रतिशत रहा ।

7 राजस्थान के औद्योगिक विकास में सवाई माधोपुर जिले का योगदान अधिक

सवाई माधोपुर में 1987 के बाद पत्रकृत कारखाना का सख्या उपलब्ध नहीं है ।

नहीं है । जिले के योगदान को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है -

क्र स	विविध क्षेत्र	वर्ष	योगदान (प्रतिशत में)
1	सीमेंट उत्पादन	1985	11 20
2	लघु उद्योगों की संख्या	1990-91	2 73
3	लघु उद्योगों में विनियोग	1990 91	0 88
4	लघु उद्योगों में निर्यात	1990-91	2 12
5	खादी उत्पादन (सूती एवं ऊनी)	1990 91	2 64
6	ग्रामीण उद्योग का उत्पादन	1990-91	3 36
7	पर्यटकों की संख्या	1989	1 02

उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि सम्पूर्ण राजस्थान और राजस्थान का सर्वाङ्ग माधोपुर जिला विशेष रूप से औद्योगिक विकास की दृष्टि से आज तक अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है । यद्यपि विकास को विपुल संभावनाएँ हैं ।

8 सरकार की भूमिका एक लम्बे समय तक उत्साहवर्द्धक नहीं रही है परन्तु अब इसमें बदलाव आया है । सर्वाङ्ग माधोपुर के धीमी गति के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी सीमा तक राज्य सरकार को उत्तरदायी माना जा सकता है । सरकार ने कारगर भूमिका का निर्वाह जिले के विकास हेतु नहीं किया है । केन्द्र सरकार ने भी कोई विशेष रुचि नहीं दर्शायी है । राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु स्थापित "रीको" ने भी इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किये हैं । राज्य सरकार मात्र पूँजी विनियोग सब्सिडी प्रदान करती है । जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना "ट्रिप" में इस जिले का चयन किया जाना अवश्य ही उल्लेखनीय बात है ।



राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण

आर्थिक उदारीकरण और राजस्थान का औद्योगिक विकास

भारत में औद्योगिक विकास की गति को स्पृहणीय बनाने वास्ते जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। सुधारों के प्रारंभिक चरण में ही अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किये गए नतीजतन वर्ष 1991-92 में 0.6 प्रतिशत रसातल तक पहुँच चुकी औद्योगिक विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई। यह तेजी से बढ़कर 1994-95 (अप्रैल-अक्टूबर) में 8 प्रतिशत तक पहुँच गई। ताजी औद्योगिक नीति (जुलाई, 1991) की घोषणा के बाद निवेश की लागत को कम करने के अलावा पूंजीगत सामानों पर शुल्क घटाया गया है। वेद प्रणाली में पूंजीगत सामानों को सम्मिलित किया गया है। इनकी सुखद परिणति औद्योगिक विकास की तेजतर गति के रूप में परिलक्षित होगी। उद्योग सभलेगे तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नये दौर की आशा की जा सकती है।

भारत जैसे विकासोन्मुखी देश में तो औद्योगिक विकास के बिना आर्थिक कठिनाइयों का निवारण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। खेती मानसून का जुआ होने के कारण समूची अर्थव्यवस्था सदैव डावाडोल की स्थिति में रहती है। लोगों के जीवन स्तर में भारी उतार-चढ़ाव रहता है। निर्भरता का कुचक्र भी थमा नहीं है। लगातार गाठ बंधों से मानसून के सामान्य रहने से अर्थव्यवस्था की स्थिति अवश्य सुधरी है। औद्योगिक विकास से निर्भरता के कुचक्र पर प्रहार कर अर्थव्यवस्था को ऊँची रतार पर ले जाया जा सकता है। कृषि पर बढ़ रहा जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है। विदित है कि कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार होने के कारण कृषि जोत का आकार उतरोत्तर छोटा होता गया। औद्योगिक विकास से एक ओर कृषि जोत का विभाजन और उपविभाजन रुकेगा दूसरी ओर कृषिगत विकास के लिए उर्वरक, उर्जा, उन्नत औजार

आदि मुहैया हा सकते । एक सामा क याद कृषि उत्पादित आद्योगिक विकास पर निर्भर करता ह । कृषि काय म लग हुए फालतू लाग उद्योग का आर खिचग । व्यावसायिक हाचा भी तृतीयक उद्योगा की आर वट मकगा । आद्योगिक विकास लाग क जीवन स्तर म सुधार के लिए भी आवश्यक ह । अधिक कल्याण म वृद्धि के लिए लोगा की आय म वृद्धि के साथ साथ उपभाग म विविधता म आवश्यकता होता ह जा आद्योगिक विकास द्वारा ही सभव है । मनुष्या मे नियमितता वैज्ञानिक दृष्टिकाण तकनीकी प्रगति के लिए काशन आदि आवश्यक गुणा का मृन्द हाता है ।

आद्योगिक विकास की उपादयता निविवाद है । भारतीय सदर्थ में इसकी प्राप्तिक्रता म बढातर तथा सभव हा पायगा त्रकि इसका लाभ समूच क्षेत्रा का हो । आज भारत म कुछ राज्य ऐसे हैं जहा आद्योगिक विकास की दर तजतर हे जबकि कई राज्य एस ह जहा औद्योगिक विकास गति नहीं पकड पाया ह । सामरिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण रानस्थान को आर्थिक उदाराकरण म हुए ओद्योगिक विकास से अधिक लाभ नहीं मिला ह । इस बात की पुष्टि राय म आद्योगिक विकास की धीमी गति से स्पष्ट हाता है ।

रानस्थान विकासमुखी भारताय अर्थव्यवस्था का एक कम विकसित राज्य है । यहा की भौगोलिक एव प्राकृतिक स्थिति अन्य राज्या की तुलना म काफी विकट है । वर्तमान म राजस्थान के समथ मुख्य चुनावत भौतिक एव मानवाय ससाधना का पूरा उपयोग करने की है । वित्तीय ससाधना की कमा क कारण राज्य म भरपूर उपलब्ध प्राकृतिक ससाधना का अपक्षित विदाहन नहीं हा पाया है । गौरतलव हे कि राय म 45 प्रकार के अनाह एव अघातक खनिजा क पयास भंडार ह । इसके वावजूद भी प्रात विकास की रह के लिए तरसत रहा ह ।

राज्य म औद्योगिककरण की गति का कल दन क लिए नियानन काल म राज्य सरकार द्वारा प्रयास किय गय किन्तु आद्योगिकीकरण का अपक्षित गति नहीं मिल पाई । लघु उद्योगा की सख्या म हो बढातरा हा पाइ । अर रानस्थान आर्थिक विकास की गति के तेजतर करन वास्ते भारत सरकार द्वारा लागू किय जा रह आर्थिक सुधारा क साथ कदमतान करने क लिए प्रयासरत ह । राय म आद्योगिक विकास का गति को सपुष्ट करने के लिए केन्द्र द्वारा जुनाइ 1991 म घोषित का गई आद्योगिक नाति क अनुरूप ही सितम्बर 1994 म नड औद्योगिक नाति का घोषणा की गई । नड नाति की घोषणा के साथ ही क्रियान्विता भी शुरू का गइ । इससे पूव 1978 तथा 1990 में भा राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति को घोषणा की गई थी किन्तु य आद्योगिक विकास का गतिनिधारक दिशा दन म सफल नहीं हा सकी । दान हा म घोषित नवीन औद्योगिक नीति स राय म आद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बनन लगा ह । राज्य में अमन चैन की स्थिति भा निराशका के लिए अनुमूल बना हुई है । उद्यमी अर विनियोग क

लिए उतना नहीं कतराते जितना की पूर्व के दशको में । राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के कारण विदेशी निवेशको ने भी रुचि दशायी है ।

राजस्थान में दिसम्बर 1994 तक 23 बड़ी और मजाले श्रणी की बहुराष्ट्रीय कम्पनिया ने 1550 करोड रुपए का विनियोजन किया । इन कपनिया की तकनीक पर आधारित परियोजनाए उत्पादन प्रारभ कर चुकी हैं । राज्य म विनियोजन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनिया समुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलेण्ड, डैनमार्क, रूस, यू के , ताईवान, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, स्पेन, कनाडा और आस्ट्रिया आदि देशो को है । विदेशी कम्पनियों के तकनीकी सहयोग से रगोन टी वी ट्यूब्स जो वी पिक्चर ट्यूब्स, ग्लास शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्वोटिटी प्रिंटिंग इक, एल्यूमीनियम रेडिएटर्स, डायमण्ड टोल्स, कटिक्ट लेंस, ए वी एस रेसिन, सिरेमिक रग, साइकिल टायर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग प्रणाली, शैविंग ब्लेड, मास्टर बेचेज, टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलापेट यार्न, विस्स, टेरीटॉवल, कोल्डरोल्ड, स्ट्रिप्स, ऐयर सेपरेटर सयत्र यो वी सी रिजिड पाइप्य और आष्टिकल फाइबर आदि का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है ।

आर्थिक खुलेपन के दौर में भारत में किये गए कुल विदेशी पूजी निवेश पर दृष्टिगत किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान में किया गया विदेशी निवेश अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि की तुलना में अत्यल्प है । राजस्थान में जो थोडा बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढावा देने वाला ही है । अधिकतर बहुराष्ट्रीय कपनिया राज्य के कोटा, भिवाडी, शाहजहापुर, अलवर और आधूरोड जैसे औद्योगिक क्षेत्रो तक ही केन्द्रित है । इन क्षेत्रो में औद्योगिक विकास की कोई समस्या नहीं है । अकृत प्राकृतिक सपदा वाले क्षेत्रो को पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई ।

राजस्थान के तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में कुछ आधारभूत समस्याए है । जिनके कारण पूजी निवेश में आशाजनक बढोतरी नहीं हो पा रही है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा उर्जा के अभाव की है । उर्जा की समस्या सदैव मुहबाए खडी है । इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने उर्जा के क्षेत्र में निजी उद्यमियो को आमत्रित किया है, किन्तु इस दिशा में अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है । अनेक परियोजनाओ के बीच केवल गुडा बरसिहसर परियोजना को ही निजी क्षेत्र में सौंपे जाने का फैसला दिसम्बर 1994 तक हो पाया है । राज्य में विद्युत की माग व पूर्ति में भारी अंतराल है । वर्तमान में राज्य में माग व पूर्ति में 40 प्रतिशत का अंतर है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में मौजूदा अनुमानो के आधार पर सन् 2001 में राजस्थान में बिजली की माग 34300 मेगा यूनिट आकी है, जबकि तब आपूर्ति महज 19147 मेगा यूनिट होगी अर्थात् माग व आपूर्ति में 44 प्रतिशत से ज्यादा का फर्क होगा । राज्य सरकार उर्जा संधर्भो महत्वपूर्ण अद्य सरचना की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है । राज्य

की आठवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रूपए की है । सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ रूपए की थी । चालू वित्त वर्ष की योजना का आकार चौतीस सौ करोड़ रूपए का है । यूनीगेज का काम राज्य में उत्साह से चल रहा है । यमुना का पानी भी अब राजस्थान में है । राज्य में लिग्नाईट को वाणिज्यिक उपयोग के लिए बाजार में ले जाना शुरू कर दिया गया है । कृषि क्षेत्र में भी राज्य के कदम प्रगति के पथ पर हैं ।

आर्थिक सुधारों के शुरूआती वर्षों में उद्यमियों में उत्साह है । इसका लाभ उठाने के लिए अद्य सरचना को बदले आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढालने की महती आवश्यकता है । खनिज ससाधनों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश में महत्वपूर्ण है । प्रान्त में जन्मे औद्योगिक धराना ने देश के औद्योगीकरण को गति दी है । अब विदेशी निवेशक ही राज्य में कदम बढ़ा चुके हैं तो स्वदेशी उद्यमियों के लिए मातृभूमि के प्रति आत्मियता को देखते हुए यहाँ विनियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश करे ताकि राजस्थान देश के विकसित राज्यों की भाँति आर्थिक खुलेपन के दौर में प्रगति के पथ पर कदमताल कर सके ।

वित्तीय अनुशासन और बजट

राजस्थान का वित्तीय वर्ष 1996-97 का बजट मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा 15 मार्च 1996 को राज्य विधान सभा में पेश किया गया । देश में आगामी आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है । राजस्थान में लोक सभा चुनाव 27 अप्रैल व 2 मई 1996 का दो चरणों में सम्पन्न होने हैं इसलिए इतना समय नहीं कि राज्य विधान सभा में चर्चा व वाद बजट को पारित किया जा सके नतीजतन वर्ष 1996-97 के चार माह के खर्च के लिए लेखानुदान भी विधान सभा में पेश किया गया ।

बजट में किसी नये कर का प्रावधान नहीं किया गया है । राज्य बजट पर 72 करोड़ रूपए भार की अनेक रियायतों की गई हैं । सामाजिक और धुनियादी सेवाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की गई है । ग्रामीण विकास पर सरकार ने विशेष जोर दिया है, कुल व्यय का 63 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है । जनता पर कोई नया कर नहीं थोपा जाना और रियायतों में बढाव से बजट आम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया परिलक्षित होता है ।

हाल ही के वर्षों में राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है । विभिन्न आर्थिक सूचकों में राजस्थान ने प्रगति की है । राज्य में प्रति व्यक्ति

योजनान्तगत निवेश 1992-93 में 320 रूपए प्रति व्यक्ति में बढ़कर 1996-97 में 727 रूपए हो गया है। देश में योजना के आकार में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में ही हुई है। योजनाओं के आकार में बढ़ती से आरंभ की योजनाओं में अद्य सरचनात्मक विकास पर बल देने के कारण आज राज्य में विकास का वातावरण बना है। जिससे शुद्ध घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है। त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमती पर 1995-96 में राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 32989 करोड़ रूपए (वर्ष 1994-95 से 8.43 प्रतिशत अधिक) और प्रति व्यक्ति आय 6810 रूपए (1994-95 की प्रति व्यक्ति आय से 6.31 प्रतिशत अधिक) है। भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के मूल्य के आधार पर 1995-96 में 230568 करोड़ रूपए तथा 1980-81 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1995-96 में 2506 रूपए है।

वर्तमान में उद्योगी यहां विनियोजन से नहीं कतराते हैं। स्वदेशी उद्योगी तो दूर विदेशी निवेशक भी आकर्षित हुए हैं। विभिन्न निवेशकों द्वारा अगस्त 1991 से अक्टूबर 1994 के मध्य 15291 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश हेतु उद्योगिता ज्ञापन (आइ ई एम) प्रस्तुत किये गए थे जो बढ़कर दिसम्बर 1995 तक 22753 करोड़ रूपए के हो गए हैं। नवम्बर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रदेश में प्रस्तावित विनियोजन में 48.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी पूंजी निवेश में बढ़ती हुई है। जनवरी 1993 से अक्टूबर 1994 के बीच स्विकृत निवेशों की संख्या 54 थी इनसे राजस्थान में 276.25 करोड़ रूपए विदेशी पूंजी निवेश हुआ।

जनवरी 1993 से अक्टूबर 1994 के बीच भारत में जो कुल विदेशी पूंजी निवेश हुआ उसका महाराष्ट्र में 26 प्रतिशत दिल्ली में 13 प्रतिशत गुजरात में 8.98 प्रतिशत तमिलनाडु में 5.92 प्रतिशत तथा पंजाब में 5.18 प्रतिशत भाग निवेश किया गया। कुल विदेशी पूंजी निवेश का राजस्थान में केवल 1.41 प्रतिशत ही निवेश किया गया। विदेशी पूंजी निवेश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दसवां रहा। राजस्थान के औद्योगीकरण की स्थिति का देखते हुए विदेशी पूंजी निवेश का महती आवश्यकता है किन्तु निवेशकों के मार्ग में प्रान्त का आधारभूत संरचना संबंधी समस्याएं आड़े आती हैं जिन्हें दूर करने के लिए विदेशी निवेशकों को अद्य सरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित करना चाहिए।

आर्थिक स्थिति पर चर्चा के बाद अद्य राज्य बजट पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा।

सरकार राजस्व घाट को कम करने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 1995-96 में अनुमानित राजस्व घाटा 824.93 करोड़ रूपए था जो 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 546.60 करोड़ रूपए रहा। राजस्व घाटे में 278.33 करोड़ रूपए की कमी बेहतर राजस्व वसूली के कारण संभव हो सका। वर्ष 1995-96 में राजस्व प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य से 587 करोड़ रूपए अधिक रही।

की तुलना में रेखांकित की जाने वाली बड़ोतरी हुई । राज्य की विपन्न भौगोलिक स्थिति और अब तक के आर्थिक पिछड़पन का दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक था । पंचवर्षीय योजना के आकार में बड़ोतरी से वार्षिक योजनाओं में वृद्धि हुई और सामाजिक आर्थिक अद्य संरचना के विकास का चल मिला ।

राज्य की वार्षिक योजनाएँ

वार्षिक योजना	योजना आकार (करोड़ रुपए)	गत योजना का तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1992-93	1400	
1993-94	1700	21.42
1994-95	2450	44.11
1995-96	3200	30.61
1996-97 (अनुमानित)	3200	शून्य

“राज्य में आद्योगिक विकास की संभावनाएँ काफी हैं । विकास में अग्रणी होने के लिए नवा पंचवर्षीय योजना में भारी वृद्धि का आवश्यकता है । आठवीं योजना बड़ी होने के बावजूद भी वित्तीय संसाधनों का अभाव बना हुआ है । वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं हो सकी । अतः राज्य सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना के बड़े आकार की बात योजना आयोग के सामने दृढ़ता से रखे । नवीं योजना के आकार में बड़ातरा से दो लाख एक वार्षिक योजनाओं के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि संभव हो सकेगी तथा दूसरा राज्य में आद्योगिक विकास का संभावनाएँ पूर्ण रूप से ले सकगी ।”

आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार का देखते हुए 1996-97 का वार्षिक योजना 2750 करोड़ रुपए का होना चाहिए, किंतु विकासगत जल्दता का दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3200 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है । वार्षिक योजना में 450 करोड़ रुपए का अधिक प्रावधान किया जाना से आठवीं योजना का आकार लगभग 12 हजार करोड़ रुपए हो जाना का अनुमान है । वित्तीय संसाधनों का शत प्रतिशत आवनयोजन सरकार की वित्तीय कुशलता का दशाता है ।

वार्षिक योजना 1996-97 विनियोजन

विनियोजन क्षेत्र	विनियोजन (करोड़ रुपए)	विनियोजन वार्षिक योजना के प्रतिशत में
1 सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ	947.20	29.60
2 उद्योग	733.44	22.92
3 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	454.40	14.20
4 कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	314.56	9.83
5 उद्योग व खनन	127.68	3.99

वार्षिक याजना की कुल राशि का 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामाण क्षेत्र म व्यय किया नाना प्रस्तावित हे सामाजिक ओर सामुदायिक सेवाआ क लिए 947 20 करोड रुपए निधारित किये गए ह नौ कि वार्षिक याजना का 29 60 प्रतिशत हे । सामाजिक ओर सामुदायिक सेवाआ म शिक्षा चिकित्सा पयजल आदि सेवाए सम्मिलित फी जाती हे । इन सेवाआ क क्षेत्र म रानस्थान की स्थिति अपक्षाकृत कमजोर हे । अत सामाजिक सेवाआ पर अधिक व्यय का प्रावधान लानिमो हे । किंतु उद्योग व खनन पर कुल वार्षिक याजना का केवल 3 99 प्रतिशत का प्रावधान निश्चित ही उद्योग व खनन के क्षेत्र म सरकार का उपक्षा का दशाता हे । आद्योगिक विकास बिना गरीबी निवारण कठिन है यह बात प्रमाणित हो चुकी हे । उद्योगा क विकास पर राज्य सरकार का विनियोजन का कम से कम दस प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए ।

याजनाआ क जाकार सबधी परिप्रेष्य म वार्षिक याजना 1996 97 पर दृष्टिपात प्राप्तिक हागा । बजट म बप 1996 97 का 3200 कराड रुपए का वार्षिक याजना का वित्त पोषण बस प्रकार से किया नाना प्रस्तावित हे ।

वार्षिक योजना 1996 97 का वित्त पोषण

क्षेत्र	रुपए (कराड म)	वार्षिक योजना के प्रतिशत मे
1 राज्य क स्वय क ससाधन	1280 84	40 02
2 बानार एव सम्थागत ऋण	942 12	29 44
3 कन्द्राय सन्धायता	488 31	15 25
4 बाह्य सहायता	350 00	10 93
5 अन्य	138 73	4 33

कन्द्राय विनियोजन का दृष्टि से रानस्थान सदैव उपक्षित रहा है । वार्षिक याजनाआ क वित्त पोषण म कन्द्राय सन्धायता का भाग घटा हे निससे राज्य सरकार को याजना वित्त पोषण क लिए बानार एव सम्थागत ऋण पर निर्भर होना पडा हे । बेश्वाकरण क दार म यत्न सभव हे कि कन्द्राय सहायता का प्रतिशत बप दर वर्ष कम हाता चला जाए । कन्द्राय सहायता म कटाता की प्रक्रिया गत वर्षो से प्रारभ हा चुकी है । बप 1992 93 का वार्षिक याजना म कन्द्राय सन्धायता 74 63 प्रतिशत था नौ घटकर बप 1995 96 म 52 07 प्रतिशत रह गई । बप 1996 97 की वार्षिक याजना म ता कन्द्राय सन्धायता ओर भा घटकर 15 25 प्रतिशत हा रह ग' । घटता कन्द्राय सहायता को दृष्टिगत रखन हुए राज्य सरकार यत्न प्रयास कर कि आन्तरिक ससाधना का प्रतिशत पचास फीसदी तक पहुच जाए ।

तान बजट म आद्योगिक बानावरण म सुधार क लिए राज्य सरकार क प्रयास

दृष्टिगोचर हुए हैं। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों में छूट की घोषणा की है। सगमरमर की स्लैब व फ्लैट ऐश की वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों को 7 वर्ष तक तथा ग्वारम निर्यातक इकाइयों को पांच वर्ष तक कर मुक्त कर दिया गया है। सीमेंट, सगमरमर और ग्रेनाइट आधारित इकाइयों को बिक्री कर में छूट दी गई है। इसके अलावा औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण पर बल वर्ष 1996-97 को औद्योगिक क्षेत्र में 'क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ष' के रूप में मनाना प्रोजेक्ट डबलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यथा धिवाड़ी आबू रोड जोधपुर नौमकाना आदि में सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विकास धिवाड़ी में ही निर्यातमुखी फ्लोरोक्वैचर काम्प्लेक्स की स्थापना बांकागेर में सिमेंटिक काम्प्लेक्स की स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है। सरकार के इन प्रयासों से राज्य में औद्योगिक विकास की गति बल पकड़ेगी।

राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है फिर भी राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ नहीं उठा सका है। भारत आने वाले पर्यटकों का थोड़ा भाग ही राजस्थान में आ पाता है। वर्ष 1994 में 436000 और 1995 में 535000 विदेशी पर्यटक ही आ पाए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने गहल की है। जिनमें शेखावटी के लिए पर्यटन गाड़ी, जयपुर व अजमेर में हवाई पट्टी जोधपुर में होटल प्रबंध संस्थान, ग्रामीण पर्यटन आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक विकास में आधारभूत भ्रचना विशेषकर उर्जा और सड़का का अभाव प्रमुख बाधा है। कुछ बुनियादी समस्याएँ भी हैं। पेयजल और निरक्षरता की समस्या विकट है। सरकार उर्जा की समस्या से निपटने के लिए आकाश पाताल और जमीन से उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों से विद्युत उत्पादन के लिए सजगता से प्रयास कर रही है। वर्ष 1996-97 का बजट पेयजल को समर्पित किया गया है। इसके लिए 754 12 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

बजट में कुल वित्तीय प्रावधान

मद	1995-96		प्रतिशत वृद्धि
	सशोधित अनुमान	बजट अनुमान	
ग्रामीण विकास	723 21	789 27	9 13
कृषि तथा भू एवं जल संरक्षण	127 14	220 80	73 66
उद्योग	81 10	72 22	(-) 10 94
शिक्षा	1713 55	1915 16	11 76
निवृत्ति एवं स्वास्थ्य	440 97	474 44	7 59
सड़के एवं पुल	467 18	454 08 ()	2 80
पेयजल	699 64	754 12	7 78



राजस्थान में आर्थिक सुधारों के फलितार्थ

भारत में विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने के वास्ते वर्ष 1991 से आर्थिक सुधारों का शुरुआत की गई। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव किये गये। आर्थिक संरचना सबधी किये गए बदलावों के परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लग रहे हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक खुलेपन से तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने पर बल देने से औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। वर्ष 1996 से आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण जारी है। वर्ष 1996-97 का केन्द्रीय बजट तथा नवम्बर 1996 में मुद्रा नीति में किये गए बदलाव से आर्थिक सुधारों की गति मिलती है। किन्तु अप्रैल-सितम्बर 1996-97 में औद्योगिक विकास की धीमी दर तथा पूँजी बाजार में मंदी से आर्थिक सुधारों की प्रसंगिकता प्रभावित हुई है।

राजस्थान एक विकासोन्मुखी राज्य है। राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए समय-समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब तक राज्य सरकार 1978-1990 तथा 1994 में औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुकी है। वर्ष 1990 की औद्योगिक नीति में राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए खनिज नृपिणत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा राजगार सृजन क्षेत्रीय असतुलन को समाप्त करना उद्योगों को प्रोत्साहन आदि पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग हथकरघा दस्तकारी व चमड़ा आधारित उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लघु पैमाने की इकाइयाँ यथा अतिलघु उद्योग

की लम्बाई 66837 किलोमीटर थी इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 2846 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 9810 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़के 5549 किलोमीटर, अन्य जिला सड़के 12143 किलोमीटर, ग्रामीण सड़के 34250 किलोमीटर तथा सीमावर्ती सड़के 2239 किलोमीटर हैं। वर्तमान में राजस्थान में 'निरक्षरता छोड़ो अभियान' चलाया जा रहा है। राज्य में साक्षरता में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। वर्ष 1991 में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता बढ़कर 38.55 प्रतिशत हो गई। पुरुषों में साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिलाओं में 20.44 प्रतिशत साक्षरता है।

आर्थिक सुधारों के फलितार्थ-

आर्थिक नीति में किये गये बदलाव तथा आधारभूत संरचना के विकास पर बल देने से राजस्थान की अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हुई है। चालू मूल्यों पर आर्थिक विकास दर (जीएसडीपी पर आधारित) वर्ष 1992-93 में 18.95 प्रतिशत 1993-94 में 4.41 प्रतिशत तथा 1994-95 में 21.66 प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 के लिए आर्थिक विकास की दर 8.86 प्रतिशत (प्रॉविजनल) निर्धारित की गई है। प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 1992-93 में 27232 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1993-94 में 28433 करोड़ रुपए, 1994-95 में और बढ़कर 35591 करोड़ रुपए हो गया। स्थिर कीमतों (1980-81) पर सकल घरेलू उत्पाद 1992-93 में 10192 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1994-95 में 11065 करोड़ रुपए हो गया।

औद्योगिक विनिर्माण सूचकांक 1992-93 में 262.69, 1993-94 में 309.86 तथा 1994-95 में 316.44 रहा। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 1995-96 के अनुसार वर्ष 1988-89 में उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 570 रुपए थी। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1993-94 से 254 कि.वाट था। मार्च 1994 में कुल ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 83.42 प्रतिशत था।

ढांचागत निवेश—

देश में हुए ढांचागत निवेश के क्षेत्र में राजस्थान का चाथा स्थान है। जबकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश में हुआ है। अप्रैल 1991 से लेकर दिसम्बर 1994 के बीच देश में कुल 4,40,620 करोड़ रुपए का ढांचागत निवेश हुआ। इसमें से 11,500 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में हुए कुल निवेश का 32.4 प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी से हुआ। प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है। राजस्थान इस मामले में नीचे है। यहां प्रति व्यक्ति निवेश 4254 रुपए है। निर्माण क्षेत्र में अप्रैल 1991 से दिसम्बर 1994 तक की अवधि में 228940

करोड रुपए का निवेश हुआ। इसमें से राजस्थान में 6857 करोड रुपए का निवेश हुआ। राज्यो मे प्रस्तावित निवेश के सदर्थ मे राजस्थान मे 18772 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश मे 776462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। राजस्थान मे इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

पूजी निवेश—

परिवर्तित आर्थिक परिवेश मे 1990 से 1995 के बीच राज्य में एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने कुल 11 अरब रुपए का पूजी निवेश किया। राज्य सरकार ने 1994-95 मे प्रदेश मे वृहद एव मध्यम श्रेणी के उद्यमो के 237 आइ ई एम केन्द्र सरकार को प्रेषित किये। इनके माध्यम से 4453 करोड रुपये का विनियोजन होने की आशा है जिससे 39790 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होगा।

राज्यवार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गत जनवरी 1993 से जुलाई 1994 तक राजस्थान में 138 मिलियन रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किये गए। पूजी निवेश में बढ़ोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश मे तीसरे स्थान पर है। पूजी निवेश क्षेत्र में गत दो वर्ष (1994-95 तथा 1995-96) मे राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यों को भी पीछे छोड दिया है। राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के कारण सभव हो सकी है। अक्टूबर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रस्ताविक निवेश 48.80 फीसदी की दर से बढा। गुजरात (66.44 प्रतिशत) और तमिलनाडु (56.41 प्रतिशत) के साथ देश मे क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। राजस्थान की निवेश बढ़ोतरी के मुकाबले उत्तरप्रदेश (26.25 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (20.89 प्रतिशत) काफी पीछे रहे। यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। देश के वित्तीय सस्थानो ने राजस्थान को मिलने वाले कर्ज मे बढ़ोतरी की है। अप्रैल-दिसम्बर 1995 के बीच अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो से मिलने वाला कर्ज 1308 करोड रुपए था। जबकि इससे पूर्व के पप मे इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला।

निर्यात मे बढ़ोतरी—

राजस्थान के प्रमुख निर्यातो मे कपडे, सिले सिलाए वस्त्र, छाद्य एव कृषि उत्पाद, रासायनिक एव सम्बद्ध उत्पाद इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, गलीचे-दरिया, प्लास्टिक एव लिनोनियम, चमडे से बनी वस्तुएँ, दवाइया, ऊन एव ऊन तैयार उत्पाद और हाथकरी निर्मित वस्तुएँ उल्लेखनीय है।

राजस्थान मे पिछले पाच वर्षों मे निर्यात मे काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 मे जहा कुल 421.81 करोड रुपए का निर्यात हुआ था, वहीं 1991-92 में 688.86 करोड रुपए, 1992-93 में 1051.94 करोड रुपए और 1993-94 में 1432.28 करोड

रुपए का निर्यात हुआ। वर्ष 1994-95 में 2632.59 करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया गया जो कि इससे पहले वर्ष के मुकाबले 83 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1994-95 में राज्य से सर्वाधिक 543.78 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात होने का ग्हा जबकि रत्नों व आभूषण का निर्यात 440.66 करोड़ रुपए का था। निर्यात किये गए अन्य प्रमुख उत्पादों के तहत कपड़े का निर्यात 428.05 करोड़ रुपए, सिल-सिलाए वस्त्र 304.13 करोड़ रुपए, खाद्य एवं कृषि उत्पाद 227.40 करोड़ रुपए, रासायनिक एवं सम्बद्ध उत्पाद 224.91 करोड़ रुपए का था जबकि इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पादों, मसबल तथा ग्रैनाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात क्रमशः 129.44 करोड़, 101.02 करोड़, 87 करोड़ और 60 करोड़ रुपए का रहा। राज्य से निर्यात किये गए उत्पादों में सर्वाधिक बढ़ोतरी होने के निर्यात में रही। रत्न एवं आभूषण तथा खाद्य एवं कृषि अन्य उत्पादों के निर्यात में यह बढ़ोतरी क्रमशः 116.12 प्रतिशत तथा 106.88 प्रतिशत की रही।

नई औद्योगिक नीति में शत प्रतिशत निर्यात पर आधारित उद्योगों को काफी रियायतों की घोषणा की गई है। इनमें प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देना, बिजली कटौती से छूट देना, मशीन व कच्चे माल की खरीद पर कर में छूट शामिल है। राज्य में नयी औद्योगिक नीति के बाद उद्योगों में पूंजी विनियोजन काफी बढ़ा है। वर्ष 1994-95 तक बड़े व मझौले उद्योगों में लगभग 8356 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश हो चुका है। छोटे उद्योगों में पूंजी निवेश की यह राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। राज्य में इन उद्योगों के लगने से बड़े उद्योगों में जहां 1.38 लाख लोगों को रोजगार मिला है, वहीं लघु उद्योगों में 6.59 लाख लोग रोजगार पर लगे हुए हैं। उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों के तहत मार्च 1995 तक 7765 औद्योगिक इकाइयों के लिए 198.44 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मंजूर की गई। इसके अलावा 4124 औद्योगिक इकाइयों को बिजली कर का लाभ दिया गया।

योजना परिव्यय-

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11500 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक है। राज्य की आठवीं योजना का आकार आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडू, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल से अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) आठवीं योजना का अंतिम वर्ष है। आठवीं योजना के काल में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिलाभ 12000 करोड़ रुपए लेने का अनुमान है। राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2614 रुपए है जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत 2101 रुपए ही है। वर्तमान में (दिसम्बर 1996) में राज्य की नयी पंचवर्षीय योजना के 'दृष्टिकोण पत्र' पर विचार किया जा

रहा है। राज्य सरकार ने नवी योजना का आकार 25 हजार करोड रुपए रखने का फैसला किया है। नवी योजना की समयावधि 1997 से 2002 होगी। राज्य में नवी योजना अप्रैल 1997 से प्रारंभ होगी और मार्च 2002 तक क्रियान्वित रहेगी। राजस्थान की नवी पंचवर्षीय योजना 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास की दशा और दिशा तय करेगी।

आर्थिक उदारकरण के दौर ने राजस्थान की वार्षिक योजनाओं के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना का आकार 1400 करोड रुपए था। वार्षिक योजना का आकार बढ़कर 1996-97 में 3200 करोड रुपए (अनुमानित) तक जा पहुँचा। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना का आकार 3200 करोड रुपए था जो गत वर्ष की योजना के आकार से 30.61 प्रतिशत अधिक था। राजस्थान में उर्जा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजनाओं के सार्वजनिक परिव्यय में ऊर्जा विकास को प्राथमिकता दी गई। वर्ष 1994-95 में उर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 651.39 करोड रुपये था।

वार्षिक योजना 1994-95 में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय

विकास शीर्ष वास्तविक योजना परिव्यय

1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	240.21
2	ग्रामीण विकास	180.54
3	विशिष्ट क्षेत्रीय योजना	3.45
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	381.13
5	ऊर्जा	651.39
6	उद्योग व खनिज	127.64
7	तातायात	178.62
8	वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसंधान	3.91
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	606.51
10	आर्थिक सेवाएँ	17.72
11	सामान्य सेवाएँ	24.63

स्रोत आर्थिक समीक्षा 1995-96 राजस्थान सरकार।

राजस्थान में आर्थिक उदारकरण के प्रारंभिक पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था में किय गए ढाचागत बदलाव से पूँजी निवेश निर्यात ढाचागत निवेश आदि क्षेत्रों में विकासवात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुयी है। किन्तु प्रदेश में क्षेत्रीय असुतलन की समस्या बढी तथा राज्य को ऋण ग्रस्तता से मुक्ति नहीं मिली है। राजस्थान सरकार की दैनदरिया 31 मार्च 1990 तक 6 हजार 127 करोड 10 लाख 69 हजार रुपए थी जो बढ़कर 31

मार्च 1996 तक 14 हजार 249 करोड़ 20 लाख 38 हजार हो गई। 31 मार्च 1990 तक राज्य सरकार पर चार हजार 382 करोड़ 94 लाख 94 हजार रुपए सार्वजनिक ऋण और एक हजार 744 करोड़ 15 लाख 15 हजार रुपए अन्य देनदारियां थीं। वर्ष 1995-96 के सशोधित अनुमानों के अनुसार मार्च 1996 तक राज्य सरकार पर 9 हजार 17 करोड़ 93 लाख 18 हजार रुपए सावजनिक ऋण और पांच हजार 231 करोड़ 27 लाख 30 हजार रुपए की अन्य देनदारियां थीं। राज्य सरकार का वर्ष 1995-96 में सार्वजनिक ऋण पर 878 करोड़ 3 लाख 59 हजार रुपए तथा अन्य देनदारियों पर 362 करोड़ 76 लाख 19 हजार रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा। राज्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि का प्रमुख कारण योजना लाभ में वित्त पोषण के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है।

आर्थिक सुधारों के दार में राजस्थान में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या उभरी है। कोटा अलवर जयपुर भालवाड़ा तेजा से औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हैं वहीं सर्वाई माधोपुर बाण टाक तथा पश्चिमी जिले अधिक विकास की दौड़ में पिछड़े गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद राज्य स्तरीय औसत की तुलना में काफी कम रहा है। वर्ष 1986-87 से 1990-91 की अवधि में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का राज्य स्तराव औसत 102.7 प्रतिशत रहा है। इसकी तुलना में हनुमानगढ़ गगानगर वाले सघन सिंचित और कृषि क्षेत्र में यह औसत 117.72 प्रतिशत रहा जबकि सर्वाई माधोपुर टाक धोलपुर भरतपुर दोसा आदि मैदानी क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का औसत केवल 81.15 प्रतिशत रहा।

राजस्थान में बढ़ती ऋणग्रस्तता और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या के निदान के लिए कारगर प्रयास की आवश्यकता है। ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए योजना के वित्त पोषण के लिए स्वयं के ससाधना में बढ़ोतरी करनी होगी। औद्योगिक विकास की गति को बेहतर करने के लिए प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए विकास की दौड़ में पिछड़े चुके जिलों का औद्योगिक सभाव्यता सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्रों में उपलब्धता प्राकृतिक ससाधना पर आधारित उद्योगों का स्थापना का जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में पिछड़े हुए जिलों का प्राथमिकता देनी चाहिए।